

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन**

**31 मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1997 की संख्या 1**

संघ सरकार(सिविल)

संघ सरकार के लेखे

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1951

1951

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1951

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1951

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		xi
विहंगावलोकन		xiii

भाग I

वित्त लेखे

अध्याय I

प्रस्तावना

सरकारी लेखाओं का ढांचा	1.1	1
वार्षिक लेखे	1.2	2
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1.3	2
वित्त लेखे	1.4	3
मूल्य प्रवृत्तियां	1.5	3
विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा की उपलब्धियां	1.6	4

अध्याय II

लेखाओं का विहंगावलोकन

प्राप्तियां एवं संवितरण	2.1	5
ऋण तथा घाटा	2.2	6
सेक्टर-संबंधी खर्चों पर ऋण का प्रभाव	2.3	6
रिपोर्टिंग पैरामीटर	2.4	7
वित्तीय स्थिति का सार	2.5	7

अध्याय III

प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां	3.1	8
कर राजस्व	3.2	9
कर-भिन्न राजस्व	3.3	11

अध्याय IV

संघ सरकार का व्यय

व्यय की प्रवृत्ति	4.1	12
सेक्टर सम्बंधी व्यय	4.2	13
राज्यों को अंतरण	4.3	15

अध्याय V

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की प्रवृत्ति	5.1	17
ब्याज भुगतान	5.2	18
परिदान	5.3	19
सहायता अनुदान	5.4	20

अध्याय VI

पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति	6.1	22
निवेश एवं प्रतिफल	6.2	23
राष्ट्रीयकृत बैंकों को बजटीय सहायता	6.3	24

अध्याय VII

घाटा

सरकारी लेखे में घाटा	7.1	26
समग्र घाटा	7.2	26
राजस्व घाटा	7.3	29
राजकोषीय घाटा	7.4	30
प्रारम्भिक घाटा	7.5	32
मुद्रिकृत घाटा	7.6	33
ऋण और घाटा	7.7	34

अध्याय VIII**संघ सरकार का ऋण**

आंतरिक ऋण	8.1	35
आंतरिक ऋण की लागत	8.2	36
खज़ाना बिल (ख-बिल)	8.3	37
तदर्थ खज़ाना बिलों का निधियन	8.4	40
बाज़ार उधार	8.5	42
अन्य आंतरिक दायित्व	8.6	43
आंतरिक उधार की ऋण चुकौती	8.7	44
संघ सरकार के बाह्य ऋण	8.8	45
संघ सरकार की ऋणग्रस्तता	8.9	47
संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	8.10	48
लोक ऋण का प्रभाव	8.11	48
उधार लेने की सीमा	8.12	52

अध्याय IX**लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां**

टिप्पणियों का स्वरूप	9.1	54
लेखाओं का समाधान	9.2	54
उचंत शेष	9.3	55
प्रतिकूल शेष	9.4	59
राजस्व को अंतरित किए जाने वाले अदावी बाज़ार कर्जे	9.5	61
शेषों का पुनरीक्षण	9.6	61
आंतरिक ऋण का लेखांकन	9.7	61
बाह्य ऋण का लेखांकन	9.8	63

भाषा II

विनियोग लेखे

पैराग्राफ

पृष्ठ

अध्याय X

विनियोग लेखाओं तथा लेखापरीक्षा उपलब्धियों का सारांश

प्रस्तावना	10.1	65
विनियोग लेखापरीक्षा	10.2	66
विनियोग लेखे (सिविल)	10.3	67
प्रभारित तथा दत्तमत व्यय	10.4	68
विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम	10.5	69
बिना संस्वीकृति के किया गया व्यय	10.6	69
मार्च के महीने में किया गया व्यय	10.7	70
विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा उपलब्धियां	10.8	70

अध्याय XI

अधिक व्यय

अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक व्यय	11.1	72
अधिक व्यय का विश्लेषण	11.1.1	73

अध्याय XII

बचत

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत बचत	12.1	76
100 करोड़ रु. अथवा अधिक की बचत	12.2	77
20 करोड़ रु तथा 100 करोड़ रु. के बीच बचत	12.3	86
अन्य बचत	12.4	89
बचत का अभ्यर्पण	12.5	90
व्यय की कटौती में वसूलियां	12.6	91

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय XIII		
पुनर्विनियोग		
अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	13.1	93
निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग	13.2	95
प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग	13.3	97

अध्याय XIV		
'नई सेवा' पर व्यय		
'नई सेवा'/'सेवा के नए साधन' पर व्यय	14.1	98
स्वास्थ्य विभाग	14.2	98
संस्कृति विभाग	14.3	99
जल संसाधन मंत्रालय	14.4	99

अध्याय XV		
अनुपूरक अनुदानों का उपयोग		
अनुपूरक अनुदान/विनियोग का अनुमान	15.1	101
विदेश मंत्रालय	15.2	102
खाद्य मंत्रालय	15.3	103
उद्योग मंत्रालय	15.4	103
खान मंत्रालय	15.5	105
कपड़ा मंत्रालय	15.6	105

अध्याय XVI		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
प्रस्तावना	16	106
अनुदान सं.39-स्वास्थ्य विभाग	16.1	106
समग्र स्थिति	16.1.1	107
व्यय प्रबंध	16.1.2	107

	पैराग्राफ	पृष्ठ
निरंतर बचत	16.1.3	108
अनुपूरक अनुदान का अधिक अनुमान	16.1.4	115
शीर्षवार विनियोग लेखे का गलत दिखाया जाना	16.1.5	115
निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग	16.1.6	116
नई सेवा/सेवा के नए साधन पर व्यय	16.1.7	117
अनुदान सं.-40 परिवार कल्याण विभाग	16.2	117
समग्र स्थिति	16.2.1	118
समग्र बचत	16.2.2	118
विशिष्ट उपशीर्षों के अंतर्गत बचत	16.2.3	118
निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग	16.2.4	120

अध्याय XVII

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

प्रस्तावना	17	121
अनुदान सं.46-शिक्षा विभाग	17.1	121
समग्र स्थिति	17.1.1	121
निरंतर बचत	17.1.2	123
बचत से बचने के लिए निधियों का अनियमित/अप्राधिकृत रूप से जारी किया जाना	17.1.3	124
अनुपूरक अनुदान का अधिक अनुमान	17.1.4	125

अध्याय XVIII

अन्य अनुदान

वित्त मंत्रालय	18	126
अनुदान सं.34-राजस्व विभाग	18.1	126
अनुदान सं.66-योजना	18.2	127
निधि के पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय	18.2.1	127
सहायक सामग्री तथा उपकरण के मूल्य का समायोजन न होना	18.2.2	128

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-I	वित्त लेखे से प्रकट होने वाली समग्र वित्तीय स्थिति	131
परिशिष्ट-II	बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र	133
परिशिष्ट-III	निवेश पर प्रतिफल	136
परिशिष्ट-IV	अप्रयुक्त कर्जे-क्षेत्रवार	138
परिशिष्ट-V	सिविल मंत्रालयों के मिलान न किए गए शेष	139
परिशिष्ट-VI	आयातकर्ताओं द्वारा 31 मार्च 1996 को धारित भारी राशियां	140
परिशिष्ट-VII	प्रतिकूल शेषों की प्रमुख मदें	142
परिशिष्ट-VIII	वित्त मंत्रालय के प्रतिकूल शेष-आर्थिक कार्य विभाग	143
परिशिष्ट-IX	मार्च माह के दौरान अंधाधुंध व्यय	146
परिशिष्ट-X	निधियों का अभ्यर्पण	151
परिशिष्ट-XI	वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं	153
परिशिष्ट-XII	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के मामले	154
परिशिष्ट-XIII	अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले प्रयुक्त चुनिंदा शब्दों की शब्दावली	158 160

तालिकाएं

तालिका सं.		पृष्ठ
3.1	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि	8
3.2(i)	कर राजस्व की वृद्धि	9
3.2(ii)	प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर की वृद्धि	10
3.3(i)	कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि	11
3.3(ii)	लाभांश तथा लाभ	11
4.1	संघ सरकार का कुल व्यय	12
4.2	संघ सरकार का सेक्टर संबंधी व्यय	14
4.3	राज्यों को अंतरण	15
5.1	राजस्व व्यय	17
5.2	ब्याज भुगतान	18
5.3	मुख्य परिदानों पर व्यय	19
5.4	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	20
6.1	पूंजीगत व्यय	22
6.3	राष्ट्रीयकृत बैंकों (रा.बैं.) को बजटीय सहायता	24
7.2(i)	समग्र घाटे का ब्यौरा	27
7.2(ii)	सम्मत सीमा से तदर्थ ख-बिलों का अधिक निर्गम	28
7.2(iii)	भा.रि.बैं. पर निर्भरता	29
7.3	राजस्व घाटा	29
7.4(i)	राजकोषीय घाटा	30
7.4(ii)	उधार द्वारा वित्तपोषित व्यय	31
7.4(iii)	उधार के स्रोत	31
7.4(iv)	राजकोषीय घाटे का प्रभाव	31
7.5	प्रारंभिक घाटा	32
7.6	मुद्रिकृत घाटा	33
8.1	आंतरिक ऋण की वृद्धि	35
8.2(i)	आंतरिक ऋण की लागत	36
8.2(ii)	खजाना बिलों पर वास्तविक ब्याज दर	36
8.3	आंतरिक ऋण तथा ख-बिल	37
8.3.1(i)	तदर्थ ख-बिल	38

तालिका सं.		पृष्ठ
8.3.1(ii)	91 दिवसीय ख-बिल	39
8.3.1(iii)	364 दिवसीय ख-बिल	40
8.4(i)	प्रतिभूतियों में परिवर्तित तदर्थ ख-बिल	41
8.4(ii)	364/91 दिवसीय ख-बिलों का निधियन	41
8.5(i)	बाजार कर्जों की वृद्धि	42
8.5(ii)	बाजार कर्जों की वापस अदायगी अनुसूची	42
8.6	अन्य आंतरिक दायित्वों की वृद्धि	43
8.7(i)	आंतरिक ऋण का शुद्ध आगम	45
8.7(ii)	अन्य आंतरिक देयताओं का शुद्ध आगम	45
8.8(i)	बाह्य ऋण की वृद्धि	45
8.8(ii)	बाह्य ऋण का शुद्ध आगम	46
8.9	संघ सरकार की ऋणग्रस्तता	47
8.10	संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	48
8.11.5	कुल रक्षा व्यय	51
9.3.1(i)	उचंत शेष	55
9.3.1(ii)	मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष	56
9.4.2	विदेश मंत्रालय के प्रतिकूल शेष	59
9.7(i)	शेषों का समाशोधन न किया जाना	62
9.7(ii)	भारि.बैं. के साथ समाधान किए जाने वाले शेष	62
10.3	अनुमोदन एवं व्यय	67
10.5	चुने हुए अनुदानों/विनियोगों में निवल बचत	69
11.1	अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक व्यय	72
12.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 100 करोड़ रु. से अधिक की बचत	77
12.3	20 करोड़ रु. तथा 100 करोड़ रु. के बीच बचतें	87
12.4	अन्य बचत	90
13.2	वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया पुनर्विनियोग	96
16.1.1	अनुदान की समग्र स्थिति	107
16.1.3	'रोगों का निवारण एवं नियंत्रण' के अंतर्गत बचत	108
16.1.3.1	'कालाजार कार्यक्रम के अंतर्गत बचत'	110
16.1.3.2	'राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम' के अंतर्गत बचत	111

तालिका सं.		पृष्ठ
16.1.3.3	'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम' के अंतर्गत बचत	112
16.1.3.4	'ग.4 (2) -प्रशिक्षण' के अंतर्गत बचत	113
16.1.3.5	'राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम' के अंतर्गत आधिक्य	113
16.2.1	अनुदान की समग्र स्थिति	118
16.2.3	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बचत	119
17.1.1	अनुदान की समग्र स्थिति	122
17.1.2	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निरंतर बचत	123
18.1	अनुदान के अंतर्गत बचत	126
18.2.1	पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय	128

प्राक्कथन

31 मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले शामिल किए गए हैं। प्रतिवेदन के भाग-I में वित्त लेखाओं पर अभ्युक्तियां शामिल हैं तथा भाग-II में विनियोग लेखाओं पर अभ्युक्तियां शामिल हैं। सिविल मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों तथा निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियां पृथक रूप से प्रतिवेदन सं.2 तथा प्रतिवेदन सं.3 में शामिल की गई हैं।

संघ सरकार अन्य स्वायत्त निकाय (सं.4), वैज्ञानिक विभाग (सं.5), डाक तथा दूर संचार (सं.6), रक्षा मंत्रालय -सेना तथा आयुध कारखाना (सं.7), वायु सेना तथा नौ सेना (सं.8), रेलवे (सं.9), संघ सरकार की प्राप्तियां- अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क सं.(10), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं.11) तथा प्रत्यक्ष कर (सं.12) के लिए भी पृथक प्रतिवेदन जारी किए गए हैं।

विहंगावलोकन

भाग I

वित्त लेखे

लेखाओं की विशिष्टताएं

वर्ष 1995-96 के दौरान संघ सरकार की कुल प्राप्तियां 470939 करोड़ रु. की थी जिसमें से 99950 करोड़ रु. करों से, 68621 करोड़ रु. कर-भिन्न प्राप्तियों से आए तथा 302368 करोड़ रु. पूंजीगत प्राप्तियां थीं। 302368 करोड़ रु. की पूंजीगत प्राप्तियों में से, 180966 करोड़ रु. लोक ऋण प्राप्तियों से, 111162 करोड़ रु. लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमा राशियों तथा पेशगियों की प्राप्ति से तथा 10240 करोड़ रु. कर्जों तथा अन्य प्राप्तियों की वसूली से आए। संघ सरकार की 60 प्रतिशत प्राप्तियां उधार ली गईं अथवा प्रतिदेय निधियों से आईं।

वर्ष के दौरान कुल संवितरण 469283 करोड़ रु. था। इसमें से 56 प्रतिशत ऋण तथा अन्य देयताओं को चुकाने हेतु इस्तेमाल किए गए थे, 32 प्रतिशत ब्याज भुगतान के अतिरिक्त राजस्व व्यय के लिए तथा 12 प्रतिशत, कर्जों तथा पेशगियों आदि सहित पूंजीगत व्यय के प्रति खर्च किए गए थे। संघ सरकार के आधे से अधिक संवितरण, ऋण तथा अन्य दायित्वों को चुकाने में ही चले गए।

वर्ष के अन्त में, संघ सरकार का कुल ऋण भार, विदेशी ऋण को 31 मार्च 1996 की विनिमय दर पर लेते हुए 703566 करोड़ रु. हो गया, जो कि चालू बाजार दर पर स.घ.उ. का 64 प्रतिशत है। 1995-96 के दौरान राजकोषीय घाटा 60244 करोड़ रु. था, जो कि स.घ.उ. का 5.48 प्रतिशत है।

राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां 1994-95 में 146670 करोड़ रु. से बढ़ कर 1995-96 में 168571 करोड़ रु. हो गईं। इनमें से, 59.3 प्रतिशत करों से तथा शेष, कर-भिन्न प्राप्तियों से आईं। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, राजस्व प्राप्तियां 1991-92 में 16.20 प्रतिशत से घटकर 1995-96 में 15.34 प्रतिशत रह गईं। कर राजस्व 1994-95 में 83737 करोड़ रु. की तुलना में 1995-96 में बढ़कर 99950 करोड़ रु. हो गया। इस अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व 62932 करोड़ रु. से बढ़ कर 68621 करोड़ रु. हो गया। कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति कर राजस्व का भाग भी इस अवधि के दौरान 3.1 प्रतिशत घट गया। वर्ष 1995-96 के दौरान, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर क्रमशः 21 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कर-भिन्न प्राप्तियां पिछले वर्ष से 9 प्रतिशत बढ़ीं।

संघ सरकार का व्यय

संघ सरकार का कुल व्यय, ऋण चुकौती को छोड़ते हुए, 1994-95 में 220863 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 240656 करोड़ रु. हो गया। परन्तु स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह 1994-95 में 23.36 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 21.91 प्रतिशत रह गया।

कुल व्यय के अनुपात के रूप में, सामान्य सेवाओं का भाग 1991-92 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में 39 प्रतिशत हो गया, परन्तु स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह 8.55 प्रतिशत पर स्थिर रहा। उसी अवधि में ही कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक सेवा 3.11 प्रतिशत से बढ़ कर 3.33 प्रतिशत हो गई, परन्तु स.घ.उ.की प्रतिशतता के रूप में यह 0.75 से घट कर 0.73 प्रतिशत रह गई। उसी प्रकार, कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक सेवाएं 32.91 से सीमान्त रूप से घट कर 32.90 प्रतिशत रह गई तथा स.घ.उ.की प्रतिशतता के रूप में उसी अवधि में ही यह 7.94 प्रतिशत से घटकर 7.21 प्रतिशत रह गई।

कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में राज्यों को अनुदानों का भाग 1991-92 में 10.6 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 8.8 प्रतिशत रह गया। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राज्यों को संसाधनों का अन्तरण 1991-92 में 7.47 प्रतिशत से घटकर 1995-96 में 6.31 प्रतिशत रह गया।

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 11.59 प्रतिशत बढ़ गया तथा 1995-96 के दौरान कुल व्यय का 82 प्रतिशत हो गया। 1995-96 के दौरान ब्याज भुगतान, केन्द्रीय सरकार कर राजस्व के 61 प्रतिशत को मिलाते हुए, राजस्व व्यय का 25 प्रतिशत बना।

प्रमुख आर्थिक सहायता 1994-95 में 12388.59 करोड़ रु. से 1995-96 में 3.94 प्रतिशत बढ़ कर, 12876.48 करोड़ रु. हो गई। कुल आर्थिक सहायता में से 52.3 प्रतिशत ऊर्वरकों पर थी।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान, राजस्व व्यय का 10.9 प्रतिशत बनता था। इसके अतिरिक्त, अनुदान, सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि को भी जारी किए जाते हैं। सितम्बर 1994 तक जारी अनुदानों के संबंध में लगभग 3774 करोड़ रु. के उपयोग प्रमाण-पत्र मार्च 1996 के अन्त तक बकाया थे।

पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय 1994-95 में 19266 करोड़ रु. से 1995-96 में 9 प्रतिशत घट कर 17544 करोड़ रु. रह गया। कुल व्यय तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह पिछले वर्ष से 1.43 तथा 0.44 प्रतिशतता अंक घट गया।

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों आदि में सरकार का कुल निवेश (भा.रि.बैं. में किए

गए निवेश को छोड़ कर) 1994-95 में 71601 करोड़ रु. से बढ़ कर 31 मार्च 1996 को 73814 करोड़ रु. हो गया जिससे 3.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्राप्त लाभांशों तथा लाभों की प्रतिशतता भी 1994-95 में 1.70 प्रतिशत से बढ़ कर 1995-96 में 2.37 प्रतिशत हो गई।

1995-96 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में संघ सरकार का निवेश 1994-95 में 14753.73 करोड़ रु. से घट कर 1995-96 में 13673.68 करोड़ रु. रह गया। यह 'दिना बैंक' तथा 'बैंक ऑफ इण्डिया' में उनकी हानियों के समायोजन हेतु 1506 करोड़ रु. के निवेशों के अवलेखन के कारण है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी निवेश पर प्रतिफल 1995-96 में केवल एक प्रतिशतता अंक कम हुआ, परन्तु बैंकों को जारी प्रतिभूतियों पर सरकार द्वारा दिया गया ब्याज 1994-95 में 4.4 प्रतिशत से बढ़ कर 1995-96 में 8.9 प्रतिशत हो गया।

घाटा

5000 करोड़ रु. के बजट अनुमानों के प्रति, 1995-96 के दौरान समग्र घाटा 9808 करोड़ रु. था। 1991-92 से 1995-96 की अवधि में, राजस्व घाटा 16261 करोड़ रु. से बढ़ कर 29731 करोड़ रु. हो गया। सही शब्दों में उसी अवधि में राजकोषीय घाटा 36325 करोड़ रु. से बढ़ कर 60244 करोड़ रु. हुआ। तथापि, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा 1993-94 में 7.5 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 5.5 प्रतिशत रह गया।

मार्च 1996 के अन्त में मुद्रिकृत घाटा 19855 करोड़ रु. था। राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में मुद्रिकृत घाटा 1994-95 के दौरान 3.7 प्रतिशत के प्रति 33 प्रतिशत परिकलित किया गया।

संघ सरकार का ऋण

संघ सरकार की कुल देयताएं 1991-92 में 427322 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 703566 करोड़ रु. हो गईं। 1995-96 के दौरान कुल ऋणग्रस्तता स.घ.उ. का 64 प्रतिशत थी।

1991-92 से 1995-96 की अवधि के दौरान, आन्तरिक ऋण 172750 करोड़ रु. से बढ़ कर 307869 करोड़ रु. हो गया, जो कि 78 प्रतिशत की वृद्धि है।

आन्तरिक ऋण की प्रतिशतता के रूप में बकाया बाज़ार कर्जे पिछले वर्ष की तुलना में 49.13 प्रतिशत से बढ़ कर 53.57 प्रतिशत हो गए। पांच वर्ष की अवधि में बाजार कर्जे 78003 करोड़ रु. से बढ़ कर 164935 करोड़ रु. हो गए, जिससे 111 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

91 दिवसीय खजाना बिल (तदर्थ ख-बिलों को छोड़कर) जो लघु अवधि उधार के लिए एक साधन हैं, 1991-92 में 4855 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 14345 करोड़ रु. हो गए जिससे पिछले पांच वर्षों की तुलना में वृद्धि 195 प्रतिशत बनी। तदर्थ खजाना

बिल, जो कि मनी सप्लाई में वृद्धि को दर्शाता है, 1991-92 में 3985 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 29445 करोड़ रु. हो गए जिससे 639 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संघ सरकार के अन्य आन्तरिक उधार 1991-92 में 144964 करोड़ रु. से बढ़ कर 1995-96 में 247115 करोड़ रु. हो गए, अर्थात् 70.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विनिमय की ऐतिहासिक दरों पर विदेशी ऋण 1995-96 में 51249 करोड़ रु. था तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह 4.7 प्रतिशत परिकलित हुआ। परन्तु विनिमय की चालू दरों पर 31 मार्च 1996 को विदेशी ऋण 148583 करोड़ रु. तथा स.घ.उ. का 13.5 प्रतिशत परिकलित किया गया। 31 मार्च 1996 को अप्रयुक्त विदेशी सहायता 48574 करोड़ रु. के लगभग थी तथा देश को इन राशियों पर, उनका इस्तेमाल किए बिना वायदा प्रभार देने पड़े।

संघ सरकार की कुल बकाया गारंटियां 1991-92 में 46744 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 65573 करोड़ रु. हो गईं, इससे 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सार्वजनिक ऋण की बढ़ती मात्रा तथा उसके परिणामस्वरूप ऋण चुकौती के लिए साधनों पर पड़ने वाले दबाव के व्यय के अन्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक वित्त के पहलुओं पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ता है। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, शिक्षा पर व्यय पिछले पांच वर्षों की अवधि में 0.26 प्रतिशत के स्तर पर रहा तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय, उसी अवधि में 0.10 प्रतिशत से घट कर 0.08 प्रतिशत रह गया। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में रक्षा व्यय भी उसी अवधि में 2.74 प्रतिशत से घट कर 2.54 प्रतिशत रह गया।

वर्ष 1995-96 में तदर्थ तथा 91 दिवसीय खज़ाना बिलों को चुकाने के अतिरिक्त ऋण की वापस अदायगी के प्रति संघ सरकार का कुल व्यय 95785 करोड़ रु. था, जबकि राजस्व प्राप्तियां केवल 168571 करोड़ रु. थीं। अतः राजस्व प्राप्तियों का लगभग 57 प्रतिशत उपयोग ऋण की वापस अदायगी तथा अन्य देयताओं के लिए किया गया था। यदि उधार तथा अन्य देयताओं पर सरकार द्वारा प्रदत्त 50045 करोड़ रु. के ब्याज को वापस अदायगी में जोड़ा जाये तो इसमें राजस्व प्राप्तियों का 87 प्रतिशत खप जाता है जबकि राजस्व तथा पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए केवल 13 प्रतिशत रह जाता है।

दूसरी ओर यदि 91 दिवसीय खज़ाना बिलों से संबंधित ऋण सेवा दायित्वों को भी जोड़ा जाता है तो ऋण चुकौतियों पर कुल निर्गम सरकार की राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जायेगा।

लेखाओं पर अन्य अभ्युक्तियां

संघ सरकार के वित्त लेखाओं की पूर्णता तथा शुद्धता पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ा:

(क) वित्त लेखाओं में दर्शाए गए तथा भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में दर्शाए गए रोकड़ शेष में अन्तर, जिसका समाधान करने की आवश्यकता है;

(ख) ऐसे उचन्त शेष का होना जो विशेषकर 'भु.ले.का. उचन्त' तथा 'उचन्त लेखा (सिविल)' शीर्षों के अन्तर्गत आते हैं, संबंधित अंतिम प्राप्ति अथवा सेवा शीर्षों में लेखांकन की प्रतीक्षा में हैं;

(ग) गलत लेखांकन को दर्शाते हुए ऋण, जमा तथा प्रेषण के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष;

(घ) 'लोक ऋण' के रूप में अन्तिम लेखांकन हेतु लम्बित, परन्तु उस रूप में अन्तरित न की गई, और जमा के रूप में अन्तिम रूप से बुक की गई 1385.44 करोड़ रु. की राशि के होने के कारण 'लोक ऋण' का कम बताया जाना; तथा

(ङ.) विदेशी ऋण, जो विनिमय की ऐतिहासिक दरों पर लेखाबद्ध किए गए हैं।

भाग II

विनियोग लेखे

विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 1995-96 के दौरान, केन्द्रीय सरकार को 362902.81 करोड़ रु. की राशि मूल के रूप में तथा 15896.19 करोड़ रु. की राशि अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के रूप में प्राधिकृत की गई थी। 378799.00 करोड़ रु. के कुल प्रावधान के प्रति, कुल व्यय 322027.31 करोड़ रु. का हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 56771.69 करोड़ रु. की बचत हुई जो कि कुल प्राधिकरण का 14.99 प्रतिशत है। 87.28 करोड़ रु. का व्यय विभागों द्वारा उचित संस्वीकृति के बिना किया गया था।

प्रभारित व्यय

प्रभारित व्यय 1991-96 के दौरान कुल व्यय का 66 तथा 72 प्रतिशत के बीच बना। चूंकि प्रभारित व्यय के लिए संसद द्वारा मतदान कराने की आवश्यकता नहीं होती, अतः संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र कुल व्यय के अपेक्षाकृत थोड़े अंश तक सीमित हो जाता है। यदि वेतन पर व्यय, जो कि अधिकांशतः अपरिवर्तनीय होता है, की गणना की जाए तो समेकित निधि के कुल व्यय के केवल 20 प्रतिशत पर प्रभावी रूप से संसद में मतदान की आवश्यकता होती है।

अधिक व्यय

दो अनुदानों के अन्तर्गत 8.44 करोड़ रु. का कुल व्यय (वास्तविक अधिक व्यय 84,415,433 रु.), प्राधिकृत राशियों से बढ़ गया था, जिसका संसद द्वारा नियमन अपेक्षित है।

बचत

15 अनुदानों तथा तीन विनियोगों के 20 मामलों में, 4324.77 करोड़ रु. तथा 50190.35 करोड़ रु. की बचत 100 करोड़ रु. से अधिक थी। कृषि, स्वास्थ्य, श्रम, औद्योगिक विकास, विद्युत तथा कोयला आदि जैसे विकास के क्षेत्रों में बचत बहुत अधिक हुई। 41 मामलों में जिनमें 35 अनुदान तथा एक विनियोग अंतर्गस्त थे, क्रमशः 1797.81 करोड़ रु. तथा 25.62 करोड़ रु. की बचत 100 करोड़ रु. से कम थी परन्तु 20 करोड़ रु. से अधिक थी। नौ अनुदानों के मामले में, बचत बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक थी।

19 दत्तमत अनुदानों तथा 22 विनियोगों में, क्रमशः 116.58 करोड़ रु. तथा 1971.42 करोड़ रु. की राशि की बचत अभ्यर्पित नहीं की गई थी।

6117.08 करोड़ रु. की बजटीय वसूलियों के प्रति, वास्तविक वसूलियां 5623.64 करोड़ रु. थी।

पुनर्विनियोग

23 अनुदानों/विनियोगों में 52 उप-शीर्षों में, 365.82 करोड़ रु. का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था। कुछ मामलों में, इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत, उन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी, और अन्य मामलों में उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम अधिक व्यय की राशि इन शीर्षों से पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी।

'नई सेवा' पर व्यय

जल संसाधन मंत्रालय, संस्कृति विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चार मामलों में, 'नई सेवा' अथवा 'सेवा के नए साधन' पर लगभग 6.86 करोड़ रु. का व्यय, संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना अथवा संसद को सूचित किए बिना, किया गया था।

अनुपूरक अनुदानों का उपयोग

23 अनुदानों से संबंधित 28 मामलों में, 525.34 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहे क्योंकि इन अनुदानों के अन्तर्गत व्यय, मूल प्रावधान से भी कम था।

खाद्यान्नों के लेन-देन पर भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए मार्च 1996 में खाद्य मंत्रालय द्वारा 250 करोड़ रु. का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। 5250 करोड़ रु. के बजट प्रावधान तथा 250 करोड़ रु. के अनुपूरक प्रावधान के प्रति, भा.खा.नि. ने 5377.31 करोड़ रु. का व्यय किया तथा 122.69 करोड़ रु. की बचत हुई थी। इसमें से 120.40 करोड़ रु. मार्च 1996 में अभ्यर्पित किए गए थे। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा मार्च 1996 में दत्तमत कराया गया अनुपूरक प्रावधान अधिक अनुमानित किया गया था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(क) अनुदान सं.39-स्वास्थ्य विभाग

राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में 84.50 करोड़ रु. की निवल बचत 23.89 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान से बढ़ गई थी। पूंजीगत अनुभाग (प्रभारित) में 0.02 करोड़ रु. का प्रावधान, मुख्य शीर्ष 7601-राज्य सरकारों को कर्जे तथा अग्रिम के अन्तर्गत एक मामले में 1993-94 से 1995-96 के दौरान लगातार पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा।

स्वास्थ्य विभाग को बीमारियों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के लिए 1681.29 करोड़ रु. मुहैया कराए गए थे, परन्तु विभाग इस राशि में से केवल 1281.99 करोड़ रु. का ही इस्तेमाल कर पाया तथा 399.30 करोड़ रु. (अर्थात् संस्वीकृत प्रावधान का लगभग 24 प्रतिशत) इस्तेमाल किए बगैर छोड़ दिए।

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना 'बीमारी की रोकथाम तथा नियंत्रण' के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को मुहैया की गई धनराशि, कालाजार, राष्ट्रीय क्ष.रो. नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में 10 से 100 प्रतिशत तक इस्तेमाल की गई थी।

(ख) अनुदान सं.40 - परिवार कल्याण विभाग:

राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में 89.86 करोड़ रु. की निवल बचत, 71.64 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान से बढ़ गई। मुख्य शीर्ष '2211-परिवार कल्याण' तथा मुख्य शीर्ष '3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान' के अन्तर्गत, वर्ष 1995-96 के दौरान प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत थी।

उप-शीर्ष 'घ.1(6)-परिवार कल्याण-प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य' के अन्तर्गत 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रु., जो भी अधिक हो, से अधिक के पुनर्विनियोग पर प्रतिबन्ध से संबंधित अनुदेशों का विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अनुदान सं. 46-शिक्षा विभाग के दत्तमत भाग में, वर्ष 1995-96 के दौरान 408.81 करोड़ रु. की निवल बचत थी जो कि 1028.29 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान का 40 प्रतिशत बनती थी।

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 वर्षों के दौरान 'प्राथमिक शिक्षा-बिहार शिक्षा परियोजना', 'गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-शिक्षा का व्यावसायीकरण' 'अन्य व्यय-प्रौद्योगिकी विभाग मिशन', 'अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम- साक्षरता पश्च तथा सतत शिक्षा क्रियाकलाप', में बचत की लगातार तथा बढ़ती प्रवृत्ति थी।

अन्य अनुदान


वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान सं. 66- योजना से संबंधित शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि

(क) यद्यपि पुनर्विनियोग के लिए पर्याप्त बचत थी, आयोग ने मुख्य शीर्ष '5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय' के अन्तर्गत, विनियोग के अन्य यूनितों से निधियों का पुनर्विनियोग किए बिना, अधिक खर्च किया था।

(ख) वसूली विवरण में उपहार सामग्री के मूल्य का समायोजन पूरा करने में विफल रहने के कारण, 1995-96 के दौरान सरकार के लेखाओं में 4.39 करोड़ रु. तक का स्फीत व्यय प्रदर्शित हुआ।

भाग-I

वित्त लेखे



अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 सरकारी लेखाओं का ढांचा

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं: (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

राजस्व, कर्जों तथा कर्जों की वसूलियों से सरकार की सभी प्राप्तियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित, समेकित निधि में जाती हैं। सरकार का समस्त खर्चा इसी निधि में से किया जाता है तथा संसद से प्राधिकार के बिना इस निधि से किसी राशि का आहरण नहीं किया जा सकता। इसके मुख्यतः दो भाग हैं, जिनके नाम राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, लोक ऋण तथा कर्जें आदि) हैं।



भारत सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार की ओर से प्राप्त की गई भविष्य निधियों, लघु बचत संग्रहणों, अन्य जमा आदि जो कि सरकार की सामान्य प्राप्तियां नहीं होतीं, सहित अन्य सभी लोक धन, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित भारत के लोक लेखा को क्रेडिट किए जाते हैं। वे जमाकर्ताओं की ही होती हैं, परन्तु एक विशिष्ट अवधि अथवा प्रयोजन हेतु सरकार के पास रहती हैं। लोक लेखा से भुगतानों का संसदीय प्राधिकरण अपेक्षित नहीं है।

ऐसे भी कई अवसर हो सकते हैं जब सरकार को ऐसा कोई आवश्यक अप्रत्याशित व्यय करना पड़ जाए जिसके लिए संसद से प्राधिकार लम्बित हो। संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अधीन सृजित आकस्मिकता निधि, ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए

राष्ट्रपति के अधिकार पर रखे गए एक अग्रदाय के रूप में है। ऐसे व्यय तथा समेकित निधि से आकस्मिकता निधि को एक समान राशि के अंतरण हेतु संसद का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। संसद द्वारा प्राधिकृत इस निधि का 'संग्रह' (कार्पस) वर्तमान में, 50 करोड़ रु. है।

1.2 वार्षिक लेखे

संघ सरकार के लेखे, दो भागों में तैयार किए जाते हैं जैसे, वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे। वित्त लेखे, सरकारी लेखाओं में यथोचित वर्गीकरण के अधीन प्राप्तियों तथा व्यय, दोनों से संबंधित सभी लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर विनियोग लेखे, बजट अनुदानों में संसद द्वारा प्राधिकृत राशियों के प्रति सरकार द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशियों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किए गए किसी भी खर्च के लिए संसद द्वारा नियमन अपेक्षित है।

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तथा इन लेखाओं में विभिन्न लेन-देनों की लेखा-परीक्षा, नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971, के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नि.म.ले.प. लेखाओं को प्रमाणित करता है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 की शर्तों के अनुसार राष्ट्रपति को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करता है।

31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन निम्न प्रकार से तैयार किए गए हैं:

प्रतिवेदन सं.	निम्नलिखित पर अभ्युक्तियां शामिल करते हुए
1997 की 1	संघ सरकार (सिविल) भाग-I संघ सरकार के लेखे
1997 की 2	संघ सरकार (सिविल) भाग-II लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण मामले
1997 की 3	संघ सरकार (सिविल) भाग-III केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं का निष्पादन पुनरीक्षण
1997 की 4	संघ सरकार : अन्य स्वायत्त निकाय
1997 की 5	संघ सरकार : वैज्ञानिक विभाग
1997 की 6	संघ सरकार : डाक एवं दूर-संचार
1997 की 7	संघ सरकार: रक्षा सेवाएं (सेना एवं आयुध कारखाने)
1997 की 8	संघ सरकार: रक्षा सेवाएं (वायु सेना तथा नौ सेना)
1997 की 9	संघ सरकार: रेलवे
1997 की 10	संघ सरकार: अप्रत्यक्ष-कर (सीमा शुल्क)
1997 की 11	संघ सरकार: अप्रत्यक्ष-कर (केन्द्रीय उत्पाद)
1997 की 12	संघ सरकार: प्रत्यक्ष-कर

इनके अतिरिक्त, संघ सरकार के अधीन सार्वजनिक उद्यमों की कार्य-प्रणाली पर भी राष्ट्रपति को कई और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.4 वित्त लेखे


विनियोग लेखे, जो समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय तथा उसके अनुमोदन से ही संबंधित होते हैं, के विपरीत वित्त लेखे, सरकारी लेखाओं के सभी भागों से विस्तारपूर्वक संबंधित होते हैं। इनमें सिविल मंत्रालयों, रक्षा, डाक, दूर-संचार तथा रेलवे के लेन-देनों को शामिल करते हुए सम्पूर्ण रूप से संघ सरकार के लेखे निहित होते हैं। वे भारत की समेकित निधि में से प्राप्तियों तथा निर्गमों और लोक ऋण तथा लेखाओं में दर्ज अन्य देयताओं के लेखाओं सहित लोक लेखे को निरूपित करते हैं।

वे दो भागों में प्रस्तुत किए जाते हैं: भाग-I में संक्षिप्त विवरण तथा भाग-II में विस्तृत लेखे तथा अन्य विवरण होते हैं। सरकारी लेखाओं में समस्त लेन-देन के सार के अतिरिक्त, वित्त लेखाओं में निम्नलिखित विवरण होता है:

- (क) ऋण स्थिति का सारांश
- (ख) संघ सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां
- (ग) संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
- (घ) शेषों का सारांश

ये राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, सरकार द्वारा किए निवेशों के विस्तृत विवरणों एवं ऋण देयताओं तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों के अलावा आकस्मिकता निधि के लेखा द्वारा प्रमाणित होते हैं।

1.5 मूल्य प्रवृत्तियां



भारतीय रिजर्व बैंक के 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक की शर्तों के अनुसार मापी गई वार्षिक स्फीति दर 1994-95 में 10.4 प्रतिशत से 1995-96 के दौरान घट कर 5 प्रतिशत हो गई थी। तथापि, औसत आधार पर यह 7.8 प्रतिशत तक घट गयी थी। उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक में विभिन्नता 1995-96 के दौरान 10 प्रतिशत के औसत आधार पर पर्याप्त रूप

से अधिक थी। संघ सरकार वित्त लेखाओं का यह विश्लेषण आदर्शतः इन मूल्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

1.6 विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा की उपलब्धियां

आगामी अध्यायों में वित्त लेखाओं के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ है, पांच वर्ष की अवधि की एक प्रवृत्ति, संतुलित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की गई है। लेखाओं की शुद्धता तथा वैधता से संबंधित अभ्युक्तियां लेखाओं की नमूना-जांच तथा चुने हुए क्षेत्रों में विस्तार से की गई संवीक्षा पर आधारित हैं।

अध्याय II

लेखाओं का विहंगावलोकन

2.1 प्राप्तियां एवं संवितरण




1995-96 के दौरान, संघ सरकार की कुल प्राप्तियां 470939 करोड़ रु. की थीं जिनमें से 99950 करोड़ रु. (21.2 प्रतिशत) करों से प्राप्त हुए तथा 68621 करोड़ रु. (14.6 प्रतिशत) कर-भिन्न प्राप्तियों से प्राप्त हुए। 302368 करोड़ रु. का शेष पूंजीगत प्राप्तियां

थीं। इनमें से 180966 करोड़ रु. (कुल प्राप्तियों का 38.4 प्रतिशत) लोक ऋण प्राप्तियों, 111162 करोड़ रु. (23.6 प्रतिशत) अन्य देयताओं जैसे भविष्य निधियों, लघु बचतों आदि, 6999 करोड़ रु. (1.5 प्रतिशत) कर्मों तथा पेशगियों की वसूली और 1397 करोड़ रु. (0.30 प्रतिशत) विविध पूंजीगत प्राप्तियों जिसमें विनिवेश तथा 1844 करोड़ रु. (0.39 प्रतिशत) उचंत, प्रेषण तथा विविध के शामिल हैं। इस प्रकार संघ सरकार की आधी से अधिक प्राप्तियां (60 प्रतिशत) उधार ली गई अथवा वापस अदा की जाने वाली निधियों से प्राप्त हुईं।

वर्ष के दौरान कुल संवितरण 469283 करोड़ रु. था। इसमें से 264208 करोड़ रु. (लगभग 56 प्रतिशत) ऋण तथा अन्य देयताओं (214163 करोड़ रु. मूलधन +50045 करोड़ रु. ब्याज) की चुकौती के प्रति खर्च किए गए थे। शेष 44 प्रतिशत, में से ब्याज भुगतान के अतिरिक्त राजस्व व्यय 32 प्रतिशत था तथा ऋणों तथा पेशगियों आदि सहित पूंजीगत व्यय 12 प्रतिशत था। इस प्रकार कुल संवितरणों का आधे से अधिक ऋण तथा अन्य देयताओं की चुकौती के लिए था।

2.2 ऋण तथा घाटा



1995-96 के दौरान, आन्तरिक उधार, 1994-95 में 487682 करोड़ रु. से बढ़कर 554984 करोड़ रु. हो गए। इसी प्रकार, विदेशी ऋण 50928 करोड़ रु. से 51249 करोड़ रु. तक बढ़ गए थे। आहरण के समय प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी ऋण लेने के कारण, वर्ष 1995-96 के अंत तक संघ सरकार का कुल ऋण भार 606232 करोड़ रु. (स.घ.उ. का 55 प्रतिशत) था। यदि विदेशी ऋण को 31 मार्च 1996 की विनिमय दर में परिवर्तित किया जाता है, तो कुल ऋण भार 703566 करोड़ रु. होगा, जो कि चालू बाज़ार दर पर स.घ.उ. का 64 प्रतिशत है।

1995-96 के लिए बजटीय घाटा 5000 करोड़ रु. अनुमानित किया गया था। तथापि, वास्तविक बजटीय घाटा 9808 करोड़ रु. था जो कि 91-दिवसीय खजाना-बिल (ख-बिल) जारी करके पूरा किया गया था। इसमें 25 मार्च 1996 को जारी तथा सम्पूर्ण रूप से भा.रि.बैं. द्वारा अंशदत्त 5500 करोड़ रु. के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को हिसाब में नहीं लिया गया है। 57634 करोड़ रु. तक का अनुमानित राजकोषीय घाटा, वास्तव में 60244 करोड़ रु. हो गया था, जो कि स.घ.उ. का 5.48 प्रतिशत है।

2.3 सेक्टर सम्बन्धी खर्चों पर ऋण का प्रभाव

ऋण तथा अन्य देयताओं की चुकौती का बढ़ता हुआ बोझ संघ सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियों से भी अधिक हो गया तथा कुल संवितरण का 56 प्रतिशत बना। ऋण चुकौती की अनिवार्यता जबकि घाटे को रोकती है, ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टरों की लागत पर होती है जहां कुछ मामलों में परिव्यय की गति धीमी अथवा कम हो गई है, ऐसी ही प्रवृत्ति की चर्चा अध्याय IV में की गई है।

2.4 रिपोर्टिंग पैरामीटर

इस प्रतिवेदन के सभी अध्यायों में, तुलना की सुविधा के लिए, सभी क्षेत्रों की प्राप्तियों तथा व्यय में परिवर्तन, के.सं.सं. द्वारा उनके शीघ्र अनुमानों में अधिसूचित बाज़ार मूल्यों* पर सं.घ.उ. के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। आंकड़ों की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए सं.घ.उ. के आंकड़े बिल्कुल वही हैं जो पूर्व वर्षों के लिए सुसंगत वर्ष में नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में दर्शाए गए थे। वित्त लेखाओं के अन्य सभी आंकड़े, जहां आवश्यक हैं, उपयुक्त रूप से पूर्णांकित कर दिए गए हैं।

2.5 वित्तीय स्थिति का सार

पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार की वित्तीय स्थिति को परिकलित करने वाली विस्तृत विवरणी, परिशिष्ट I में दी गई है।

* 1098576 करोड़ रु.

अध्याय III

प्राप्तियां

3.1 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व तथा अन्य राजस्व शामिल हैं। कर राजस्व में संघ सरकार द्वारा उगाहे गए करों तथा अन्य शुल्कों की प्राप्तियां शामिल हैं। अन्य प्राप्तियों में मुख्यतः सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (राज्य के आय कर तथा सम्पदा शुल्क के अंश तथा संघ-राज्य क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि पर सम्पदा शुल्क के अंश को छोड़कर) का विश्लेषण निम्नलिखित को दर्शाता है:-

तालिका 3.1 (i) राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि

वर्ष	वास्तविक प्राप्तियां	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशतता वृद्धि	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	99830	15427	18	16.20
1992-93	114220	14390	14	16.25
1993-94	119602	5382	5	14.93
1994-95	146670	27068	23	15.51
1995-96	168571	21901	15	15.34

कुल प्राप्तियों में से, 99950 करोड़ रु. करों से आए तथा शेष 68621 करोड़ रु. कर-भिन्न प्राप्तियों से आए। राजस्व प्राप्तियां, 1994-95 में 146670 करोड़ रु. से बढ़ कर 1995-96 में 168571 करोड़ रु. हो गई। तथापि, वर्ष 1994-95 में 18 प्रतिशतता अंकों की महत्वपूर्ण वृद्धि की तुलना में, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, पूर्व वर्ष से 1995-96 में 8 प्रतिशतता अंक घट गई। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 1991-92 में 16.20 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 15.34 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 1991-92 में 37.4 प्रतिशत से घट कर 1995-96 के दौरान 35.8 प्रतिशत हो गया।

1995-96 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः निगम कर (2665 करोड़ रु.), निगम कर के अतिरिक्त आय कर (849 करोड़ रु.), सीमा शुल्क (8968 करोड़ रु.), संघ उत्पाद शुल्क (2840 करोड़ रु.), ब्याज कर (369 करोड़ रु.), सेवा कर (454 करोड़ रु.) ब्याज प्राप्तियां (2623 करोड़ रु.), विविध सामान्य प्राप्तियां (218 करोड़ रु.), अन्य संचार सेवा (1353 करोड़ रु.) तथा विदेशी अनुदान सहायता (147 करोड़ रु.) के कारण थी। उसी समय अन्य राजकोषीय सेवाओं, लाभांशों तथा लाभों तथा

पुलिस से प्राप्तियों ने उसी अवधि के दौरान, क्रमशः 123 करोड़ रु., 2998 करोड़ रु. तथा 54 करोड़ रु. की कमी दर्ज की। राजकोषीय सुरक्षा का एक साधन होने के कारण सीमा शुल्क, कर प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण अंश हो गया है।

3.2 कर राजस्व

पिछले पांच वर्षों के दौरान, कर राजस्व की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी :-

तालिका 3.2(i): कर राजस्व की वृद्धि

वर्ष	कर राजस्व	(करोड़ रुपये में)
		स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	62257	10.11
1992-93	68579	9.76
1993-94	67975	8.49
1994-95	83737	8.86
1995-96	99950	9.10

* निगम कर से इतर आय पर करों की निवल प्राप्तियों का हिस्सा शामिल नहीं है, परन्तु राज्यों को समनुदेशित उत्पाद शुल्क का हिस्सा शामिल है।

कर राजस्व 1994-95 में 83737 करोड़ रु. से बढ़ कर 1995-96 में 99950 करोड़ रु. हो गया। तथापि, 1986-91 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 74 प्रतिशत के कर राजस्व की वृद्धि की तुलना में, यह 1991-96 के दौरान 61 प्रतिशत तक नीचे आ गया। कर राजस्व, 1986-91 के दौरान पांच वर्ष की अवधि में सं.घ.उ. का औसतन 10.4 प्रतिशत बना, परन्तु 1991-96 की अवधि के दौरान, यह घट कर सं.घ.उ. का 9.26 प्रतिशत रह गया। कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति कर राजस्व का अंश 1991-92 में 62.4 प्रतिशत था जो सम्पूर्ण अवधि में 37693 करोड़ रु. की महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद 1995-96 में घट कर 59.3 प्रतिशत हो गया।

कर राजस्व, 1986-91 के बीच 15 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर पर बढ़ा था, परन्तु 1991-96 के दौरान यह घट कर 14 प्रतिशत हो गया था। तथापि, 1994-95 की तुलना में 1995-96 में कर राजस्व में वृद्धि 19 प्रतिशत थी।

कर राजस्व (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष) पर विस्तृत अभ्युक्तियां, राजस्व प्राप्तियों पर नि.म.ले.प. के 1997 के प्रतिवेदन सं. 10,11 तथा 12 में निहित हैं।


तालिका 3.2(ii): प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर की वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रत्यक्ष* कर	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	कर राजस्वों की प्रतिशतता के रूप में	अप्रत्यक्ष कर	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	कर राजस्वों की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	10248	1.7	16.46	52009	8.4	83.54
1992-93	12082	1.7	17.62	56497	8.0	82.38
1993-94	12531	1.6	18.43	55444	6.9	81.57
1994-95	18411	1.9	21.99	65326	6.9	78.01
1995-96	22290	2.0	22.30	77660	7.1	77.70

* इसमें भू-राजस्व तथा स्टाम्प तथा पंजीकरण की प्राप्ति शामिल नहीं हैं।

प्रत्यक्ष कर 1994-95 में 18411 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 22290 करोड़ रु. हो गए जिससे 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसी प्रकार उसी अवधि में प्रत्यक्ष करों की वृद्धि 19 प्रतिशत थी।



स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्रत्यक्ष कर 1991-92 में 1.7 प्रतिशत से बढ़ कर 1995-96 में 2 प्रतिशत हो गया जिससे 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, दूसरी ओर उसी अवधि में अप्रत्यक्ष कर 1.3 प्रतिशतता अंक से घट गया जिससे स.घ.उ. की तुलना में कुल कर राजस्व में कमी आई।

3.3 कर-भिन्न राजस्व

तालिका 3.3 (i) : कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कर-भिन्न राजस्व *	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	37574	6.1
1992-93	45641	6.4
1993-94	51627	6.5
1994-95	62932	6.7
1995-96	68621	6.2

* इसमें विदेशी अनुदान सहायता तथा सहायक सामग्री एवं उपकरण शामिल हैं।

1995-96 के दौरान कर-भिन्न राजस्व 5689 करोड़ रु. बढ़ गए, जो पिछले वर्ष से लगभग 9 प्रतिशत अधिक थे। इस संबंध में, पिछले पांच वर्षों में लाभांशों तथा लाभों की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी :-

तालिका 3.3 (ii) : लाभांश तथा लाभ

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि	कर-भिन्न राजस्व की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	1058	2.8
1992-93	2493	5.5
1993-94	2451	4.7
1994-95	8304	13.2
1995-96	5306	7.7

कर-भिन्न राजस्व की प्रतिशतता के रूप में लाभांशों तथा लाभों में 1993-94 में 4.7 प्रतिशत से 1994-95 में 13.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि केवल भा.रि.बैं. द्वारा सरकार को बिना किसी अतिरिक्त बजटीय प्रावधान के विदेशी मुद्रा अ-निवासी जमा लेखाओं (वि.मु.अ. नि.ले.) से संबंधित विनिमय जोखिम देयताओं को सहन करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने के लिए 1994-95 में 5587 करोड़ रु. अंतरित करने के कारण थी। उसी प्रयोजन हेतु 2058 करोड़ रु. की राशि का अंतरण 1995-96 में किया गया था। यह परिवर्धन, न केवल कर-भिन्न राजस्व के लिए, बल्कि संघ सरकार की, कुल निवेश के प्रति लाभांशों/लाभों की प्रतिशतता की महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी है।

अध्याय IV

संघ सरकार का व्यय

4.1 व्यय की प्रवृत्ति

भारत की समेकित निधि में से, ऋण की वापस अदायगी को छोड़ कर, राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के सभी व्ययों को निर्दिष्ट करने के लिए इस प्रतिवेदन में 'कुल संवितरण' जिसमें ऋण की वापस अदायगी तथा लोक लेखा भुगतान सम्मिलित हैं, के बजाए शब्द 'कुल व्यय' का उपयोग किया गया है।


पिछले पांच वर्षों के दौरान, ऋण की वापस अदायगी को छोड़कर, भारत की समेकित निधि में से संघ सरकार के कुल व्यय की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी :

तालिका 4.1 : संघ सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय		कर्जे		कुल व्यय	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर		
1991-92	15160	100931	6411	7500	10182	8521	148705	24.14
1992-93	19862	112932	7023	13563	10561	7058	170999	24.23
1993-94	24890	127427	10879	13771	13658	8216	198841	24.82
1994-95	28304	149395	10543	8723	12932	10966	220863	23.36
1995-96	29021	169281	5786	11758	12417	12393	240656	21.91

संघ सरकार का कुल व्यय 1994-95 में 220863 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 240656 करोड़ रु. हो गया जो पिछले वर्ष से 8.96 प्रतिशत अधिक था। तथापि, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह 1994-95 में 23.36 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 21.91 प्रतिशत हो गया। 1995-96 के दौरान योजनागत व्यय कुल व्यय का 19.6 प्रतिशत था जबकि योजनेत्तर व्यय 80.4 प्रतिशत अर्थात् योजनागत व्यय के चार गुणा से अधिक था। यह ध्यान देने योग्य है कि योजनागत व्यय कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में 1994-95 की तुलना में 1995-96 में 3.8 प्रतिशतता अंक गिर गया।



संघ सरकार का कुल व्यय 1986-87 से 1990-91 की अवधि के दौरान स.घ.उ. के 27 प्रतिशत की औसत से घट कर 1991-92 से 1995-96 की अवधि के बीच 24 प्रतिशत की औसत तक हो गया। इस 3 प्रतिशतता अंक की भारी कमी पूंजीगत व्यय

(संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों सहित) में कमी के कारण थी जो स.घ.उ. के 7.1 प्रतिशत से घट कर 5.0 प्रतिशत हो गया था। पांच वर्ष की अवधि में, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय (कर्ज सहित), का औसत अंश 1986-91 के दौरान 26.54 प्रतिशत से तेजी से घट कर 1991-96 के दौरान 20.96 प्रतिशत हो गया था।

जहां तक राजस्व व्यय का संबंध है, ब्याज भुगतान जो 1986-91 के दौरान स.घ.उ. के 3.61 प्रतिशत की औसत तक बढ़े थे, 1991-96 के दौरान 4.51 प्रतिशत की औसत तक और बढ़ गए थे। दूसरी ओर, ब्याज भुगतानों के अतिरिक्त राजस्व व्यय, 1986-91 के दौरान औसतन स.घ.उ. के 16 प्रतिशत से घट कर 1991-96 के दौरान स.घ.उ. का 14 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 1991-92 में 17.9 प्रतिशत से बढ़ कर 1995-96 में 20.8 प्रतिशत हो गये। दूसरी ओर ब्याज भुगतानों को छोड़ कर राजस्व व्यय उसी समय में 1.4 प्रतिशतता अंक तक बढ़ गया।

4.2 सेक्टर सम्बंधी व्यय

संघ सरकार के लेखाओं में, लेन-देन विभिन्न शीर्षों में लेखाबद्ध किए जाते हैं जो कि आगे सेक्टरों में बांटे जाते हैं। व्यय शीर्ष, सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में बांटे जाते हैं। विशिष्ट कार्य अथवा सेवाओं को एक सेक्टर में बांटा जाता है। उदाहरणार्थ, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति तथा सफाई, आवास तथा शहरी विकास आदि को समाज सेवाओं में बांटा जाता है। उसी प्रकार, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग तथा खान, परिवहन, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण, पर्यटन, विदेशी व्यापार तथा सिविल आपूर्ति आदि को आर्थिक सेवाओं में शामिल किया जाता है। दूसरी ओर सामान्य सेवाओं में,

राज्य के अंगों पर व्यय, माल तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण, राजकोषीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं, रक्षा सेवाएं तथा पेंशन शामिल हैं।

अतः सेक्टर संबंधी वर्गीकरण, मोटे तौर पर विशिष्ट कार्यों तथा सेवाओं के समूह पर व्यय को दर्शाता है। राज्य सरकारों को सहायता अनुदान, एक पृथक व्यय के ब्लॉक को निरूपित करते हैं, जिनमें संबंधित राज्य सरकारों के लेखाओं में विस्तृत उपयोग दर्शाया जाता है। इनका राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों सहित, पृथक रूप से विश्लेषण किया गया है। बजाय इस बात के कि परिसम्पत्तियों का सृजन हो, सेवा प्रदान करने की गतिविधि में लगे रहना एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है।

उपर्युक्त आधार पर व्यय की सेक्टर-संबंधी प्रवृत्ति का, अगले पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है।

तालिका 4.2 : संघ सरकार का सेक्टर-संबंधी व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र •	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
सामान्य सेवाएं φ	52671	61366	71913	81208	93934
कुल व्यय की % ता के रूप में	35.42	35.89	36.17	36.77	39.03
स.घ.उ. की %ता के रूप में	8.55	8.73	8.98	8.59	8.55
सामाजिक सेवाएं	4621	5136	5642	6189	8006
कुल व्यय की % ता के रूप में	3.11	3.00	2.84	2.80	3.33
स.घ.उ. की % ता के रूप में	0.75	0.73	0.70	0.65	0.73
आर्थिक सेवाएं	48939	58304	70340	77861	79165
कुल व्यय की %ता के रूप में	32.91	34.1	35.37	35.25	32.90
स.घ.उ. की %ता के रूप में	7.94	8.30	8.78	8.23	7.21

• इस वर्गीकरण में विदेशी सरकारों को कर्जें तथा सं.रा.क्षे. की सरकारों को कर्जें तथा पेशगियां, जो किसी विशेष समूह के अंतर्गत नहीं आते, शामिल नहीं हैं।

φ इस वर्गीकरण में सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्जें तथा विविध कर्जें शामिल हैं।

सही शब्दों में, सामान्य सेवाओं पर व्यय 1991-92 में 52671 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 93934 करोड़ रु. हो गया, जिससे 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि में आर्थिक सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं पर वृद्धि क्रमशः 62 प्रतिशत तथा 73 प्रतिशत थी। कुल व्यय के अनुपात में, सामान्य सेवाओं का अंश 1991-92 में 35 प्रतिशत

से बढ़ कर 1995-96 में 39 प्रतिशत हो गया परन्तु स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, उसी अवधि में यह 8.55 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

कुल व्यय की तुलना में सामाजिक सेवाओं का अंश 1991-92 में 3.11 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में 3.33 प्रतिशत हो गया, परन्तु स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह 0.75 प्रतिशत से घट कर 0.73 प्रतिशत हो गया।

आर्थिक सेवाओं का अंश, जिसमें महत्वपूर्ण संरचना क्षेत्र जैसे सड़कें, कोयला, विद्युत आदि शामिल हैं, 1994-95 में 35.25 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 32.90 प्रतिशत हो गया, जो कि 1991-92 में दर्ज किये गए 32.91 प्रतिशत के निकट है। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, उसी अवधि में यह 8.23 प्रतिशत से गिर कर 7.21 प्रतिशत हो गया था जो 1991-92 के दौरान पिछले पांच वर्षों में दर्ज किये गए 7.94 प्रतिशत से कम था।


4.3 राज्यों को अंतरण

कर-राजस्व के अंश के अतिरिक्त, संघ सरकार, राज्य सरकारों को अनुदानों तथा कर्जों के रूप में सहायता प्रदान करती है। पिछले पांच वर्षों के लिए, केन्द्र द्वारा राज्यों को संसाधनों के अंतरण निम्न प्रकार से थे:

तालिका 4.3 : राज्यों को अंतरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आय कर का हिस्सा	उत्पाद शुल्क का हिस्सा	अनुदान	कर्ज	जोड़	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राज्यों का हिस्सा
1991-92	5104	12093	15700	13145	46042	7.47
1992-93	6059	14465	17830	13282	51636	7.35
1993-94	7768	14473	20830	15075	58146	7.26
1994-95	8560	16283	20047	18234	63124	6.68
1995-96	11274	18011	21287	18763	69335	6.31



संघ सरकार द्वारा राज्यों को अंतरित संसाधनों का कुल हिस्सा 1991-92 में 46042 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 69335 करोड़ रु. हो गया जो 50.6 प्रतिशत की वृद्धि बनाता था। तथापि, स.घ. उ. की प्रतिशतता के रूप में संसाधनों के अंतरण में

गिरावट 1991-92 में 7.47 प्रतिशत से 1995-96 के दौरान 6.31 प्रतिशत तक थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में अनुदान 1991-92 के दौरान 10.6 प्रतिशत से कम हो कर 1995-96 में 8.8 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान कर्जे भी 8.8 प्रतिशत से गिर कर 7.8 प्रतिशत हो गए। तथापि, करों का राज्य का हिस्सा सकल कर-राजस्व की प्रतिशतता के रूप में 1991-92 में 25.5 प्रतिशत सीमांत रूप से बढ़कर 1995-96 में 26.3 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1995-96 में, संघ सरकार द्वारा 18763 करोड़ रु. की राशि राज्यों को कर्जों तथा पेशगियों के रूप में दी गई थी, जबकि उसी दौरान राज्यों द्वारा 17669 करोड़ रु. (वापस अदायगी + ब्याज) का भुगतान किया गया था जो राज्यों द्वारा संघ सरकार से प्राप्त कर्जों का लगभग 94 प्रतिशत बनता था। इस प्रकार, इस स्रोत से राज्यों को निवल उपचय, पहले दिए गए कुल कर्जों का 6 प्रतिशत परिकलित किया गया था।

अध्याय V

राजस्व व्यय

5.1 राजस्व व्यय की प्रवृत्ति

राजस्व व्यय सरकारी विभागों तथा विविध सेवाओं के सामान्य रूप से कार्य करने, सरकार द्वारा उठाए गए ऋण पर ब्याज प्रभारों, आर्थिक सहायता इत्यादि के लिए होता है। मौटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि व्यय जिसका परिणाम परिसम्पत्तियों के सृजन में न हो, को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। राज्य सरकारों तथा अन्य पार्टियों को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए हो।

राजस्व व्यय 1994-95 में 177699 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 198302 करोड़ रु. हो गया, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 11.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। योजनेत्तर राजस्व व्यय 1995-96 में पिछले वर्ष से 13.3 प्रतिशत से तीव्रता से बढ़ा, जबकि उसी अवधि के दौरान योजनागत व्यय उसी वर्ष में 2.5 प्रतिशत बढ़ा। पिछले पांच वर्षों की अवधि में राजस्व व्यय ने 82111 करोड़ रु. की वृद्धि दर्ज की जो कि इसी अवधि के दौरान 71 प्रतिशत की वृद्धि थी।

तालिका 5.1 : राजस्व व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय			पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय
	योजनागत	योजनेत्तर	जोड़		
1991-92	15160	100931	116091	13127	18.84
1992-93	19862	112932	132794	16703	18.89
1993-94	24890	127427	152317	19523	19.02
1994-95	28304	149395	177699	25382	18.79
1995-96	29021	169281	198302	20603	18.05

पिछले वर्ष की तुलना में 1995-96 में राजस्व व्यय की 20603 करोड़ रु. की वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान (5985 करोड़ रु.), रक्षा सेवायें (2506 करोड़ रु.), राज्यों को उत्पाद शुल्क के हिस्से का भुगतान (1728 करोड़ रु.), ग्रामीण रोजगार (1138 करोड़ रु.), खेती-बाड़ी (773 करोड़ रु.) तथा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (1240 करोड़ रु.), पुलिस (423 करोड़ रु.), पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (634 करोड़ रु.), सामान्य शिक्षा (697 करोड़ रु.) तथा विविध सामान्य सेवाओं (1081 करोड़ रु.) पर बढ़े हुए व्यय के कारण थी।

उसी समय कुछ क्षेत्रों में राजस्व व्यय पिछले वर्ष से घट गया। मुख्य कमियां, अन्य सामान्य आर्थिक सेवा (3161 करोड़ रु.), विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन (350 करोड़ रु.), अन्य कृषि कार्यक्रमों (340 करोड़ रु.) तथा अन्य राजकोषीय सेवाओं (123 करोड़ रु.) में थीं।

1995-96 के दौरान राजस्व व्यय संघ सरकार के कुल व्यय का 82 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। संघ सरकार के कुल व्यय, जो कि स.घ.उ. का 22 प्रतिशत था, के राजस्व व्यय का हिस्सा स.घ.उ. के लगभग 18 प्रतिशत था। राजस्व व्यय की कुछ महत्वपूर्ण मदों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.2 ब्याज भुगतान

संघ सरकार द्वारा कुल ब्याज भुगतान 1994-95 में 44060 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 50045 करोड़ रु. हो गया जिससे उस अवधि में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतानों में यह वृद्धि राजस्व व्यय की समग्र वृद्धि से अधिक ऊंची थी जो कि उसी अवधि में 11.6 प्रतिशत थी। 1995-96 के दौरान ब्याज भुगतानों पर कुल राजस्व प्राप्तियों का 30 प्रतिशत उपयोग हुआ तथा यह कुल राजस्व व्यय का 25 प्रतिशत था। पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी:

तालिका 5.2 : ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण	बाह्य ऋण	लघु बचत भ.नि.	अन्य	जोड़	कुल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	11317	2704	12083	492	26596	42.72	4.32
1992-93	13542	3529	13436	568	31075	45.31	4.42
1993-94	15587	3724	16936	494	36741	54.05	4.59
1994-95	19168	4026	20313	553	44060	52.62	4.66
1995-96	22179	4414	22531	921	50045	50.07	4.56

उपर्युक्त तालिका से यह देखने में आएगा कि कुल ब्याज भुगतान 1991-92 में 26596 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 50045 करोड़ रु. हो गया जिससे पांच वर्ष की अवधि में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले पांच वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों की प्रतिशतता वृद्धि राजस्व व्यय में समग्र 71 प्रतिशत वृद्धि से बहुत अधिक थी। आन्तरिक ऋण पर ब्याज भुगतान में 96 प्रतिशत की वृद्धि अभी भी अधिक थी जिसमें से केवल बाजार कर्जों पर ही ब्याज वृद्धि 116 प्रतिशत थी।

अन्य ब्याज भुगतान अर्थात् आरक्षित निधियां तथा निक्षेप आदि 1991-92 में 492 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 921 करोड़ रु. हो गए, जोकि 87 प्रतिशत की वृद्धि थी। लघु बचतों पर ब्याज भुगतान से भी 86 प्रतिशत की वृद्धि दशति हुए 1991-92 में 12083 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 22531 करोड़ रु. हुई।



बाह्य ऋण पर ब्याज भुगतान 1991-92 में 2704 करोड़ रु. से 1995-96 में 4414 करोड़ रु. हो कर 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस प्रकार ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का 25 प्रतिशत बनाते

हुए तथा केन्द्र सरकार के निवल कर राजस्व (अर्थात् आयकर तथा उत्पाद शुल्क के राज्य हिस्से को छोड़ कर) के 61 प्रतिशत को अवशोषित करते हुए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे वर्तमान में स.घ.उ. का लगभग 4.56 प्रतिशत बनते हैं जो रक्षा सेवाओं के कुल व्यय (स. घ.उ. का 2.54 प्रतिशत) तथा राज्यों को किए गए संसाधनों के निवल अंतरण (स.घ.उ. का 4.7 प्रतिशत) के समीप है।

5.3 परिदान

पिछले पांच वर्षों के लिए मदवार मुख्य परिदानों की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी:

तालिका 5.3 : मुख्य परिदानों पर व्यय

	(करोड़ रुपयों में)				
	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
साद्य परिदान	2850.00	2800.00	5537.14	5100.00	5377.31
देशज उर्वरकों पर परिदान	3500.00	4800.00	3800.00	4075.00	4300.00
आयातित उर्वरकों पर परिदान	1299.60	996.11	761.83	1166.00	1934.99
विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान	-	-	-	516.76	500.00
ब्याज परिदान	323.09	112.56	147.74	111.26	58.11
निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास हेतु सहायता	1753.77	818.50	664.72	658.00	318.00
लाभांश राहत आदि के लिए रेलवे को परिदान	311.76	352.61	412.03	420.57	388.07
किसानों को ऋण राहत	1425.00	1500.00	500.00	341.00	-
जोड़	11455.22	11379.78	11823.46	12388.59	12876.48

मुख्य परिदान 1994-95 में 12388.59 करोड़ रु. से 1995-96 में 12876.48 करोड़ रु. हो कर 488 करोड़ रु. बढ़ गये जिससे 3.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में 1991-92 में परिदान 9.9 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 6.5 प्रतिशत हो गए तथा कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में वे 1991-92 में 7.7 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 5.4 प्रतिशत हो गए। कुल परिदानों में से 52.3 प्रतिशत उर्वरकों पर थे। यह ध्यान देने योग्य है कि आयातित उर्वरकों पर परिदान 1993-94 में 761.83 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 1934.99 करोड़ रु. हो गए जो कि 154 प्रतिशत की वृद्धि थी। आयातित उर्वरकों पर परिदान भी 1995-96 के बजट अनुमानों से भी 17.3 प्रतिशत बढ़ गया। इस सम्बंध में वास्तविक व्यय 1650 करोड़ रु. के बजट अनुमान के प्रति 1935 करोड़ रु. था।

5.4 सहायता अनुदान

राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण संघटक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य को सहायता अनुदान देना है। पिछले पांच वर्षों में राज्यों तथा सं.रा.क्षे. को सहायता अनुदान की प्रवृत्ति निम्न प्रकार थी :-

तालिका 5.4 : राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान

वर्ष	राशि	(करोड़ रुपयों में)
		राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	15805	13.6
1992-93	17943	13.5
1993-94	20956	13.8
1994-95	20297	11.4
1995-96	21577	10.9

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1991-92 से 1995-96 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में राज्यों तथा संघ राज्य सरकारों को अनुदानों का प्रतिशत 11 से 14 तक रहा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, संघ सरकार द्वारा सांविधिक निकायों, तथा गैर सरकारी संस्थाओं आदि को भी अनुदान जारी किए जाते हैं। इन निकायों की कार्य प्रणाली पर विस्तृत टिप्पणियां 'स्वायत्त निकायों' पर नि.म.ले.प. के वर्ष 1997 के प्रतिवेदन संख्या 4 में अंतिमिष्ट है।

संस्वीकृतिदाता प्राधिकारियों अर्थात् सम्बद्ध मंत्रालय अथवा विभाग से लेखा महानियंत्रक को उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे तथा जहां अनुदान सशर्त जारी किए गए थे, निर्धारित शर्तें पूरी की गई थीं।

प्रमुख दोषी मंत्रालय	
1736	मानव संसाधन विकास
608	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
270	पर्यावरण एवं वन
205	इलेक्ट्रॉनिक्स
202	कृषि
(करोड़ रुपये में)	
उपयोग प्रमाण-पत्रों के अभाव में अनुदानों का वास्तविक उपयोग प्रमाणित नहीं किया जा सकता	

सितम्बर 1994 तक 29 मंत्रालयों/विभागों से जारी किए अनुदानों के संबंध में मार्च 1996 के अंत तक 3774.41 करोड़ रु. के 29627 उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया थे जैसा कि परिशिष्ट-II में दिया गया है। परिशिष्ट से पता चलेगा कि उपयोग प्रमाण-पत्र

20 वर्ष तक बकाया थे। कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन (प्रशिक्षण डिविजन), विधि, न्याय एवं कम्पनी मामले, कल्याण, अपरम्परागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालयों/विभागों ने बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों के बारे में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

उपयोग प्रमाण-पत्र के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिन के लिए वे अभिप्रेत थे। इसलिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की समय पर प्राप्ति की निगरानी की प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाने तथा पहले दिए गए अनुदानों के संतोषजनक उपयोग के पश्चात् ही अनुदानों के अगले निर्गम के नियमन हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अध्याय VI

पूँजीगत व्यय

6.1 पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति


परिसम्पत्तियां अधिकतर पूँजीगत व्यय से सृजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिसम्पत्तियां संस्थाओं अथवा वाणिज्यिक उपक्रमों (अर्थात् सा.क्षे.उ. तथा निगम) में निवेश किए गए धन तथा ऋणों एवं पेशगियों से उदभूत होती हैं। पिछले पांच वर्षों में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति इस प्रकार थी:-

तालिका 6.1 : पूँजीगत व्यय

वर्ष	वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय (करोड़ रुपयों में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	13911	3.91	9.35	2.26
1992-93	20586	47.98	12.03	2.93
1993-94	24650	19.74	12.40	3.08
1994-95	19266	(-) 21.84	8.72	2.04
1995-96	17544	(-)8.94	7.29	1.60

संघ सरकार का पूँजीगत व्यय 1994-95 में 19266 करोड़ रु. से घटकर 1995-96 में 17544 करोड़ रुपये हो गया जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की कमी हुई।

अत्यावश्यक विकास क्षेत्रों में पूँजीगत व्यय में कटौती



कुल व्यय की तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 1.43 तथा 0.44 प्रतिशतता अंक कम हुआ। पूँजीगत व्यय में, 1995-96 के दौरान योजनेत्तर पूँजीगत व्यय में 35 प्रतिशत की वृद्धि के

प्रति, पिछले वर्ष में 45 प्रतिशत की कमी हुई।

पिछले दो वर्षों से निरन्तर बहुत से अत्यावश्यक विकासात्मक क्षेत्रों में, पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में कमी देखने में आई। 511 करोड़ रु. की अधिकतम कमी

विद्युत परियोजनाओं पर थी, जिसके बाद 99 करोड़ रु. की सड़क और पुलों तथा 53 करोड़ रु. की चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर थी। परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और सफाई, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उर्वरक मंत्रालय और डेरी विकास जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी पिछले वर्ष की तुलना में सीमान्त कमी आई है।

पूँजीगत व्यय की मुख्य मदों का विश्लेषण अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

6.2 निवेश एवं प्रतिफल

1991-92 से 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि में किए गए निवेशों तथा प्राप्त लाभांश के ब्यौरे परिशिष्ट-III में दिए गए हैं।


सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि में सरकार के कुल निवेश (भारतीय रिज़र्व बैंक को छोड़ कर) 31 मार्च 1995 को 71601.21 करोड़ रु. से बढ़ कर 31 मार्च 1996 को 73814.26 करोड़ रु. हो गए।

238 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में 49737.75 करोड़ रु. के निवेश, जो कि 31 मार्च 1996 को निवेश का केवल 2.45 प्रतिशत था, के प्रति 1995-96 के दौरान 1216.47 करोड़ रु. का लाभांश प्राप्त हुआ था।

राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों, औद्योगिक विकास बैंक तथा रिज़र्व बैंक को छोड़ कर) में 1995-96 तक किए गए 1435 करोड़ रु. पर किए गए निवेश पर कुल लाभांश 1994-95 में 1.36 प्रतिशत की तुलना में 1995-96 में 1.13 प्रतिशत था। 1975 में स्थापित ग्रामीण बैंकों से 31 मार्च 1995 तक किए गए 227 करोड़ रु. के कुल निवेश पर अभी तक कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है। 1995-96 के दौरान इन बैंकों में 245.00 करोड़ रु. की और राशि का निवेश किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जिनमें 1995-96 तक 449.00 करोड़ रु. (क्रमशः 250 करोड़ रु. तथा 199 करोड़ रु.) का निवेश किया गया था, ने भी कोई लाभांश नहीं दिया।

सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, जो कि नि.म.ले.प. के क्षेत्राधिकार में हैं, में निवेशों तथा प्रतिफलों पर विस्तृत टिप्पणियां, लोक उद्यमों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

6.3 राष्ट्रीयकृत बैंकों को बजटीय सहायता



राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनकी शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए बजटीय सहायता जाती है। वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों में शेयर पूंजी के प्रति जारी की गई राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में पुनर्निवेश करने की व्यवस्था की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस निवेश का बजट पर कोई प्रभाव न पड़े। इस व्यवस्था से बैंकों को कोई सहायता नहीं मिलती क्योंकि यह केवल कागज़ों में बढ़ाने के सिवाय इनकी पूंजी को नहीं बढ़ाता है।

पिछले पांच वर्षों के लिए बैंकों से प्राप्त लाभांश तथा सरकार द्वारा बैंकों को प्रतिभूतियों पर दिए गए ब्याज की प्रवृत्ति इस प्रकार थी:-

तालिका 6.3 : राष्ट्रीयकृत बैंकों (रा.बैं.) को बजटीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	31 मार्च को रा. बैं. में निवेश	प्राप्त लाभांश	31 मार्च को संघ सरकार द्वारा रा. बैं. को जारी प्रतिभूतियां	सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज
1991-92	2979.01	54.59	3510.88	170.38
1992-93	3739.59	80.88	4212.13	209.89
1993-94	9464.89	3.58	9934.90	327.73
1994-95	14753.73	14.35	14297.44	631.79
1995-96	13673.68	104.15	15147.43	1342.09

राष्ट्रीयकृत बैंकों में संघ सरकार का निवेश 7.3 प्रतिशत घटकर 1994-95 में 14753.73 करोड़ रु. से 1995-96 में 13673.68 करोड़ रु. तक हो गया था। यह बैंक ऑफ इंडिया तथा देना बैंक में उनकी हानियों के समायोजन हेतु 1995-96 के दौरान 1506 करोड़ रु. के निवेश के अवलेखन के कारण है। इसके अतिरिक्त, 1996-97 के बजट अनुमानों में इंडियन बैंक (376 करोड़ रु.), विजया बैंक (156 करोड़ रु.) तथा इंडियन ओवरसीज बैंक (1000 करोड़ रु.) में इसी प्रकार निवेश के अवलेखन का प्रावधान किया गया है। यह विशेष चिन्ता की बात है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के वित्तीय परिणामों में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ है और यहां तक कि सरकार के निवेशों पर प्रतिफल 1995-96 में कुल निवेश का एक प्रतिशत कम हो गया, परन्तु बैंकों को जारी प्रतिभूतियों पर सरकार द्वारा दिए गए ब्याज की दर 1994-95 में 4.4 प्रतिशत से बढ़ कर 1995-96 में 8.9 प्रतिशत हो गयी। अतः घटिया निष्पादन हेतु कारणों की पहचान करने तथा इस क्षेत्र में किए गए निवेशों पर प्रतिफल में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है।

अध्याय VII

घाटा

7.1 सरकारी लेखे में घाटा

जब कर और कर-भिन्न प्राप्तियों के रूप में सरकार की आय, किए जाने वाले पूंजीगत और राजस्व व्यय से कम पड़ती है तो अंतर राजकोषीय घाटा बनता है। यह घाटा विभिन्न स्रोतों से उधार लेकर वित्तपोषित किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा, स.घ.उ. का 5.5 और 7.5 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा है और 1995-96 के दौरान सबसे कम था। सही अर्थों में यह 36325 करोड़ रु. और 60256 करोड़ रुपये के बीच हुआ है और वर्ष 1993-94 के दौरान सबसे अधिक था। घाटे विभिन्न तरीके से, सार्वजनिक व्यय अथवा प्राप्तियों के विशिष्ट अवयवों को सम्मिलित करके या छोड़कर, संगणित किए जाते हैं। इन पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.2 समग्र घाटा

समग्र घाटा जिसे बजटीय घाटे के रूप में भी जाना जाता है; कुल प्राप्तियों (समेकित निधि के तथा लोक लेखा दोनों में) की तुलना में कुल व्यय के अधिक होने को दर्शाता है। यह अंतर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोके गए तदर्थ खजाना बिलों सहित 91-दिवसीय खजाना बिलों (ख.-बिलों) को जारी करके वित्तपोषित किया जाता है। खजाना बिल ऐसे साधन हैं जो केन्द्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थाई संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्पकालीन कर्ज उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं। उधार के साधन के रूप में ख-बिलों के विभिन्न पहलुओं की इस प्रतिवेदन के अध्याय-VIII में चर्चा की गई है।

1995-96 के दौरान समग्र घाटे का ब्यौरा निम्नवत था:-

तालिका 7.2 (i) : समग्र घाटे का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

समेकित निधि			
प्राप्ति	राशि	संवितरण	राशि
राजस्व	168571	राजस्व	198302
विविध पूंजीगत प्राप्तियां (विनिवेश सहित)	1397	पूंजीगत	17544
कर्जों और पेशगियों की वसूली	6999	कर्जों और पेशगियों का संवितरण	24810
लोक ऋण (91-दिवसीय, ख-बिलों को छोड़कर)	51124	लोक ऋण की वापस अदायगी (91-दिवसीय, ख-बिलों को छोड़कर)	20868
जोड़	228091	जोड़	261524
क: भारत की समेकित निधि में घाटा		= 33433 करोड़ रु.	
लोक लेखे			
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	58879	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	37662
जमा और पेशगियां •	38376	जमा और पेशगियां	34552
आरक्षित निधियां ▲	13907	आरक्षित निधियां	13211
उचन्त एवं विविध φ	1447	उचन्त एवं विविध	3267
प्रेषण ψ	397	प्रेषण	689
जोड़	113006	जोड़	89381
ख: लोक लेखा द्वारा वित्तपोषित		= 23625 करोड़ रु.	
क-ख बजट संबंधी घाटा (समग्र घाटा)		9808 करोड़ रु.	
निम्नलिखित के द्वारा वित्त पोषित			
	तदर्थ सहित 91-दिवसीय ख-बिल (निवल)		11463
घटा:	रोकड़ शेष में वृद्धि		1655
	समग्र घाटा		9808

- ◆ इसमें प्रतिभूति जमा, रेलवे के जमा, दूरभाष आवेदन जमा, डाक जमा, वन पेशगियां, विभागीय पेशगियां आदि शामिल हैं।
- ▲ इसमें मूल्यहास आरक्षित निधियां-रेलवे, राजस्व आरक्षित निधियां-रेलवे, चीनी विकास निधि, खनन कल्याण निधियां, राष्ट्रीय नवीकरण निधि आदि शामिल हैं।
- φ इसमें भुगतान लेखा कार्यालय उचन्त, उचन्त लेखा डा.व ता., रक्षा, रेलवे तथा दूर संचार, सिक्का ढलाई लेखे, चैक तथा बिल आदि जैसे लेखाओं में अंतिम समायोजन हेतु प्रतीक्षित राशियां शामिल हैं।
- ψ इसमें मार्गस्थ धन जैसे धन आदेश, भा.रि.बैं. प्रेषण, लघु सिक्का डिपो प्रेषण, टकसाल प्रेषण आदि शामिल हैं।

दूसरे शब्दों में, 1995-96 के दौरान कर राजस्व, कर-भिन्न प्राप्ति, उधार, लघु बचतों से निवल आय, भविष्य निधियां और आरक्षित निधियां इत्यादि सभी खर्च करने के बाद भी, सरकार के पास अभी भी निधियों की कमी थी, जो कि खजाना बिलों को जारी करके प्राप्त की गई थी। समग्र घाटा, 1994-95 के दौरान 961 करोड़ रु. की तुलना में 9808 करोड़ रुपये था। समग्र घाटा 1995-96 के बजट में 4808 करोड़ रु. तक अनुमानित घाटे से भी 5000 करोड़ रुपये बढ़ गया था जिससे 96 प्रतिशत की वृद्धि बनती थी।

समग्र घाटे में, 1994-95 के दौरान 961 करोड़ रुपये से 1995-96 में 9808 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि तदर्थ ख-बिलों में वर्ष 1995-96 में शुरू से अंत तक समान रूप से अक्षुण्ण वृद्धि के कारण थी। सरकार ने सितम्बर 1994 में भारि.बैं. के साथ इस आशय का एक महत्वपूर्ण समझौता किया कि घाटे की अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे 1997-98 तक कम करके शून्य कर दिया जाएगा। समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि तदर्थ ख-बिलों के लिए निवल निर्गम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 6000 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय दस निरन्तर कार्य दिवसों से अधिक के लिए 9000 करोड़ रु. से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने 1994-95 के दौरान 'वर्ष के भीतर' सीमा से अधिक खर्च नहीं किया था। तथापि, 1995-96 के दौरान तदर्थ ख-बिलों का निर्गम केन्द्र सरकार और भारि.बैं. के बीच हुए करार के दायरे के अंतर्गत अनुबद्ध 'वर्ष के भीतर' रखी 9000 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 7.2 (ii) : सम्मत सीमा से तदर्थ ख-बिलों का अधिक निर्गम

(करोड़ रुपयों में)

	1995-96
पहली तिमाही	10398
दूसरी तिमाही	12445
तीसरी तिमाही	10030
चौथी तिमाही	8844

यद्यपि, समझौते के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तदर्थ ख-बिलों का निवल निर्गम 6000 करोड़ रु. से अधिक नहीं होना चाहिए परन्तु सरकार इस सीमा को नियंत्रित करने में सफल नहीं थी क्योंकि इस संबंध में मार्च 1996 के दौरान वास्तविक राशि 11465 करोड़ रुपये थी। ख-बिलों की यह राशि 5500 करोड़ रु. को कर्जे में परिवर्तित करके कम कर दी गई थी जो 13.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक के ब्याज की दर पर दो से दस वर्ष तक की अवधि में देय होनी थी। कर्जे की समग्र राशि अकेले भारि.बैं. द्वारा ही अभिदत्त कर दी गई क्योंकि बाजार इस राशि का आमेलन नहीं कर सका था।

इसके अतिरिक्त, 1994-95 और 1995-96 के दौरान 91 दिवसीय-नीलामी ख-बिलों* के लिए अभिदान करने की भारि.बैं. को अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी लेनी पड़ी क्योंकि वे पूर्ण रूप में अभिदत्त नहीं हुए थे।


* 91-दिवसीय नीलामी ख-बिल, बाजार संबंधी दरों की ओर जाने तथा निवेशकों को और अधिक विकल्प देने के लिए जनवरी 1993 से प्रारंभ किए गए थे।

तालिका 7.2 (iii): भा.रि.बैं. पर निर्भरता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल अधिसूचित राशि	भा. रि. बैं. द्वारा अभिदान	का. 3 की का. 2 से प्रतिशतता
1994-95	12450	2405	19.3
1995-96	24050	7788	32.4

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि संघ सरकार 91 दिवसीय नीलामी ख-बिलों में भा.रि.बैं. का अभिदान 1994-95 में 19.3 प्रतिशत से 1995-96 में 32.4 प्रतिशत तक बढ़ गया था।



भा.रि.बैं. पर इस अधिक निर्भरता के कारण तदर्थ ख-बिलों को जारी करके, भा. रि. बैं. से उधार लेने और 91 दिवसीय नीलामी ख-बिलों के भा.रि.बैं. द्वारा अभिदान के प्रति उधार लेने में बहुत मामूली अंतर है।

इसके अतिरिक्त सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम से 12655 करोड़ रु. की राशि भा.रि.बैं. के हिस्से में आई। वित्त प्रदान करने का यह तरीका बजटीय घाटे से कोई अलग नहीं है और वित्त प्रदान करने की अब तक की धारणा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

7.3 राजस्व घाटा

राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अंतर होता है। पिछले पांच वर्षों के लिए राजस्व घाटे की प्रवृत्ति निम्नवत थी:-

तालिका 7.3 : राजस्व घाटा

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	99830	116091	16261	2.6
1992-93	114220	132794	18574	2.6
1993-94	119602	152317	32715	4.1
1994-95	146670	177699	31029	3.3
1995-96	168571	198302	29731	2.7

राजस्व घाटा 1991-92 में 16261 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 29731 करोड़ रु. हो गया था क्योंकि राजस्व व्यय की वृद्धि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से अधिक तीव्र थी। 1991-92 की तुलना में 1995-96 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि 68.9 प्रतिशत थी जबकि राजस्व व्यय की वृद्धि उसी अवधि में 70.8 प्रतिशत थी।

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा 1991-92 में 2.6 प्रतिशत से 1995-96 में 2.7 प्रतिशत तक बढ़ गया था। तथापि, यह 1993-94 की तुलना में 1.4 प्रतिशतता के अंक तक घट गया था।

7.4 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटे को राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (निवल कर्जों और पेशगियों सहित) के आधिक्य के रूप में इस पूर्वानुमान पर परिभाषित किया गया है कि सरकार का पूंजीगत व्यय आदर्शतः राजस्व अधिशेष से वित्तपोषित किया जाना है। राजकोषीय घाटा, मैक्रो आर्थिक असन्तुलन को एक हद तक बढ़ाता है।

पिछले पांच वर्षों के लिए राजकोषीय घाटा निम्न प्रकार था:

तालिका 7.4 (i): राजकोषीय घाटा

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा *	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	36325	5.9
1992-93	40173	5.7
1993-94	60256	7.5
1994-95	57704	6.1
1995-96	60244	5.5

* इसमें अ.मु.को. के अंशदान के संघटक (2595 करोड़ रु.) और राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश (850 करोड़ रु.) शामिल नहीं है क्योंकि रोकड़ का कोई बहिर्गमन नहीं है।

सही अर्थों में राजकोषीय घाटा 1991-92 में 36325 करोड़ रुपये से 1995-96 में 66 प्रतिशत बढ़कर 60244 करोड़ रुपये हो गया। 1995-96 में वास्तविक राजकोषीय घाटा भी 57634 करोड़ रु. के अनुमानित राजकोषीय घाटे से बढ़ गया। यदि 1991-92 तथा 1995-96 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी की बिक्री से 10439 करोड़ रुपये की प्राप्ति न होती तो, सार्वजनिक उधारी का स्तर बढ़ जाता।

1995-96 के दौरान, राजकोषीय घाटा, निम्न व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार के उधार लेने की आवश्यकता के कारण बढ़ा था:-

तालिका 7.4 (ii) : उधार द्वारा वित्तपोषित व्यय

(करोड़ रुपयों में)

उधार द्वारा वित्तपोषित किया जाने वाला व्यय	राशि
राजस्व व्यय	29731
पूंजीगत व्यय	16147
राज्य सरकारों को अधिकांश कर्जे और पेशगियां	17811
जोड़	63689

उपरोक्त व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार के उधार लेने के निम्न स्रोत थे:-

तालिका 7.4 (iii) : उधार के स्रोत

(करोड़ रुपयों में)

उधार	राशि
91 दिवसीय ख.-बिल *	9808
लोक ऋण (निवल)	30256
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि ψ	21217
जमा और पेशगियां ψ	3824
आरक्षित निधियां ψ	696
उचन्त और विविध ψ	(-) 1820
प्रेषण ψ	(-) 292
जोड़	63689

* 91-दिवसीय ख-बिल (निवल) घटा नकद शेषों का कम आहरण

ψ जैसे कि तालिका 7.2 (i) में व्याख्या की गई है।


राजकोषीय घाटे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में इसकी कमी पूंजीगत व्यय में दबाव के जरिये प्राप्त की गई है। पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्ति नीचे दी गई है:-

तालिका 7.4. (iv) : राजकोषीय घाटे का प्रभाव

(स.घ.उ. की प्रतिशतता के आंकड़े)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
1993-94	7.5	19.02	3.08
1994-95	6.1	18.79	2.04
1995-96	5.5	18.05	1.60

उपरोक्त तालिका से यह देखने में आएगा कि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय में 1.48 प्रतिशतता अंकों को घटाते हुए, 1993-94 में 7.5 प्रतिशत से गिरकर 1995-96 में 5.5 प्रतिशत तक हो गया। दूसरी ओर राजस्व व्यय में कमी, जिससे वृद्धि



पर अपेक्षाकृत मामूली प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसी अवधि के लिए मात्र 0.95 प्रतिशत थी। यह पैटर्न इस तथ्य से भी प्रकट होता है कि जब 1995-96 में राजकोषीय घाटा 1991-92 से 66 प्रतिशत तक बढ़ गया था, उसी अवधि में राजस्व घाटा 83 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

7.5 प्रारम्भिक घाटा

प्रारंभिक घाटा ब्याज भुगतानों को राजकोषीय घाटे में से कम करके मापा जाता है। पिछले पांच वर्षों के लिए प्रारंभिक घाटे की प्रवृत्ति निम्नानुसार थी:-


तालिका 7.5: प्रारंभिक घाटा

वर्ष	राशि	(करोड़ रुपयों में) स.घ.उ. की प्रतिशतता
1991-92	9729	1.6
1992-93	9098	1.3
1993-94	23515	2.9
1994-95	13644	1.4
1995-96	10199	0.9

10199 करोड़ रु. का प्रारंभिक घाटा 5634 करोड़ रु. के बजट अनुमान का 181 प्रतिशत था।

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, यह 1994-95 में 1.4 प्रतिशत से कम होकर 1995-96 में 0.9 प्रतिशत तक हुआ था। यह देखा गया है कि वर्ष 1995-96 के दौरान संघ सरकार के कुल व्यय में ब्याज के भुगतानों का हिस्सा, 1994-95 की तुलना में लगभग 1 प्रतिशतता अंक तक बढ़ गया है। चूंकि ब्याज भुगतान का अधिकांश हिस्सा अब परिकलन में से निकाल दिया गया है इसलिए प्रारंभिक घाटा 0.5 प्रतिशत तक घट गया है।

7.6 मुद्रिकृत घाटा



सभी घाटे अर्थात् समग्र, राजकोषीय, प्रारंभिक और राजस्व घाटे, प्राप्तियों और व्यय के बजट अनुमानों से सीधे निकाले जाते हैं। दूसरी ओर मुद्रिकृत घाटा सरकार के बजटीय कार्यों के बाहर हो जाता है। मुद्रिकृत घाटा, संघ सरकार को निवल भा. रि. बैं. क्रेडिट में वृद्धि का द्योतक है, जो कि सरकार द्वारा भा.रि.बैं. के पास इसके नकद शेष के किसी कम

आहरण एवं सरकारी ऋण की भा. रि. बैं. की धारण राशियों में हुई वृद्धि का योग है। यदि आसान शब्दों में बताया जाए तो मुद्रिकृत घाटा, भा.रि.बैं. द्वारा उतनी ही राशि के लिए मनी सप्लाई विस्तारण का द्योतक है।

पिछले पांच वर्षों के लिए मुद्रिकृत घाटे की प्रवृत्ति निम्नानुसार थी:-

तालिका 7.6: मुद्रिकृत घाटा

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि	राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	5508	15.16
1992-93	4257	10.60
1993-94	260	0.43
1994-95	2130	3.69
1995-96	19855	32.96

मार्च 1996 के अंत में मुद्रिकृत घाटा 19855 करोड़ रु. था जो कि 1994-95 के दौरान 3.7 प्रतिशत के प्रति मुद्रिकृत घाटे का 33 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया था। मुद्रिकृत घाटे में असाधारण वृद्धि का मूल्य पर प्रभाव पड़ा जिसके परिणाम चालू वर्ष 1996-97 के दौरान बिल्कुल स्पष्ट हैं।

7.7 ऋण और घाटा

घाटा, किसी न किसी रूप में ऋण लेकर वित्तपोषित किया जाता है। इसलिए लेखा में घाटा बने रहने से सरकारी लेखा में ऋण की वृद्धि होती है। आंतरिक और बाह्य ऋण की प्रमात्रा और इसके प्रभाव का आगामी अध्यायों में विश्लेषण किया गया है।

अध्याय VIII

संघ सरकार का ऋण


8.1 आन्तरिक ऋण

लोक ऋण में आंतरिक तथा बाहरी ऋण सम्मिलित होते हैं। आंतरिक ऋण शब्द भारत में जनता से लिए गए नियमित ऋणों से संबंध रखता है तथा “भारत में लिए गए ऋण” के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसमें बाजार के कर्जे, भा.रि.बैं. को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, मुआवजा और अन्य बॉन्ड इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ख-बिलों के माध्यम से उधार, अ.मु.को., अं.पु.वि.बैं. (विश्व बैंक), आई.डी.ए., आई.एफ.ए.डी. अफ्रीकन विकास बैंक तथा एशियन विकास बैंक को जारी गैर-ब्याज धारी रुपया प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। आंतरिक ऋण को भारत की समेकित निधि में लेखाबद्ध किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के लिए संघ सरकार का आंतरिक ऋण निम्नानुसार था:-

तालिका 8.1: आंतरिक ऋण की वृद्धि

	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
अथ शेष	266467	245712	199100	172750	154004
परिवर्धन	174207	148556	159614	93754	82307
मूलधन की वापस अदायगी	132805	127801	113002	67404	63561
निवल परिवर्धन	41402	20755	46612	26350	18746
अंत शेष	307869	266467	245712	199100	172750
स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	28.1	28.2	30.7	28.3	28



कुल आंतरिक ऋण मार्च 1992 के अंत में 172750 करोड़ रु. से बढ़कर मार्च 1996 के अंत में 307869 करोड़ रु. हो गया जिससे 1991-92 से 78 प्रतिशत वृद्धि बनी। मार्च 1996 के अंत में कुल आंतरिक ऋण में से, बाजार कर्जे 53.6 प्रतिशत (164935 करोड़ रु.), ख-बिल 14.8

प्रतिशत (45665 करोड़ रु) तथा प्रतिभूतियों में परिवर्तित ख-बिल 23.1 प्रतिशत (71000 करोड़ रु.) बने। 26269 करोड़ रु. का शेष अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को: 22771 करोड़ रु. (7.4 प्रतिशत) की जारी की गई प्रतिभूतियों, प्रतिपूर्ति तथा अन्य बांडों इत्यादि: 2451 करोड़ रु (0.8 प्रतिशत) तथा भारतीय रिजर्व बैंक को: 1047 करोड़ रु. (0.3 प्रतिशत) की जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के कारण था।

8.2 आंतरिक ऋण की लागत

आंतरिक ऋण पर ब्याज की दरें 1994-95 की तुलना में 1995-96 के दौरान उच्चतर थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 8.2 (i) : आंतरिक ऋण की लागत

देय अवधि सहित सरकारी प्रतिभूतिया	ब्याज दर (1994-95)	ब्याज दर (1995-96)
10 वर्ष	12.35	14.00
7 वर्ष	12.08	13.80
5 वर्ष	12.71	13.85
3 वर्ष	11.00	13.65
364 दिवसीय "ख-बिल"	9.41 से 11.94	12.08 से 13.16
91 दिवसीय "ख-बिल"	7.21 से 11.90	11.40 से 12.97

आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान 1991-92 में स.घ.उ. के 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में स.घ.उ. का 2 प्रतिशत हो गया परन्तु उसी अवधि में कुल आंतरिक ऋण स.घ.उ. के 28 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत स्थिर रहा। ऐसा 1991-92 की तुलना में जब सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर 10.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक बदलती रही, बाजार से धन लेने की बढ़ती लागत के कारण हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, 91 दिवसीय ख-बिलों की वास्तविक ब्याज दर स्फीती की दर के समायोजन के पश्चात् 1991-92 में (-) 9 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में लगभग 8 प्रतिशत हो गई जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका 8.2 (ii): खजाना बिलों पर वास्तविक ब्याज दर

वर्ष	91 दिवसीय ख-बिलों की ब्याज दर	स्फीती दर	वास्तविक ब्याज दर
1991-92	4.6	13.6	(-) 9.0
1995-96	12.97	5.0	(+) 7.97

8.3 खजाना बिल (ख-बिल)

आंतरिक ऋण का महत्वपूर्ण भाग ख-बिलों तथा बाजार से लिए गए उधारों द्वारा नियंत्रित होता है।

ख-बिल, ऐसे साधन हैं जो केन्द्रीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थाई संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्जों को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं। भारी बजट घाटे के कारण बकाया ख-बिलों की मात्रा हाल ही के वर्षों में बहुत बढ़ गई है तथा अब संघ सरकार के आंतरिक ऋण का महत्वपूर्ण अंश है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 8.3: आंतरिक ऋण तथा ख-बिल

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	ख-बिल	कॉलम 2 से 3 की प्रतिशतता
1991-92	172750	12826	7.42
1992-93	199100	29390	14.76
1993-94	245712	40981	16.68
1994-95	266467	40492	15.20
1995-96	307869	45665	14.83


आंतरिक ऋण में ख-बिलों की प्रतिशतता 1991-92 में 7.42 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 में 16.68 प्रतिशत हो गई जो कि 9.26 प्रतिशतता अंक की वृद्धि बनती है। तथापि, 1995-96 में यह कम हो कर 14.83 प्रतिशत हो गई। यह स्पष्ट रूप से बकाया बाजार कर्जों में वृद्धि के कारण है जो कि आंतरिक ऋण की प्रतिशतता के रूप में 1994-95 में 49.13 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में 53.57 प्रतिशत हो गई थी।

वर्तमान में दो प्रकार के ख-बिल हैं

- (i) 91 दिवसीय ख-बिल
- (ii) 364 दिवसीय ख-बिल

8.3.1 91 दिवसीय ख-बिल

(i) तदर्थ ख-बिल



तदर्थ ख-बिलों का वास्तव में अर्थ है मुद्रा नोटों का मुद्रण तथा उसके द्वारा घाटे का मुद्रीकरण। ये साधन पहली बार दिसम्बर 1941 में सृजित किए गए थे, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि यदि

उस समय अर्थोपाय पेशगियां प्रस्तुत की गई होती, तो उसकी चुकौती तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जा सकती थी। चूंकि रिजर्व बैंक संघ सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह अनिवार्य था कि अपने बैंकिंग व्यापार के निर्विध्न संचालन के लिए संघ सरकार को भा. रि. बैं. के पास रखे अपने खातों में न्यूनतम शेष बनाये रखना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ की गई कार्य व्यवस्था के अंतर्गत, बैंक के पास सरकार का न्यूनतम शेष 1953-54 से 50 करोड़ रु. रहना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को इस शेष में आई कमी को प्रायः भा. रि. बैं. के पक्ष में तदर्थ ख-बिलों का सृजन करके पूरा किया जाता है।

तदर्थ ख-बिलों की पिछले पांच वर्ष की प्रवृत्ति निम्न प्रकार थी:-

तालिका 8.3.1 (i) : तदर्थ ख-बिल

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	वर्ष के अंत में तदर्थ ख-बिलों की बकाया राशि
1991-92	42975	42225	3985
1992-93	52775	41330	15430
1993-94	62930	56630	21730
1994-95	69895	68145	23480
1995-96	76790	70825	29445

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि तदर्थ ख-बिलों की वृद्धि में प्रमात्रा उछाल थी। तदर्थ ख-बिल 1991-92 के अंत में 3985 करोड़ रु. से बढ़ कर 1995-96 के अंत में 29445 करोड़ रु. तक हो गए जो पिछले पांच वर्षों से 639 प्रतिशत की वृद्धि थी।

(ii) 91-दिवसीय ख-बिल (तदर्थ के अलावा)

ये बिल पूर्व-निर्धारित छूट पर जारी किए जाते हैं, बैंकों, निगमों तथा राज्य सरकारों इत्यादि द्वारा उनके अधिशेष रोकड़ के निवेश हेतु अभिदत्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार संबंधित दरों की ओर बढ़ने तथा निवेशकों को अपेक्षाकृत व्यापक चयन की पेशकश करने के लिए जनवरी 1993 से 91 दिवसीय नीलामी ख-बिल लागू किए गए थे। बिलों की पेश की गई राशि तथा नीलामी की तिथि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर घोषित की जाती है। बिल बढ़ा मूल्य पर जारी किए जाते हैं। बढ़ा की दर तथा तदनु रूप निर्गम मूल्य प्रत्येक नीलामी पर निर्धारित किया जाता है। नीलामी पर निर्धारित न्यूनतम बढ़ा मूल्य पर सफल बोलियों को स्वीकार किया जाता है। विच्छेद मूल्य से कम की बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक को नीलामी में भाग लेने तथा बोलियां लगाई गई राशि से कम होने पर विच्छेदन मूल्य पर समान दर पर आंशिक प्रस्ताव अथवा यदि सभी बोलियां रद्द हो जायें तो निर्धारित की जाने वाली दर पर अधिसूचित समस्त राशि का पूरा प्रस्ताव खरीदने की स्वतंत्रता है।

पिछले पांच वर्षों में 91-दिवसीय ख-बिलों (तदर्थ के अलावा) की वृद्धि निम्न प्रकार से है:

तालिका 8.3.1 (ii) : 91 दिवसीय ख-बिल

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	राशि
1991-92	15928	14791	4855
1992-93	20607	20279	5184
1993-94	39960	34278	10865
1994-95	39441	41459	8847
1995-96	53051	47553	14345

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 91 दिवसीय ख-बिलों का शेष 1991-92 के दौरान 4855 करोड़ रु. का था। बकाया 91 दिवसीय ख-बिल 1995-96 के अन्त में बढ़कर 14345 करोड़ रु. के हो गए, जो कि पिछले पांच वर्षों में 195 प्रतिशत की वृद्धि थी।

(iii) 364-दिवसीय ख-बिल

ये बिल 28 अप्रैल 1992 को जारी होने हेतु अधिसूचित किए गए थे। राज्य सरकारों तथा भविष्य निधियों को छोड़ कर, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगमित निकाय, संस्था सहित


कोई भी भारतीय निवासी इन बिलों में अभिदान कर सकता है। पिछले चार वर्षों के दौरान इन खजाना बिलों की प्रवृत्ति निम्न प्रकार थी:-

तालिका 8.3.1 (iii) : 364 दिवसीय ख-बिल

(करोड़ रुपयों में)			
वर्ष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान उन्मोचन	वर्ष के अन्त में शेष
1992-93	8777	--	8777
1993-94	20323	20714	8386
1994-95	16857	17078	8165
1995-96	1875	8165	1875

तालिका से पता चलता है कि 364 दिवसीय ख-बिलों का शेष 1993-94 में 8386 करोड़ रु. बढ़ गया परन्तु 1994-95 में कम होकर 8165 करोड़ रु. तक हो गया और आगे 1995-96 में और कम होकर 1875 करोड़ रु. हो गया।

8.4 तदर्थ खजाना बिलों का निधियन



प्रायः 'निधियन' के रूप में जानी जाने वाली, तारीख वाली प्रतिभूतियों में बकाया तदर्थ बिलों का सरकार द्वारा किया गया परिवर्तन एक उल्लेखनीय बात हुई है। अनिधिक चल अथवा चालू ऋणों से भिन्न निधिक

ऋण, सरकार की दीर्घकालिक ऋणग्रस्तता को दशति हैं अर्थात् मौटे तौर पर इसमें एक वर्ष अथवा अधिक समय के लिए देय न होने वाले सभी बॉन्ड अथवा ऋणग्रस्तता के प्रमाणपत्र समाविष्ट हैं।

चूंकि तदर्थ ख-बिलों में वृद्धि के परिणामस्वरूप संघ सरकार के दायित्व में सतत तथा स्थाई वृद्धि हुई, तदर्थ ख-बिलों का तारीख वाली सरकारी प्रतिभूतियों में क्रमबद्ध परिवर्तन हुआ है। मार्च 1996 के अंत में, ऐसे निधियन कार्यों के अंतर्गत भारि.बैं. द्वारा

रखी गई प्रतिभूतियों में तदर्थ ख-बिलों का परिवर्तन 71000 करोड़ रु. का हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

तालिका 8.4 (i) : प्रतिभूतियों में परिवर्तित तदर्थ ख-बिल

(करोड़ रुपयों में)	
निधियन का वर्ष	निधिबद्ध तदर्थ ख-बिलों की राशि
1981-82	3500
1986-87	15000
1987-88	17500
1990-91	30000
1991-92	5000
जोड़	71000

चूंकि उपर्युक्त परिवर्तन जिनकी कोई निश्चित परिपक्वता तिथि नहीं थी, 4.6 प्रतिशत वाली विशेष प्रतिभूतियों में किए गए थे, इस संबंध में दायित्व की वृद्धि की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि तदर्थ बिल जिन्हें सरकार की अल्पकालिक आवश्यकताएं पूरी करने के प्रयोजन से अभिप्रेत साधन के रूप में स्वीकार किया गया था, वस्तुतः, दीर्घकालिक वित्तीय प्रपत्र के रूप में उपयोग में लाए गए हैं।

इसका प्रमाण परिपक्व होने वाले 364 दिवसीय तथा 91 दिवसीय नीलामी ख-बिलों में निधियन से भी मिलता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 8.4 (ii) : 364/91-दिवसीय ख-बिलों का निधियन

वर्ष	364-दिवसीय ख-बिल		91-दिवसीय ख-बिल	
	राशि	दिनांकित स्टॉक में परिवर्तित	राशि	प्रतिशतता स्टॉक में परिवर्तित
1992-93	11226	12.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2004	-	-
1993-94	6946	12.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 1996	4046	12 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 1995
1994-95	8078	11.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2001	4417	12 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 1999
	101	11 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 1997	-	-
1995-96	1585	13.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2000	-	-
जोड़	27936		8463	

जैसा कि उपरोक्त तालिका दर्शाती है इन निधियनों से न केवल 36399 करोड़ रु. की राशि के दायित्व आगे के लिए टल जाएंगे बल्कि इस स्टॉक पर ब्याज की उच्चतर दर

के कारण अतिरिक्त दायित्व भी होगा। इस प्रकार ख-बिल जो पूर्णतया अल्पकालीन अथवा तदर्थ साधन है, का उपयोग स्थाई ऋण के लिए किया जा रहा है।

8.5 बाजार उधार

पिछले पांच वर्षों के अंत में बकाया बाजार उधारों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

तालिका 8.5 (i) : बाजार कर्जों की वृद्धि

वर्ष	बकाया राशि	प्रदत्त ब्याज
1991-92	78003	7355
1992-93	81679	8147
1993-94	110608	9258
1994-95	130934	13480
1995-96	164935	15856

उपरोक्त तालिका से देखने में आएगा कि बाजार कर्जों की बकाया राशि 1991-92 के अंत में 78003 करोड़ रु. से बढ़कर मार्च 1996 के अंत में 164935 करोड़ रु. हो गई जिससे 111 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। बाजार कर्जों पर ब्याज भुगतान 116 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, 1991-92 में 7355 करोड़ रु. से बढ़ कर 1995-96 में 15856 करोड़ रु. हो गए।

भारिबैं. की 1995-96 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक ऋण में अल्प कालिक कर्जों (5 वर्ष से नीचे) का अनुपात 1992-93 में 20.7 प्रतिशत से पर्याप्त रूप से बढ़ कर 1995-96 में 64.9 प्रतिशत हो गया। अल्प कालिक ऋण बारम्बार उसकी और वापस अदायगी के दायित्व का निर्वाह करने और परिशोधन की समस्या को अपरिहार्य बनाते हैं जैसाकि अगले छः वर्षों के लिए ब्याज दायित्वों को छोड़कर संघ सरकार के बाजार कर्जों की वापस अदायगी की निम्न अनुसूची से स्पष्ट है:

तालिका 8.5 (ii) : बाजार कर्जों की वापस अदायगी अनुसूची

वर्ष	राशि
1995-96	5546
1996-97	7921
1997-98	10903
1998-99	9892
1999-2000	12353
2000-2001	14426
2001-2002	12464

अगले छः वर्षों के दौरान संघ सरकार को विद्यमान बाजार कर्जों के मूलधन के रूप में 67959 करोड़ रु. की वापस अदायगी करनी है।

8.6 अन्य आन्तरिक दायित्व

भारत की समेकित निधि में लेखाबद्ध किए गए उधार के अतिरिक्त, लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखे (विशेष निक्षेप, गैर-सरकारी भविष्य निधि इत्यादि) आरक्षित निधि तथा निक्षेप लोक लेखे का हिस्सा बन जाती है। लोक लेखे के शेष वार्षिक रूप से अग्रेनीत किए जाते हैं। लघु बचतों, भविष्य निधियों, अन्य लेखाओं, आरक्षित निधियों तथा निक्षेपों में निवल परिवर्धन सरकार की देयता को पर्याप्त रूप में जोड़ते हुए, सरकार द्वारा संसाधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।

इन उधारों की पिछले पांच वर्षों में प्रवृत्ति निम्न प्रकार थी:-


तालिका 8.6 : अन्य आन्तरिक दायित्वों की वृद्धि

	लघु बचतें (करोड़ रुपयों में)				
	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
अथ शेष	81710	67284#	60127#	55755	50100
परिवर्धन	32810	34438	24731	17605	17252
मूलधन की वापस अदायगी	22734	20012	17573	13232	11597
अंत शेष	91786	81710	67285	60128	55755
भविष्य निधियां					
	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
अथ शेष	24721*	20592	16877	13925*	11670
परिवर्धन	9561	8141	7132	5886	4796
मूलधन की वापस अदायगी	4643	4008	3417	2934	2539
अंत शेष	29639	24725	20592	16877	13927
अन्य लेखे (विशेष निक्षेप और गैर सरकारी भविष्य निधियां इत्यादि)					
	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
अथ शेष	85787	72477#	59797	51818	45336
परिवर्धन	16508	16066	16243	11685	10053
मूलधन की वापस अदायगी	10285	2756	3562	3706	3571
अंत शेष	92010	85787	72478	59797	51818
निक्षेप					
	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
अथ शेष	23325#	20404	19895*	19906	18909
परिवर्धन	28031	25139	21914	21087	20027
मूलधन की वापस अदायगी	24044	22217	21405	21112	19030
अंत शेष	27312	23326	20404	19881	19906

जारी ⇒

आरक्षित निधियां					
	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
अथ शेष	5672*	4153*	3872*	3560*	3013
परिवर्धन	13907	11356	9114	7574	5908
मूलधन की वापस अदायगी	13211	9842	8834	7263	5363
अंत शेष	6368	5667	4152	3871	3558
सकल जोड़	247115	221215	184911	160554	144964
स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	22.5	23.4	23.1	22.8	23.5

- * पूर्व अवधि समायोजन के कारण अथ शेषों में परिवर्तन
पूर्ण करने के कारण अथ शेषों में परिवर्तन



1995-96 के दौरान, अन्य आंतरिक दायित्वों का कुल संचय 247115 करोड़ रु. था जिसमें से 92010 करोड़ रु. (37.2 प्रतिशत) विशेष निक्षेपों तथा गैर- सरकारी भविष्य निधि इत्यादि से तथा 91786 करोड़ रु. (37.1 प्रतिशत) लघु बचत से आये। 63319 करोड़ रु. का शेष भविष्य निधि: 29639 करोड़ रु. (12 प्रतिशत), निक्षेप:

27312 करोड़ रु. (11.1 प्रतिशत) तथा आरक्षित निधि: 6368 करोड़ रु. (2.6 प्रतिशत) के सम्बंध में था। संघ सरकार की कुल अन्य आंतरिक देयताएं 1991-92 के अंत में 144964 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 के अंत में 247115 करोड़ रु. हो गई जो कि 70.5 प्रतिशत की वृद्धि बनी। यह उल्लेख करना संगत होगा कि भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां तथा विशेष निक्षेप, गैर-सरकारी भविष्य निधियां आदि उसी अवधि में तीव्रता से क्रमशः 113 प्रतिशत, 79 प्रतिशत तथा 78 प्रतिशत बढ़े।

8.7 आंतरिक उधार की ऋण चुकौती

आंतरिक उधार की ऋण चुकौती की प्रवृत्ति निम्न प्रकार थी:

तालिका 8.7 (i) : आंतरिक ऋण का शुद्ध आगम

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान वृद्धि	ऋण चुकौती		शुद्ध आगम राशि	शुद्ध आगम की प्रतिशतता
		वापस अदायगी	ब्याज		
1991-92	82307	63561	11317	7429	9.03
1992-93	93754	67404	13542	12808	13.66
1993-94	159614	113002	15587	31025	19.44
1994-95	148556	127801	19168	1587	1.07
1995-96	174207	132805	22179	19223	11.03

तालिका 8.7 (ii) : अन्य आंतरिक देयताओं का शुद्ध आगम

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान वृद्धि	ऋण चुकौती		शुद्ध आगम राशि	शुद्ध आगम की प्रतिशतता
		वापस अदायगी	ब्याज भुगतान		
1991-92	58036	42100	12575	3361	5.79
1992-93	63837	48247	14004	1586	2.48
1993-94	79134	54791	17430	6913	8.74
1994-95	95140	58835	20866	15439	16.23
1995-96	100817	74917	23452	2448	2.43

उपर्युक्त तालिका से यह देखने में आया कि आंतरिक ऋण का शुद्ध आगम जो कि 1994-95 के दौरान केवल 1.07 प्रतिशत था, 1995-96 के दौरान यह 11.03 प्रतिशत तक बढ़ गया, परन्तु अन्य आंतरिक उधारों में शुद्ध आगम जो 1994-95 में 16.23 प्रतिशत था तीव्रता से घटकर 1995-96 में 2.43 प्रतिशत हो गया।

8.8 संघ सरकार के बाह्य ऋण

पिछले पांच वर्षों के अंत में विनिमय की ऐतिहासिक दरों पर बकाया बाह्य ऋण की वृद्धि निम्न प्रकार थी :

तालिका 8.8 (i) : बाह्य ऋण की वृद्धि

(करोड़ रुपयों में)

	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
अथ शेष	50931*	47347*	42271*	36950*	31527
परिवर्धन	6759	9050	10024	9625	8279
मूलधन की वापस अदायगी	6441	5469	4950	4306	2858
अंत शेष	51249	50928	47345	42269	36948
स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	4.7	5.4	5.9	6.0	6.0

* अथ शेष में परिवर्तन पूर्व अवधि समायोजन के कारण है।

उपरोक्त से यह देखने में आया कि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में विनिमय की ऐतिहासिक दरों पर बकाया बाह्य ऋण की राशि 1991-92 में 6 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 4.7 प्रतिशत हो गई। तथापि, वास्तविक संदर्भ में बाह्य ऋण 1991-92 के अंत में 36948 करोड़ रु. से बढ़ कर 1995-96 के अंत में 51249 करोड़ रु. हो गए जिससे लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि बनी। तथापि, चूंकि मूल की वापस अदायगी तथा ब्याज की अदायगी चालू विनिमय दर पर होती है, वास्तविक बाह्य ऋण का वास्तविक परिमाण प्रचलित विनिमय दर पर उसका मूल्य है। चालू विनिमय दरों पर बाह्य ऋण 148583 करोड़ रु. हुआ जो कि 1995-96 के अंत में स.घ.उ. का 13.5 प्रतिशत था।

यह ध्यान देने योग्य है कि 1994-95 से बाह्य ऋण प्रवाह नकारात्मक हो गए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-


तालिका: 8.8 (ii) : बाह्य ऋण का शुद्ध आगम

(करोड़ रु.में)

वर्ष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	ऋण चुकौती		शुद्ध आगम राशि	शुद्ध आगम की प्रतिशतता
		वापस अदायगी	ब्याज		
1991-92	8279	2858	2704	2717	32.82
1992-93	9625	4306	3529	1790	18.60
1993-94	10024	4950	3724	1350	13.47
1994-95	9050	5469	4026	(-)445	(-)4.91
1995-96	6759	6441	4414	(-)4096	(-)60.60

उपरोक्त तालिका से यह देखने में आया कि बाह्य ऋण के आगम की प्रतिशतता के रूप में ऋण चुकौती भुगतान, जो कि 1991-92 में 67 प्रतिशत था, 1995-96 में 161 प्रतिशत तक ऊपर उछल गया जिसके परिणामस्वरूप संघ सरकार के संसाधनों से 4096 करोड़ रु. का शुद्ध बहिर्गमन हुआ।

इसके अतिरिक्त, बाह्य सहायता (31 मार्च 1996 को अप्रयुक्त बाह्य सहायता 48574 करोड़ रु. थी) के उपयोग की कम गति, अब विशेष रूप से चिन्ता की बात है जबकि वास्तव में उसका आना रुक गया है। अधिकांश अप्रयुक्त बाह्य सहायता, आधारीक संरचना सेक्टर की परियोजनाओं के लिए है। 31 मार्च 1996 को अप्रयुक्त बाह्य सहायता का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-IV में दिया गया है।



वित्तीय स्थायी समिति (1995-96)—दसवीं लोक सभा ने अपनी तेहरवीं रिपोर्ट में भी इस बात को गंभीरता से लिया है कि देश के बाह्य ऋण स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा बिना उपयोग के पड़ा है तथा देश को इन अनाहरित राशियों पर वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए समिति ने अनुभव किया कि इन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पुनरीक्षण की तुरन्त आवश्यकता थी ताकि उनके कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों का पता लगाया जा सके तथा कर्जों के उपयोग में सुधार के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

8.9 संघ सरकार की ऋणग्रस्तता

पिछले पांच वर्षों के लिए संघ सरकार की ऋणग्रस्तता निम्न प्रकार थी:-

तालिका 8.9 : संघ सरकार की ऋणग्रस्तता

वर्ष	चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण समेत ऋणग्रस्तता	(करोड़ रुपयों में)
		स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1991-92	427322	69.4
1992-93	480467	68.4
1993-94	558421	69.7
1994-95	630071	66.6
1995-96	703566	64.0

उपरोक्त तालिका से यह देखने में आएगा कि संघ सरकार की कुल ऋणग्रस्तता 1991-92 में 427322 करोड़ रु. से बढ़ कर 1995-96 में 703566 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 1995-96 के अंत में संघ सरकार की कुल ऋणग्रस्तता, स.घ.उ. का 64 प्रतिशत थी।

संघ सरकार की उपरोक्त ऋणग्रस्तता, संघ सरकार वित्त लेखाओं पर आधारित है तथा यह देश की बाह्य ऋणग्रस्तता से भिन्न है। वित्त लेखाओं में दर्शाए गए बाह्य ऋण के अतिरिक्त, विदेशों से सार्वजनिक क्षेत्र उधार, विदेशी कर्जों से किए गए आयात, अनिवासी भारतीय (अ.नि.भा.) तथा अन्य विदेशी मुद्रा (वि.मु.) निक्षेप तथा लेखे, वाणिज्यिक उधार तथा संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां, जो परोक्ष रूप से देश के बाह्य ऋण के लिए भी योगदान देती हैं, जैसी अन्य देयताएं हैं।

8.10 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियों की अधिकतम राशि से संबंधित स्थिति, जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं तथा 1991-92 से 1995-96 के वर्षों के अंत में बकाया गारंटी की राशियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 8.10: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां


वर्ष के अंत में स्थिति	गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया है	कुल बकाया गारंटी की राशि (आंतरिक एवं बाह्य)	बकाया बाह्य गारंटियां	(करोड़ रुपयों में)
				कालम 3 से कालम 4 की प्रतिशतता
1991-92	55063	46744	20908	44.7
1992-93	79552	58027	28988	50.0
1993-94	84738	62857	30626	48.7
1994-95	89563	63153	30268	47.9
1995-96	94761	65573	29345	44.8

उपर्युक्त तालिका से यह देखने में आएगा कि संघ सरकार की कुल बकाया गारंटियां (आंतरिक+बाह्य) 1991-92 में 46744 करोड़ रु. से 1995-96 में 65573 करोड़ रु. तक बढ़ गई, जिससे 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 1996 को बाह्य गारंटी की बकाया राशि संघ सरकार की कुल बकाया गारंटियों का 45 प्रतिशत थी ।

8.11 लोक ऋण का प्रभाव

लोक ऋण की बढ़ती हुई राशि का व्यय के अन्य क्षेत्रों तथा लोक वित्त के पहलुओं पर अपरिहार्य प्रभाव होता है। ऋण चुकौती दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध दायित्व सार्वजनिक खर्च के लगभग आधे भाग के लिए होता है तथा व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों को उगाहने के अतिरिक्त ऋण चुकौती के दायित्व को निभाने के लिए सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए व्यय की आवश्यकता को व्यय नियंत्रित करने तथा घाटा कम करने की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है। ऋण के प्रभाव से उत्पन्न कुछ पहलुओं पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

8.11.1 बजट पर संसद का नियंत्रण



ऋण चुकौती में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत की समेकित निधि में से कुल संवितरण का अत्यधिक अनुपात निधि पर प्रभारित किया जाता है अर्थात् इस पर संसद द्वारा मतदान की आवश्यकता नहीं है। अब कुल बजटीय व्यय का मात्र लगभग एक तिहाई भाग, संसद के स्वनिर्णय के अधिकार क्षेत्र में है तथा इस पर मतदान होता है। 1996-97 (ब.अ.)

के दौरान भारत की समेकित निधि से 476268 करोड़ रु. के कुल संवितरण में से 65 प्रतिशत की राशि 311578 करोड़ रु. प्रभारित व्यय था। प्रभारित व्यय में से 85 प्रतिशत का उपयोग, ऋण चुकौती दायित्वों अर्थात् कर्जे की किस्तों तथा देय ब्याज का भुगतान करने के लिए किया गया था।

यह महत्वपूर्ण है कि सरकार की उधार निधि (लोक ऋण) 1994-95 में 157607 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 180966 करोड़ रु. हो गई। दूसरे शब्दों में 1995-96 के दौरान 357933 करोड़ रु. की समेकित निधि प्राप्तियों में आधे से ज्यादा हिस्सा उधार ली गई निधियों का था।

8.11.2 पूंजीगत व्यय में गिरावट

पूंजीगत व्यय में गिरावट हुई है जो कि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 1993-94 में 3.1 प्रतिशत से घटकर 1995-96 में 1.6 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता कुल व्यय के अनुपात में 1993-94 में 12.4 प्रतिशत से तीव्रता से गिर कर 1995-96 में 7.3 प्रतिशत हो गई। इसके अतिरिक्त राजस्व व्यय का योजनागत संघटक 1993-94 में 16.3 प्रतिशत से घटकर 1995-96 में 14.6 प्रतिशत हो गया। स.घ.उ. की बाबत यह उसी अवधि में 3.11 प्रतिशत से घटकर 2.64 प्रतिशत हो गया।

8.11.3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं का हिस्सा जिसमें सड़कें, कोयला, विद्युत इत्यादि जैसी आधारिक संरचनाएं सम्मिलित हैं, संघ सरकार के कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में 1993-94 में 35.4 प्रतिशत से घटकर 1995-96 में 32.9 प्रतिशत तक हो गया। इसी प्रकार, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में इसका हिस्सा इसी अवधि में 8.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत तक घट गया।

8.11.4 सामाजिक सेवाओं पर व्यय


कुल व्यय से सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 1991-92 में 3.11 प्रतिशत से घट कर 1994-95 में 2.80 प्रतिशत हो गया। यद्यपि 1995-96 में यह हिस्सा 3.33 प्रतिशत तक बढ़ गया, फिर भी स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 1991-92 में 0.75 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 0.73 प्रतिशत हो गया।

यह उल्लेख करना संगत है कि शिक्षा पर व्यय, कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में 1991-92 में 1.08 प्रतिशत से बहुत ही कम बढ़ कर 1995-96 में 1.18 प्रतिशत हुआ है। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, शिक्षा पर व्यय उसी अवधि में वास्तव में 0.26 प्रतिशत के स्तर पर ही टिका रहा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय में कटौती अपेक्षाकृत अधिक थी जो 1991-92 में कुल व्यय के 0.42 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 0.38 प्रतिशत हो गई थी। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में यह 1991-92 में 0.10 प्रतिशत से घट कर 1995-96 में 0.08 प्रतिशत हो गई।

यदि स्फीति को हिसाब में लिया जाए तो सामाजिक सेवाओं पर सही अर्थ में व्यय और गिर जाएगा जो कि सरकारी संसाधनों का बहुत कम हिस्सा बनता है। सामाजिक क्षेत्र में निधियों के उपयोग में सामान्य गिरावट भी इस क्षेत्र में कार्यक्रमों को बजटीय आबंटन में बचत के कारण ही आई है। यह ध्यान देने योग्य है कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए कुल 640 करोड़ रु. के आबंटन को 1995-96 के दौरान खर्च नहीं किया जा सका था।

8.11.5 रक्षा व्यय



स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में रक्षा सेवाओं पर व्यय, पिछले वर्षों की तुलना में कमी की प्रवृत्ति दर्शाता है जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है :-

अवधि	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में	अवधि	स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में
1986-87	3.68	1991-92	2.74
1987-88	3.69	1992-93	2.68
1988-89	3.45	1993-94	2.85
1989-90	3.23	1994-95	2.56
1990-91	2.96	1995-96	2.54

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में औसत रक्षा व्यय


	1986-91	1991-96
राजस्व व्यय	2.58	1.89
पूँजीगत व्यय	0.82	0.78
कुल रक्षा व्यय	3.40	2.67

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में रक्षा व्यय में 1986-87 में 3.68 प्रतिशतता अंक से 1995-96 में 2.54 प्रतिशतता अंक तक निरन्तर गिरावट हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में औसत रक्षा

पूजीगत व्यय में 1986-91 तथा 1991-96 के बीच 0.82 प्रतिशत से 0.78 प्रतिशत की कटौती हुई है।

इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य योजनेत्तर सामान्य सेवा व्यय (ब्याज भुगतान तथा रक्षा छोड़ कर) 1991-92 से 1995-96 तक 75 प्रतिशत बढ़ गया। तथापि, रक्षा व्यय की वृद्धि उसी अवधि के दौरान 65 प्रतिशत रही।

8.11.6 ऋण तथा सरकार की आय



संसाधन प्राप्ति की समस्या वास्तव में कठिन है क्योंकि भारत सरकार इस अवस्था में है कि विकास अथवा रक्षा अथवा दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक आवश्यकता का वहन करने के लिए उसे उधार का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यहां तक कि वापस अदायगी तथा ब्याज सहित ऋण चुकौती देयताओं

दायित्वों (91-दिवसीय ख-बिलों सहित) को पूरा करने के लिए भी भारत सरकार की कुल आय अपर्याप्त है। 1991-92 के दौरान, 135115 करोड़ रु. की कुल ऋण चुकौती देयताओं के प्रति. संघ सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति का केवल 99830 करोड़ रु. अर्थात् वापस अदायगी तथा ब्याज दायित्वों का मात्र 74 प्रतिशत थी। 1995-96 के दौरान ऋण चुकौती व्यय में 264208 करोड़ रु. तक बढ़ती तथा राजस्व प्राप्ति में केवल 168571 करोड़ रु. के स्तर तक बढ़ती होने के कारण यह अंक गिरकर 64 प्रतिशत तक हो गया। इसलिए ऋण चुकौती के शेष तथा सरकार के अन्य व्यय, दोनों के लिए इसे उधार अथवा जैसा कि हाल ही में किया गया था विनिवेश के जरिए परिसम्पत्तियों की बिक्री करनी पड़ी।

यदि 91-दिवसीय खजाना बिलों के संबंध में ऋण चुकौती देयताओं को छोड़ दिया जाए, तो भी बाजार कर्जों और अन्य देयताओं के लिए ऋण चुकौती देयताओं को पूरा करने के बाद सरकार के पास उसकी राजस्व प्राप्ति का केवल 13 प्रतिशत ही रह जाएगा।

8.12 उधार लेने की सीमा

इस दिलचस्प स्थिति, जिसमें ऋण चुकौती दायित्व राजस्व प्राप्ति से अधिक हो गई, ऋण प्राप्ति सरकारी प्राप्ति के आधे से अधिक बनती है तथा ऋण चुकौती सरकारी संवितरण के आधे से अधिक भाग को खपा लेती है, को देखते हुए ऋण प्रबन्धन की कठिन

समस्या पर समीप से ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत संघ सरकार को अधिकार है कि वह 'विधि के अनुसार संसद द्वारा नियत ऐसी सीमाओं, यदि कोई हों, के अंदर भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति से उधार ले।' स्पष्टतः कुल उधार भारत की समेकित निधि की प्राप्तियों का कुछ अनुपात होगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार की उधार लेने की शक्ति की सीमा बांधने हेतु लोक लेखा समिति ने अपनी नौवीं रिपोर्ट (1962-63 तीसरी लोक सभा के पैरा 15, छत्तीसवीं रिपोर्ट (1964-65-तीसरी लोक सभा) के पैरा 5 तथा बावनवीं रिपोर्ट (1965-66-तीसरी लोक सभा) के पैरा 2.13 में तथा इसके साथ-साथ प्राक्कलन समिति ने अपनी बारहवीं रिपोर्ट (1991-92-दसवीं लोक सभा) के पैरा 1.192 में अनुशंसा की थी। घाटा स्थिति के बहुशाखन को ध्यान में रखते हुये यह वांछनीय है कि उधार लेने की सीमा बांधी जाए तथा इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

अध्याय IX

लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां

9.1 टिप्पणियों का स्वरूप

संघ सरकार के वित्त लेखे सरकारी लेखाविधि नियमावली 1990 तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य नियमों और अनुदेशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। अतः लेखाओं की वैधता इन नियमों तथा अनुदेशों के अनुपालन के अनुसार आंकी जाती है। दूसरी ओर, लेखाओं की परिशुद्धता सहायक दस्तावेजों द्वारा प्रकाश में लाई गई लेखाओं की सम्पूर्णता तथा विश्वसनीयता, निर्धारित प्रक्रियाओं और संवीक्षा की अवधि के दौरान देखी गई अन्य सामग्री के आधार पर आंकी जानी होती है। इस अध्याय में वित्त लेखाओं की परिशुद्धता तथा वैधता से संबंधित जो टिप्पणियां निहित हैं वे स्वरूप में ऐसी हैं जो किसी सीमा तक लेखाओं के गुण-दोषों से प्रभावित हैं।

9.2 लेखाओं का समाधान

वित्त लेखे में दर्शाए गए आंकड़े व्यय तथा प्राप्ति के उन आंकड़ों, जिन्हें विभिन्न भुगतान लेखा कार्यालयों की बहियों में दर्ज तथा बाद में समेकित किया गया है, को निरूपित करते हैं। ऐसा प्रत्येक लेन-देन भा.रि.बैं. द्वारा अपनी बहियों में दर्ज प्राप्तियों व भुगतानों को भी निरूपित करता है। वर्ष के अंत में सरकारी लेखे में लेनदेनों का निवल प्रभाव 'भा.रि.बैं. के पास जमा राशि' द्वारा निरूपित होता है। यह राशि, जो सरकार तथा भा.रि.बैं. दोनों की बहियों में होती है, सामान्यतया मेल खानी चाहिए। इन दो राशियों के बीच अन्तर, यदि कोई हो, का मिलान किया जाना चाहिए तथा संतोषपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.19.4 में इन आंकड़ों के समाधान के लिए व्यवस्था है। तथापि, लेखाओं से यह देखा गया है कि वित्त लेखे में 31 मार्च 1996 को 'भा.रि.बैं. के पास जमा राशि' 2832 करोड़ रु. दर्शाई गई है जबकि भा.रि.बैं. द्वारा सूचित की गई राशि 2499 करोड़ रु. थी जिससे दो राशियों के बीच 333 करोड़ रु. का अन्तर प्रकट हुआ। अंतर का समाधान नहीं किया गया है।

वर्ष 1995-96 तक भा.रि.बैं. के पास जमा राशियों के प्रगामी अन्तरों के संबंध में चुनिंदा सिविल मंत्रालयों में अंतरों की नमूना जांच से प्रकट हुई स्थिति के विस्तृत ब्यौरे परिशिष्ट-V में दिए गए हैं।

9.3 उचन्त शेष

9.3.1 मुख्य उचन्त लेखाओं के अन्तर्गत शेष

उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत ऐसे सभी लेन-देन जो कि अन्ततः भुगतान द्वारा अथवा नकद वसूली द्वारा अथवा खाता समायोजन द्वारा निपटाए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं। उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत सभी शेषों का थोड़े अन्तरालों पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मद सामान्य समय में उसका निपटान करने के लिए प्रत्येक मामले में लागू नियमों का समुचित रूप से पालन करते हुए यथावश्यक समय से अधिक समय तक असमायोजित नहीं रही हो। अतः इन राशियों का शीघ्र निपटान करने तथा उन्हें समुचित लेखाशीर्षों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। पिछले पांच वर्षों से उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत पड़े हुए आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

तालिका 9.3.1(i) : उचन्त शेष

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि (निवल)
1991-92	डेबिट 4625
1992-93	डेबिट 5894
1993-94	डेबिट 28085
1994-95	डेबिट 7716
1995-96	डेबिट 10320

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1995-96 के दौरान उचन्त शेष पिछले वर्ष से 2604 करोड़ रु. बढ़ गए जिससे 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस उचन्त शेष में बट्टा निक्षेप निधि के रूप में 3005 करोड़ रु. शामिल हैं जो 10320 करोड़ रु. के कुल उचन्त शेष के 29 प्रतिशत बनते हैं। इस कारण उचन्त शेष अनिवार्य रूप से निक्षेप निधि के लिए अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया का ही परिणाम है। यह निधि जीरो कूपन बंधपत्रों पर ब्याज के भुगतान की देयता को पूरा करने के लिए सृजित की गई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत शेष, अभी बट्टे खाते डाले जाने वाले ब्याज के भाग के शेषों को निरूपित करते हैं तथा निधि का 1/5 भाग प्रतिवर्ष ब्याज के भुगतान हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।

डेबिट पक्ष की ओर उचन्त शेष व्यय की मदों के द्योतक हैं तथा क्रेडिट पक्ष की ओर उचन्त शेष समायोजन हेतु प्रतीक्षित प्राप्ति मदों को निरूपित करते हैं। वित्त लेखाओं में दोनों को मिला दिया जाता है तथा केवल निवल आंकड़े दर्शाए जाते हैं। निवल आंकड़ों के रूप में दर्शाए गए आंकड़े दोनों पक्षों की ओर समायोजन हेतु प्रतीक्षित लेन-देनों के मूल्य के कुल परिमाण को नहीं दर्शाते।

पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत उचन्त शेषों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 9.3.1(iii) : मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत शेष

(करोड़ रूपयों में)

लेखा शीर्ष	की निचल पाष		
	31 मार्च 1994	31 मार्च 1995	31 मार्च 1996
भुगतान लेखा कार्यालय उचन्त (भु.ले.का. उचन्त)	डेबिट 436.50	डेबिट 267.98	डेबिट 217.19
उचन्त लेखा सिविल	डेबिट 829.02	डेबिट 568.99	डेबिट 456.84
उचन्त लेखा डा.व ता.	डेबिट 20573.09	डेबिट 97.41	डेबिट 48.64
उचन्त लेखा रक्षा	डेबिट 914.95	डेबिट 635.18	डेबिट 794.38
उचन्त लेखा रेलवे	डेबिट 185.74	डेबिट 215.52	डेबिट 121.30
दूर संचार लेखा कार्यालय उचन्त	डेबिट 1564.36	डेबिट 1830.01	डेबिट 2017.58
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त	डेबिट 528.55	डेबिट 581.35	डेबिट 498.73
विदेशों में की जाने वाली खरीद के लिए उचन्त लेखा	डेबिट 1539.50	डेबिट 1426.68	डेबिट 1848.78
रिजर्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय	डेबिट 61.37	क्रेडिट 48.49	डेबिट 1039.45

विदेशों में की जाने वाली 'खरीद के लिए उचन्त लेखाओं' तथा 'रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय' के अन्तर्गत शेष, 1995-96 के दौरान काफी बढ़े हैं। रिजर्व बैंक उचन्त के संबंध में, आर्थिक कार्य विभाग ने बताया है कि 913 करोड़ रु. की राशि का 1995-96 के दौरान गलती से गलत वर्गीकरण कर दिया गया था जिसका 1996-97 में संशोधन कर दिया गया है।

9.3.2 विदेशों में की जाने वाली खरीद के लिए उचन्त लेखा

सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की बहियों में लघु शीर्ष 'विदेशों में की जाने वाली खरीद के लिए उचन्त लेखा' खोला गया है। उन मामलों में जहां आयात करने का लाईसेंस रखने वाले आयातकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया के अधीन आयात, विदेशी कर्जों तथा क्रेडिट में से वित्तपोषित किए जाते हैं, आयातों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा ही किया जाता है तथा आयातकर्ता से भुगतान प्राप्त होने तक समान राशि इस उचन्त के अन्तर्गत ही रखी जाती है। अतः इन शेषों का आयातकर्ताओं से अग्रिम जमा राशियों द्वारा ही निपटान किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जो कि आयातकर्ताओं से अभी वसूल की जानी होती है, हालांकि सरकार इन आयातों के लिए पहले ही भुगतान कर चुकी होती है। चुने हुए आयातक-वार विवरण दर्शाने वाली सूची परिशिष्ट-VI में दी गई है।

9.3.3 विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय में उचन्त शेषों की विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित स्थिति का पता चला:-

(क) भुगतान लेखा कार्यालय उचन्त

भुगतान लेखा कार्यालय उचन्त के अंतर्गत लेन-देन एक लेखा अधिकारी द्वारा दूसरे लेखा अधिकारी की ओर से की गई वसूलियों अथवा किए गए भुगतान को निरूपित करते हैं

जो कि अंततः उस लेखा अधिकारी जिसके प्रति 'भुगतान लेखा कार्यालय उचन्त' बनाया गया है, की बहियों में अंतिम लेखा शीर्ष को समायोजित की जाती है।

भु.ले.का. उचन्त के अन्तर्गत विदेश मंत्रालय के बकाया शेषों ने 1994-95 की तुलना में 1995-96 में अधोमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है। बकाया शेष जो 1994-95 में 104.10 करोड़ रु. (डेबिट) थे, 1995-96 में घट कर 87.99 करोड़ रु. (डेबिट) हो गए। यह अधोमुखी प्रवृत्ति, मुख्यतः अन्य मंत्रालयों/विभागों की ओर से इस मंत्रालय द्वारा किए गए खर्च के लिए 1993-94 से इस उचन्त शीर्ष के सीमित प्रचालन के कारण है। तथापि, शेषों के वर्षवार ब्यौरों से यह देखा गया था कि पिछले वर्षों के शेषों का निपटान नहीं किया जा रहा था। मार्च 87 तक शेष 9.44 करोड़ रु.(डेबिट) तथा 4.70 करोड़ रु.(क्रेडिट) था। मंत्रालय द्वारा इन मदों के निपटान हेतु शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उनके कथनानुसार समस्त विवरण संबंधित अभिलेखों में उपलब्ध हैं।

इस उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत मंत्रालय, केन्द्र तथा राज्य सरकारों से जाने वाले कर्मचारियों के प्रति विभिन्न मिशनों द्वारा किए गए भुगतानों से संबंधित लेन-देन दर्ज करता है तथा ये बाद में संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूर्त किए जाते हैं। सम्बन्धित फाईलों की जांच करने पर यह देखा गया था कि भु.ले.का. उचन्त के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए शेष, विभिन्न मंत्रालयों के प्रति विदेश मंत्रालय द्वारा किए गए दावों के कारण थे, जो कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा भुगतानों के समर्थन में पर्याप्त विवरण की कमी के कारण अदा नहीं किए जा सके थे।

(ख) उचन्त लेखा (सिविल)

उचन्त लेखा (सिविल), उन लेन-देनों के लेखांकन हेतु खोला गया है जो कि किसी विशेष सूचना अथवा दस्तावेजों जैसे: वाउचर, चालान आदि की कमी के कारण व्यय अथवा प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिए जा सकते।

1995-96 में, विदेश मंत्रालय से संबंधित, इस शीर्ष के अन्तर्गत 17.18 करोड़ रु. (डेबिट) का शेष, विभिन्न मिशनों से चालान और वाउचरों के प्राप्त न होने के कारण बताया गया था। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत शेष उन लेन-देनों को निरूपित करता है, जहां रोकड़ शेष प्रभावित हुआ है परन्तु उनका प्रभाव, सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षों के अन्तर्गत लेखे में नहीं लिया गया है।

1984-85 से पूर्व इसी प्रकार के लेन देन, जो कि वर्तमान में 'उचन्त लेखा (सिविल)' के अन्तर्गत दर्ज किए जाते हैं, 'विभागीय समायोजन लेखा' नामक लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाते थे। 10.05 करोड़ रुपये (डेबिट) की राशि के शेष 31 मार्च 1996 के अन्त तक इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया थे। चूंकि इन शेषों से संबंधित लेन-देन पुराने हैं, अतः और समय बीतने पर उनका निपटान और कठिन होगा क्योंकि संबंधित दस्तावेज सुलभता से उपलब्ध नहीं होंगे।

9.3.4 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग में उचन्त शेषों की विस्तृत संवीक्षा से निम्न प्रकट हुआ:

(क) भुगतान लेखा कार्यालय उचन्त

आर्थिक कार्य विभाग के भुगतान लेखा कार्यालय उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत शेष 31 मार्च 1996 को 7.71 करोड़ रुपये (क्रेडिट) था। यह डेबिट शेष अन्य भुगतान लेखा अधिकारियों की ओर से व्यय की गई राशि को निरूपित करता है और अन्ततः उनके बजट के प्रति, उनकी लेखा पुस्तकों में समायोजित होने योग्य है।

(ख) उचन्त लेखा (सिविल)

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, के उचन्त लेखा (सिविल) के अन्तर्गत 31 मार्च 1996 को शेष 219.48 करोड़ रु. (क्रेडिट) था। इस शीर्ष के अन्तर्गत शेष 1986-87 से बकाया था। विभाग ने बताया कि इसमें से 212.52 करोड़ रुपये (क्रेडिट) की राशि 'एक रूपये के नोट की कीमत' से सम्बन्धित है जो कि परिचलन में चल रहे एक रूपये के नोट की कुल राशि की निगरानी तथा उन नोटों के वापस लिए जाने पर आगे का समायोजन करने के लिए एक लेखांकन समायोजन है। एक नया मुख्य शीर्ष खोलने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन बताया गया है ताकि ये शेष, इस शीर्ष से अन्तरित किये जा सकें।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त

चूंकि बैंक द्वारा किए गए सरकारी लेन देनों को सरकारी रोकड़ शेष में दर्शाने के लिए समय अन्तराल होता है परिशोधन के लिए प्रतीक्षित लेन देनों को लेखा में शामिल करने के लिए यह लघुशीर्ष परिचालित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त के अंतर्गत डेबिट शेष, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा सरकार के स्वामित्व की राशि को निरूपित करते हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल शेष 1994-95 में 41.05 करोड़ रु. (डेबिट) से 1995-96 में 45.06 करोड़ रुपये (डेबिट) तक बढ़ गए। इन शेषों में से 112.08 करोड़ रु. (सकल डेबिट) और 63.53 करोड़ रुपये (सकल क्रेडिट) 1991-92 से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित हैं जिनमें शेषों का मुख्य हिस्सा बनता है। विभाग ने बताया कि जबकि 1990-91 से पूर्व की अवधि से संबंधित शेषों के कुछ भु.ले.का.-वार विवरण उपलब्ध थे, अन्यो के संबंध में विवरण, पुराने शेषों के समाधान की दृष्टि से एकत्रित किए जा रहे हैं।

9.3.5 उचन्त शेषों का प्रभाव

उचन्त शेष, विशेषकर उन शीर्षों के अंतर्गत जिनका किसी एक अथवा दूसरे कारण से अंतिम वर्गीकरण प्रतीक्षित है, उन राशियों को दर्शाते हैं जो कि समुचित कार्यात्मक शीर्ष को अभी लेखाबद्ध किए जाने हैं। अतः लेखे में उनके विद्यमान रहने तक, वित्त लेखे अपूर्ण हैं और लेखाओं के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कार्यात्मक व्यय इन शीर्षों के अन्तर्गत कुल व्यय को नहीं दर्शाता है।

9.4 प्रतिकूल शेष

9.4.1 लेखाओं में प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष उन लेखा शीर्षों, जिनमें सामान्य रूप से नकारात्मक शेष नहीं हो सकते, के अन्तर्गत प्रकट होने वाले नकारात्मक शेष होते हैं। उदाहरणार्थ, किसी कर्ज अथवा अग्रिम के प्रति एक नकारात्मक शेष अग्रिम के रूप में दी गई मूल राशि से अधिक अदायगी दर्शाएगा। ऐसी परिस्थितियां अधिकतर लेखांकन त्रुटियों अथवा लेखाओं के वर्गीकरण के परिमेयकरण से उत्पन्न लेखांकन परिस्थितियां अथवा एक लेखांकन यूनिट को तोड़ कर बहुत सी लेखांकन यूनिटें करने वाले प्रशासनिक पुनर्गठन से उत्पन्न होती हैं। वर्ष 1995-96 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं में ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों के 61 मामले हैं। इनमें से 13 शेष वर्ष 1995-96 में प्रतिकूल हो गए। वित्त लेखाओं में 48 मामले पूर्व वर्षों से ही चले आ रहे हैं। ये सभी मामले यह उल्लेख करने वाली एक टिप्पणी, कि प्रतिकूल शेष जांचाधीन हैं, के द्वारा बतलाए गए हैं। कुछ परिस्थितियों में, प्रतिकूल शेष अनियमितताओं अथवा धोखाधड़ी को छुपाते हैं। प्रतिकूल शेषों की मुख्य मदें परिशिष्ट VII में दी गई हैं।

ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत वित्त लेखों में प्रतिकूल शेषों के सुधार हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ताकि सरकार द्वारा रखे गए शेषों की विवरणियों को वार्षिक लेखाओं में सही ढंग से दर्शाया जा सके। इन शेषों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लेखांकन प्रबन्धों को कारगर बनाया जाना चाहिए।

9.4.2 विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रतिकूल शेषों पर एक पुनरीक्षण किया गया था। इस मंत्रालय से सम्बन्धित 1995-96 के वित्त लेखों में चार प्रतिकूल शेष हैं:

तालिका 9.4.2: विदेश मंत्रालय के प्रतिकूल शेष

(हजार रुपयों में)

1.	8443 -सिविल जमा-113- विदेश में खरीद इत्यादि के लिए जमा	(-) क्रेडिट 193987
2.	8443 - सिविल जमा-117-सावजनिक निकायों अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के लिए किए गए कार्य के लिए जमा	(-) क्रेडिट 136404
3.	7610 - सरकारी कर्मचारियों को कर्जे -203- अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-) डेबिट 33
4.	7610 - सरकारी कर्मचारियों को कर्जे 800- अन्य अग्रिम	(-) डेबिट 15

मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्जे के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष एक असामान्य तथ्य है। इन शेषों के परिशोधन करने के लिए की गई कार्यवाही और प्रतिकूल शेषों के कारण लेखापरीक्षा को नहीं दिए गए थे। अन्य दो प्रतिकूल शेषों की नीचे चर्चा की गई है:

(क) सिविल जमा-113 विदेश में खरीद आदि के लिए जमा

इस शीर्ष में उन लेन देनों का लेखाकरण किया जाता है, जहां विभिन्न विभागों द्वारा विदेश में खरीद के लिए भारत में धन जमा किया जाता है। नकारात्मक शेष यह सूचित करते हैं कि जमा खरीद के पूर्व नहीं किए गए थे जैसा कि अपेक्षित था तथा सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के बाद भी जमा नहीं किए गए थे। यद्यपि इस शीर्ष के अन्तर्गत 1992-93 से कोई लेन देन नहीं हुआ है, फिर भी 19.39 करोड़ रुपये की राशि के बकाया भुगतानों को समायोजित किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय को जमा से अधिक किए गए भुगतानों के ब्यौरे विदेश में संबंधित मिशनों से प्राप्त करने तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों से इन राशियों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए।

(ख) 8443 - सिविल जमा-117 सार्वजनिक निकायों अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के लिए किए गए कार्य के लिए जमा

सार्वजनिक निकायों अथवा प्राइवेट गैर-सरकारी तत्वों से अग्रिम में कार्य की लागत जमा करने की अपेक्षा रखी जाती है, यदि वे इसे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित करवाना चाहते हैं। यहां भी नकारात्मक शेष यह सूचित करते हैं कि या तो जमा बिल्कुल नहीं किए गए हैं या कार्य की लागत अधिक हो गई है और निधियों के लिए प्राधिकार के बगैर विभाग द्वारा लागत वहन की गई है। यहां भी उन पार्टियों के नाम जिनके लिए कार्य निष्पादित किए गए हैं, दर्शाने वाले विस्तृत लेखे उपयुक्त फार्म में नहीं रखे गए हैं। इन लेखाओं को 1992-93 से बन्द भी नहीं किया गया है। इसलिए प्रत्येक सार्वजनिक निकाय और प्राइवेट व्यक्ति की ओर से जमा से अधिक खर्च की गई राशियां सहज ही उपलब्ध नहीं थीं। यह देखा गया था कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के साथ कई मिशनों के लेखे नकारात्मक (प्रतिकूल) शेष दर्शा रहे थे।

मंत्रालय को 13.64 करोड़ रु. के विवरण, उन निकायों, जिनकी ओर से भुगतान किए गए थे, के नामों का पता लगाने तथा उनके द्वारा जमा की गई राशियों से अधिक बकाया राशियों को वसूल करने के लिए समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

9.4.3 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में प्रतिकूल शेषों के संबंध में एक पुनरीक्षण भी किया गया था। विभाग के वित्त लेखे में प्रतिकूल शेषों की एक सूची परिशिष्ट VIII में संलग्न की गई है। 25 प्रतिकूल शेष हैं। इन 25 शेषों में से 11 विभागीयकरण अवधि से पूर्व से संबंधित हैं तथा 1 शेष 1977-78 से प्रतिकूल है। 4 शेष 1995-96 के दौरान प्रतिकूल हो गए हैं। विभाग को इन प्रतिकूल शेषों को यथाशीघ्र परिसमाप्त करने के लिए प्रभावकारी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि पूर्व वर्षों के शेषों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना कठिन हो जाता है।

9.4.4 प्रतिकूल शेषों का प्रभाव

प्रतिकूल शेष गलत वर्गीकरण, त्रुटि अथवा चूक के परिणाम हैं जिनके लिए लेखांकन प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र ही अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए। जिस परिमाण तक वे वित्त लेखाओं में विद्यमान रहेंगे वहां तक लेखाओं की परिशुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

9.5 राजस्व को अंतरित किए जाने वाले अदावी बाजार कर्जे

मुख्य शीर्ष 6001 के नीचे टिप्पणी 1 के साथ पठित सरकारी लेखाविधि नियमावली 1990 के नियम 38 के अनुसार अदावी बाजार कर्जे सामान्यतया कर्जों के भुगतान की तिथि से 20 वर्षों के लिए सरकारी लेखे में ऋण के रूप में रखे जाते हैं जिसके बाद ये शेष राजस्व को अंतरित किए जाने होते हैं। संघ सरकार के वित्त लेखे के विवरण 14 क के अनुसार 10.26 करोड़ रु. की राशि (5 कर्जे) विभिन्न कर्जों के प्रति 20 वर्षों से अधिक समय से बकाया पड़ी हुई थी जिसे राजस्व में क्रेडिट नहीं किया गया था। इन कर्जों को राजस्व में क्रेडिट करने के लिए मुख्य लेखा प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

9.6 शेषों का पुनरीक्षण

यह अनिवार्य है कि सरकार को नियमित अन्तरालों पर विभिन्न ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लोक लेखाओं में बकाया शेषों के संबंध में अपनी निश्चित देयताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। अतः समस्त लेखांकन अधिकारियों को ऐसे शेषों का पुनरीक्षण तथा सत्यापन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या व्यक्तियों/पार्टियों, जिनके द्वारा शेषों को अपने पास रखा गया है या जिनको ये देय हैं, द्वारा शेषों की विशुद्धता को स्वीकार किया गया है तथा असमाधानित अन्तरों तथा मामलों, जहां शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला एक वार्षिक विस्तृत विवरण भेजना अपेक्षित होता है। प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा महा लेखा नियंत्रक को समग्र मंत्रालय/विभाग हेतु 15 अक्टूबर तक एक समेकित रिपोर्ट भेजनी अपेक्षित है। इस पुनरीक्षण को करने का उद्देश्य लेखाओं की विभिन्न बहियों के अनुरक्षण की गुणवत्ता तथा ऋण, जमा और प्रेषणों के आंकड़ों के समाधान को सुनिश्चित करना है। यह देखा गया है कि सिविल विभागों के संबंध में वर्ष 1995-96 के लिए शेषों का पुनरीक्षण केवल अन्तरिक्ष विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय के लिए ही पूरा किया गया है। शेष प्रधान लेखा कार्यालयों ने शेषों का पुनरीक्षण पूरा नहीं किया है और उस सीमा तक ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत शेषों की विशुद्धता को सत्यापित नहीं किया गया है।

9.7 आंतरिक ऋण का लेखांकन

लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, प्रधान भुगतान तथा लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉन्ड के अंतर्गत उगाहे गए कर्जों को '8449- अन्य जमा-120- विविध जमा (क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉन्ड)' शीर्ष के अंतर्गत

केन्द्रीय लेखा अनुभाग नागपुर से सूचनाओं तथा निपटान ज्ञापनों की प्राप्ति होने पर दर्ज किया जाना चाहिए। ये सूचनाएं सार्वजनिक ऋण कार्यालयों के माध्यम से सरकारी लेखे के अधीन प्राप्त दैनिक रोकड़ अंशदानों को दर्शाएंगी। भा.रि.बैं. केन्द्रीय कार्यालय भी उन राशियों को दर्शाते हुए, जिनके लिए बॉन्ड, पहले ही जारी कर दिए गए हैं, भा.रि.बैं. केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के साथ विधिवत रूप से समाधान किए गए सांख्यिकीय विवरण भेजता है। भा.रि.बैं. से सूचना की प्राप्ति होने पर मध्यमवर्ती जमा शीर्ष 8449- अन्य जमा के अंतर्गत प्रविष्टि को मुख्य शीर्ष 6001- आंतरिक ऋण-106-क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉन्ड के अंतर्गत राशि अंतरित करते हुए उलट दिया जाता है।

तथापि, चूंकि भा.रि.बैं. से अंतिम सांख्यिकीय विवरण प्राप्त नहीं हुए थे इसलिए विभाग द्वारा इस लेखांकन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप मध्यमवर्ती जमा शीर्ष के अंतर्गत शेषों का संचयन हुआ था जो संघ सरकार के वित्त लेखे के विवरण सं 14 में दर्शाए गए 6001-आंतरिक ऋण-106-क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉन्ड तथा 8449- अन्य जमा- 120 विविध जमा शीर्षों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के शेषों की प्रवृत्ति से स्पष्ट है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

तालिका 9.7 (i) : शेषों का समाशोधन न किया जाना

(करोड़ रुपयों में)

लेखा शीर्ष	राशि		
	31 मार्च 1994 को	31 मार्च 1995 को	31 मार्च 1996 को
6001-106-क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉन्ड	1082.32	899.47	662.18
8449-अन्य जमा-120- विविध जमा	198.93	623.45	1385.44

वित्त लेखे के विवरण सं. 14 क तथा भा.रि.बैं. केन्द्रीय कार्यालय के विवरणों (जिसका भा.रि.बैं. नागपुर के साथ समाधान किया जाना है) में दिए गए कुछ ऐसे क्षतिपूर्ति बॉन्डों के अथ शेष नीचे दिए गए हैं:

तालिका 9.7 (ii) : भा.रि.बैं. के साथ समाधान किए जाने वाले शेष

(हजार रुपयों में)


क्र. सं.	करजे का नाम	1 अप्रैल 1995 को अथ शेष	
		विवरण 14 क के अनुसार	भा.रि.बैं. केन्द्रीय कार्यालय के अनुसार
1.	9 % राहत बॉन्ड 1987	7780915	7868848
2.	10 % राहत बॉन्ड 1993	2544454	2563372
3.	7 वर्षीय एन आर डी बी बॉन्ड	84708	70355
4.	10 वर्षीय वार्षिकी जमा प्रमाणपत्र योजना 1964	इस ऋण को 1994-95 तथा 1995-96 के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया है।	135394
5.	10 वर्षीय वार्षिकी जमा प्रमाणपत्र योजना 1966	--वही--	55698
6.	4.5 % दस वर्षीय रक्षा प्रमाणपत्र	-- वही --	34765
7.	9 % राहत बॉन्ड 1993	-- वही --	5878858
8.	7 % पूंजीगत निवेश बॉन्ड	297582	568175
9.	15 वर्षीय वार्षिकी प्रमाणपत्र	2327	4036

उपर्युक्त ब्यौरों से यह स्पष्ट है कि भारि.बैं. केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई तथा भारि.बैं. केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर द्वारा इन आंकड़ों का मिलान न किए जाने के कारण संघ सरकार के वित्त लेखाओं के विवरण सं.14 क में दर्शाए गए आंतरिक ऋण कम बताए गए हैं।

9.8 बाह्य ऋण का लेखांकन


भारत सरकार द्वारा विदेशी उधारदाता देशों अथवा संस्थानों से ऐतिहासिक विनिमय दर अर्थात् लेन-देन/प्राप्ति की तिथि को लागू दर पर प्राप्त बाह्य उधारों को सरकारी लेखे में दर्ज किया जाता है। विनिमय दरों में बाद में किए गए परिवर्तनों के अनुसार कर्जों के बकाया शेष सरकारी लेखे में नहीं दर्शाए जाते हैं। विनिमय दर में बाद में किए गए परिवर्तनों के कारण वापस अदायगियों की राशियां लेखाओं के आधार पर किए गए परिकलन के अनुसार देय राशियों से अधिक हैं। विनिमय की दरों में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हुए अंतर की सीमा तक वित्त लेखाओं में रुपयों के रूप में बताए गए बाह्य ऋण कम हुए बताए गए हैं।

31 मार्च 1996 को बकाया बाह्य ऋण की राशि, जो 51248.74 करोड़ रु. दर्शाई गई है, और जिसे विनिमय दर में परिवर्तन के कारण समायोजित नहीं किया गया था तथा यदि विनिमय दर में हुए परिवर्तनों की वजह से समायोजित की जाती तो यह 148582.73 करोड़ रु. परिकलित होती। जितना अंतर है वित्त लेखाओं में बाह्य ऋण उतना कम बताया गया है।



भाग-II

विनियोग लेखे



अध्याय X

विनियोग लेखाओं तथा लेखापरीक्षा उपलब्धियों का सारांश

विनियोग लेखे संघ सरकार (सिविल)			
अनुदानों/विनियोगों की कुल संख्या	92	विभागीयकृत	88
		अविभागीयकृत	4
(करोड़ रुपयों में)			
कुल प्रावधान	378799.00	सकल व्यय	322027.31
मूल प्रावधान	362902.81		
अनुपूरक प्रावधान	15896.19		
1995-96			
प्रावधान	282078.82	←प्रभारित→	व्यय 231830.65
प्रावधान	96720.18	←दत्तमत→	व्यय 90196.66
प्रावधान	154912.06	←राजस्व→	व्यय 146852.54
प्रावधान	223886.94	←पूंजीगत→	व्यय 175174.77
बजटीय	6117.08	←वसूलियां→	वास्तविक 5623.64
	निवल व्यय 316403.67		

10.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के शीघ्र पश्चात्, भारत की समेकित निधि में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम में विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि से कुछ राशि के

विनियोग का प्राधिकार निहित है। तत्पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत किए जा सकते हैं।

विनियोग अधिनियमों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों पर संसद द्वारा दत्तमत व्यय सम्मिलित होता है तथा इनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भारत की समेकित निधि पर प्रभारित किया जाने वाला व्यय भी सम्मिलित होता है। विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत राशि की तुलना में सरकार द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किए गए व्यय की राशियों के विवरण दर्शाते हुए, प्रति वर्ष तैयार किए जाते हैं।

क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे: सिविल, रक्षा सेवाएं, डाक सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं तथा रेलवे, के अनुसार संसद को पांच पृथक विनियोग लेखे प्रस्तुत किए जाते हैं। ये विनियोग लेखे वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र रूप से अनुदान/विनियोग के लिए कुल संस्वीकृत अनुदान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा बचत/अधिक व्यय को प्रदर्शित करते हैं। क्रियाकलापों के पृथक क्षेत्रों के अन्तर्गत 1995-96 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों/विनियोगों की मांगों की संख्या नीचे दी गई है:

क्रियाकलाप का क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	92
रक्षा सेवाएं	5
डाक सेवाएं	1
दूर संचार सेवाएं	1
रेलवे सेवाएं	16
जोड़	115

डाक एवं दूरसंचार सेवाओं, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे के लिए अनुदानों के संबंध में विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों द्वारा तैयार किये जाते हैं। उपरोक्त उल्लिखित 92 अनुदानों तथा विनियोगों के संबंध में विनियोग लेखे (सिविल) वित्त मंत्रालय में महालेखा - नियंत्रक द्वारा तैयार किए जाते हैं।

10.2 विनियोग लेखापरीक्षा

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या विभिन्न अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियमों के अन्तर्गत ही है तथा संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रभारित किया जाने वाला व्यय प्रभारित किया गया है। यह इस बात का भी पता लगाता है कि क्या इस प्रकार से किया गया व्यय, विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

इस भाग में वर्ष 1995-96 के लिए महालेखानियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखाओं (सिविल) के संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निहित हैं। उपर्युक्त क्रियाकलापों के अन्य क्षेत्रों के विनियोग लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा उपलब्धियां नि.म. ले.प. के 1997 के प्रतिवेदन सं. 6,7, तथा 9 में शामिल की गई हैं।

10.3 विनियोग लेखे (सिविल)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 तथा 115 के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान संसद द्वारा पारित विभिन्न विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में प्राधिकृत विभिन्न राशियों की तुलना में, 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के विनियोग लेखाओं (सिविल) का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 10.3: अनुमोदन एवं व्यय

व्यय का स्वरूप	(करोड़ रुपयों में)				
	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	जोड़	मासिक व्यय	व्यय
I. राजस्व दत्तमत	69473.01	8064.88	77537.89	73045.32	4492.57
II. पूंजीगत दत्तमत	8721.57	3357.89	12079.46	11055.00	1024.46
III. कर्जे तथा पेशगियां दत्तमत	5765.53	1337.30	7102.83	6096.34	1006.49
कुल दत्तमत	83960.11	12760.07	96720.18	90196.66	6523.52
IV. राजस्व प्रभारित	77275.32	98.85	77374.17	73807.22	3566.95
V. पूंजीगत प्रभारित	7.88	3.24	11.12	8.27	2.85
VI. लोक ऋण प्रभारित	184928.28	--	184928.28	139245.95	45682.33
VII. कर्जे तथा पेशगियां प्रभारित	16731.22	3034.03	19765.25	18769.21	996.04
कुल प्रभारित	278942.70	3136.12	282078.82	231830.65	50248.17
सकल जोड़	362902.81	15896.19	378799.00	322027.31	56771.69


- टिप्पणी: (1) अनुदानों के लिए मांग में, प्रभारित व्यय के प्रावधान को विनियोग कहा जाता है तथा दत्तमत व्यय के प्रावधान को अनुदान कहा जाता है।
(2) डाक एवं दूरसंचार, रक्षा सेवाएं तथा रेलवे को छोड़कर; विवरण नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन, 1997 की सं. 6,7 तथा 9 में पृथक रूप से दिए गए हैं।

56771.69 करोड़ रु. की समग्र बचत 15896.19 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान से तीन गुणा से भी अधिक थी तथा पिछले वर्ष के कुल प्रावधान के 12.93 प्रतिशत की तुलना में, 378799 करोड़ रु. के कुल प्रावधान का 14.99 प्रतिशत बनी।

10.4 प्रभारित तथा दत्तमत व्यय

वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की अनुमोदित मांगों (अनुदानों एवं विनियोगों) के प्रति किए गए वास्तविक व्यय की राशियों का विवरण अनुबंध -I में दिया गया है। यह देखा जाएगा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 66 से 72 प्रतिशत तक का व्यय भारत की समेकित निधि पर प्रभारित किया गया था।

1991-92 से 1995-96 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान, सरकार का कुल व्यय 180575 करोड़ रु. से बढ़कर 322027 करोड़ रु. हो गया है। सिविल क्षेत्र में प्रभारित व्यय 122373 करोड़ रु. से बढ़कर 231831 करोड़ रु. हो गया है जबकि दत्तमत व्यय 58202 करोड़ रु. से बढ़कर 90196 करोड़ रु. हो गया है। एक ग्राफिक समीक्षा नीचे चित्रित की गई है।



1995-96 के दौरान सिविल मंत्रालयों का प्रभारित व्यय मुख्यतः ब्याज भुगतान (50045 करोड़ रु.), ऋण की वापस अदायगी (139246 करोड़ रु.), राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों (41674 करोड़ रु.) तथा अन्य (886 करोड़ रु.) को अंतरण के कारण था तथा कुल व्यय का 72 प्रतिशत बना। चूंकि प्रभारित व्यय के लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती, संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र, कुल संवितरण के केवल लगभग 28 प्रतिशत तक सीमित हो जाता है। यदि वेतन तथा भत्तों पर व्यय को भी इसमें जोड़ा जाय तो भारत की समेकित निधि के कुल संवितरण के केवल लगभग 20 प्रतिशत पर संसद द्वारा प्रभावी मतदान किया जाता है।

10.5 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

ऊपर पैरा 10.3 में उल्लिखित समग्र बचत 208 मामलों में बचत तथा दो मामलों में अधिक व्यय का निवल परिणाम था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 10.5 चुने हुए अनुदानों/विनियोगों में निवल बचत

(करोड़ रुपयों में)

प्रभावित अनुदान एवं विनियोग	बचत		आधिक्य		निवल बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
दत्तमत	4501.00	2030.96	8.43	0.01	4492.57	2030.95
अनुदानों की संख्या	83	65	1	1	--	--
प्रभारित	3566.95	46681.22	-	-	3566.95	46681.22
विनियोगों की सं.	41	19	--	--	--	--

वर्ष 1995-96 के लिए प्राप्त मूल प्रावधान (362902.81 करोड़ रु.) वर्ष 1994-95 के प्राप्त प्रावधान (335044.48 करोड़ रु.) से 8.31 प्रतिशत अधिक था। तथापि, वर्ष 1995-96 में प्राप्त अनुपूरक अनुदान तथा विनियोग, वर्ष 1994-95 के दौरान 4.21 प्रतिशत के प्रति, मूल अनुदानों तथा विनियोगों का केवल 4.38 प्रतिशत था।

10.6 बिना संस्वीकृति के किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 266 (3), 267 (1) तथा 283 (1) के प्रावधानों की शर्तों के अध्वधीन सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, कोई प्राधिकारी, तब तक कोई व्यय नहीं कर सकता अथवा किसी देयता को वहन नहीं कर सकता जिसमें सरकारी लेखे से निवेश अथवा जमा के लिए धन का व्यय अथवा अंतरण अंतर्ग्रस्त हो जब तक ऐसा व्यय अथवा अंतरण, जैसी भी स्थिति हो, सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी जिसे इस विषय में विधिवत रूप से शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा संस्वीकृत न किया गया हो'।

वर्ष 1995-96 के लिए विनियोग लेखाओं के अनुलग्नक 'ख' की संवीक्षा से पता चला कि वित्त मंत्रालय तथा भूतल परिवहन मंत्रालय ने सा.वि.नि. के नियम के उल्लंघन में बिना उपयुक्त संस्वीकृति के 358 मदों पर कुल 87.28 करोड़ रु. का व्यय किया जैसा कि इस अध्याय के अनुबन्ध-II में विवरण दिया गया है। महालेखा नियंत्रक ने व्यय का सत्यापन करते समय इस राशि को छोड़ दिया है। इस व्यय के नियमन हेतु उपयुक्त संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

10.7 मार्च के महीने में किया गया व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 की टिप्पणी 3 के अनुसार विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में भारी व्यय, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। उपर्युक्त प्रावधान के विपरीत, लेखापरीक्षा में नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि बहुत से मामलों में, कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक मार्च 1996 के महीने में किया गया था। ऐसे कुछ उदाहरण परिशिष्ट-IX में दर्शाए गए हैं।

41 अनुदानों/विनियोगों की बाबत 101 मुख्य शीर्षों के संबंध में मार्च 1996 में किया गया व्यय, इन अनुदानों/विनियोगों में कुल व्यय का 79.98 प्रतिशत बनता था। उसी प्रकार, 38 अनुदानों/विनियोगों की बाबत 104 मुख्य शीर्षों के संबंध में मार्च 1995 में किया गया व्यय, कुल व्यय का 72.83 प्रतिशत बनता था।

परिशिष्ट -IX में दिए गए विवरण यह दर्शाते हैं कि अनुदानों, कर्जों तथा निवेश पर लगभग समस्त व्यय के संबंध में, निधियां केवल मार्च के महीने में ही जारी की जाती हैं। इस प्रथा से कार्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है। इस बात का भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या इस प्रथा का विकास के समग्र लक्ष्यों, जिनके लिए इन निधियों के उपयोग का उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिनके लिए ये दत्तमत अथवा, विनियोजित की जाती हैं, पर कोई प्रभाव पड़ता है।

चूंकि मार्च में विभिन्न संगठनों को जारी निधियां, वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकती, यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि क्या इन निधियों का उन्हीं प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया गया था जिनके लिए वे प्राधिकृत की गई थीं। इसके कारण व्यक्तिगत खाता लेखाओं/बैंकों में धन जमा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।

10.8 विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा उपलब्धियां

आगामी अध्यायों में, विनियोग लेखाओं के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें संसद द्वारा किए गए अनुमोदन से अधिक व्यय, बचत के लिए स्पष्टीकरण, पुनर्विनियोग, अनुपूरक अनुदानों का उपयोग तथा गहन तहकीकात हेतु चुने गए मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण शामिल है। व्यय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में, पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्तियां एक संतुलित मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत की गई हैं।

अनुबन्ध-I

(पैराग्राफ 10.4 देखें)

प्रभारित तथा दत्तमत व्यय का अनुपात
(सिविल क्षेत्र)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदन					व्यय				
		दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत की प्रतिशतता	प्रभारित की प्रतिशतता	दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत की प्रतिशतता	प्रभारित की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1991-92	63814	142537	206351	31	69	58202	122373	180575	32	68
2.	1992-93	74367	141321	215688	34	66	68904	134672	203576	34	66
3.	1993-94	88069	203866	291935	30	70	82497	188621	271118	30	70
4.	1994-95	94380	254781	349161	27	73	87054	216958	304012	29	71
5	1995-96	96720	282079	378799	26	74	90196	231831	322027	28	72

अनुबन्ध-II

(पैराग्राफ 10.6 देखें)

आपत्ति के अधीन रखे गए विविध व्यय का विवरण

मंत्रालय/विभाग	अनुदान की संख्या तथा नाम	मदों की संख्या	आपत्ति के अधीन रखा गया कुल व्यय (हजार रुपयों में)
क-एक लाख रुपए अथवा अधिक की राशि की आपत्तियों की मदें			
वित्त	34-राजस्व	9	37,24
	36-अप्रत्यक्ष कर	1	1,40
भूतल परिवहन	77-सड़कें	249	8655,34*
	जोड़ (क)	259	8693,98
ख-एक लाख रुपए से कम की राशि की आपत्तियों की मदें			
वित्त	34-राजस्व	10	4,34
	36-अप्रत्यक्ष कर	3	1,58
भूतल परिवहन	77-सड़कें	86	28,41*
	जोड़ (ख)	99	34,33
	जोड़ (क) + (ख)	358	8728,31

* व्यय राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण-कार्यों से संबंधित है, जिनका निष्पादन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सौंपा गया है।

अध्याय XI

अधिक व्यय

दो अनुदानों में अधिक व्यय (सिविल)		
राजस्व (दत्तमत)	→	8,43,16,283 रु.
पूँजीगत (दत्तमत)	→	99,150 रु.
कुल आधिक्य	→	8,44,15,433 रु.

11.1 अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक व्यय

वित्तीय नियमों के उपबन्धों के अनुसार, ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया जाना चाहिए जिसका आकस्मिक निधि से अग्रिम अथवा अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा विधि के अनुसार प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग पर बढ़ने का प्रभाव पड़ता हो। तथापि, यह देखा गया कि राजस्व अनुभाग में, एक अनुदान के संबंध में प्राधिकृत राशि की तुलना में 84316283 रु का व्यय अधिक हुआ। पूँजीगत अनुभाग में एक अनुदान के संबंध में 99150 रु का व्यय अधिक हुआ। इन अनुदानों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 11.1: अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक व्यय

क्र. सं.	अनुदान	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि (%)	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
राजस्व-दत्तमत		रुपये			
1.	81- लोक निर्माण-कार्य	379,75,00,000	388,18,16,283	843,16,283 (2.22)	चल रहे निर्माण कार्यों की मांग को पूरा करने के लिए अधिक स्टील तथा सीमेंट की प्राप्ति, अधिक अपरिहार्य निर्माण कार्यों का उत्तरदायित्व लेने तथा सामग्री तथा श्रम की लागत की वृद्धि; रिक्त पदों को भरने तथा बड़ी हुई अंतरिम राहत, महंगाई भत्ता तथा बोनस; आवश्यक निर्माण कार्यों पर अपरिहार्य व्यय और वाहनों, पुराने औजारों तथा संयंत्रों की मरम्मत के मूल्य में वृद्धि के कारण
कुल राजस्व-दत्तमत		379,75,00,000	388,18,16,283	8,43,16,283	

क्र. सं.	अनुदान	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि (%)	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
पूँजीगत- दत्तमत		रुपये			
2.	65 - पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1034,86,00,000	1034,86,99,150	99,150 (0.001)	निवल सीमान्त आधिक्य, तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा सरकार को बोनस शेयर देने से प्रकट हुई त्रुटि को पूर्णांकित करने के कारण हुआ।
जोड़ पूँजीगत-दत्तमत		1034,86,00,000	1034,86,99,150	99,150	

11.1.1 अधिक व्यय का विश्लेषण

(क) अनुदान सं. 81-लोक निर्माण-कार्य

वर्ष 1995-96 के लिए लोक निर्माण विभाग से संबंधित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा पर यह देखा गया था कि राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 379.75 करोड़ रु के बजट प्रावधान के प्रति, विभाग ने 394.75 करोड़ रु का व्यय किया जिससे व्यय संस्वीकृत प्रावधानों से 15.00 करोड़ रु अधिक हो गया। उन उप-शीर्षों, जिनके अंतर्गत अधिक व्यय किया गया था, के विवरण निम्न प्रकार से हैं :

मुख्य शीर्ष 2059

(करोड़ रुपये में)

उप-शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
क.1(2) - अनुरक्षण एवं मरम्मत दत्तमत			
मू 69.00	71.80	75.71	3.91
अ 2.80			
क.1(3) - निर्माण	1.00	1.83	0.83
क.1(3)(1) - मुख्य निर्माण-कार्य			
क.1(5) - उचन्त	112.00	120.87	8.87
क.1(5)(1) - स्टॉक			
क.1(5)(2) - विविध निर्माण-कार्य अग्रिम			
मू 7.00	4.00	4.52	0.52
पु -3.00			

उप-शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
क.2 -अन्य भवन क.2(1) - अनुरक्षण एवं मरम्मत क.2(1)(1) - लघु निर्माण-कार्य दत्तमत			
मू 15.00 अ 0.85	15.85	21.80	5.95

मू = मूल प्रावधान ; अ = अनुपूरक प्रावधान ; पु = पुनर्विनियोग

मंत्रालय ने क.1(5)(1)-स्टॉक के अंतर्गत अधिक व्यय, चल रहे निर्माण कार्यों की मांग को पूरा करने के लिए अधिक स्टील तथा सीमेंट की अधिप्राप्ति को बताया।

तथापि, दिसम्बर 1996 में प्राप्त अंतिम लेखाओं से यह पता चला था कि क.1(5)(1)-स्टॉक के प्रति 120.87 करोड़ रु का व्यय, भारत के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष '8658 उचन्त लेखा' के अंतर्गत 'सामग्री खरीद निपटान उचन्त लेखा' को 6.43 करोड़ रु तक व्यय के अंतरण हेतु एक जर्नल प्रविष्टि के द्वारा घटाकर 114.26 करोड़ रु कर दिया गया था।

इस व्यय का अंतरण, लोक निर्माण कार्य लेखाओं में भण्डार लेन-देन हेतु लेखांकन प्रक्रिया का उल्लंघन था।

इस प्रकार, उचन्त शीर्ष 8658 को 6.43 करोड़ रु अनियमित रूप से अंतरित करने की विभाग की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं थी तथा उससे अंतिम उप-शीर्ष क.1(5)(1)-स्टॉक के अंतर्गत व्यय कम हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अनुदान के अंतर्गत निवल आधिक्य 8.43 करोड़ रु कम हुआ था।

(ख) अनुदान सं. 65-पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

बोनस शेयर जारी करने के लिए अनुपूरक के अंतिम बैच के दौरान 1030.57 करोड़ रु का अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके मुख्य शीर्ष '4802'-पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय के नीचे 'कच्चे तेल और गैस की खोज और उत्पादन-सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम में निवेश-तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लि.' के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में प्रावधान किया गया था तथा संसद को सूचित किया गया था कि अनुदान के अंदर बचत के माध्यम से 4.29 करोड़ रु के शेष का पुनर्विनियोग करके व्यय 1034.86 करोड़ रु के लगभग हो जाएगा। तथापि, अन्ततः किया गया व्यय 1034.87 करोड़ रु था जिसके परिणामस्वरूप 0.01 करोड़ रु (वास्तविक आधिक्य 99,150 रु.) का निवल आधिक्य हुआ।

यह ध्यान देने योग्य है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के बावजूद दोनों मामलों में अधिक व्यय हुआ था।

उपर्युक्त मामलों में, जहां धन उस वर्ष के लिए सेवाओं हेतु प्राधिकृत राशि से अधिक खर्च किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन किया जाना अपेक्षित है।

अध्याय XII

बचत

20 मामलों में 100 करोड़ रु. से अधिक	15 अनुदानों तथा 3 विनियोगों में
41 मामलों में 20 करोड़ रु. से 100 करोड़ रु. के बीच	35 अनुदानों तथा एक विनियोग में
बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक	9 अनुदान

12.1 विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत बचत

अनुदान अथवा विनियोग में हुई बचत यह दर्शाती है कि व्यय, अनुमान, पूर्वानुमान तथा योजना के अनुसार नहीं किया जा सका था। वे घटिया बजट तैयार करने अथवा निष्पादन में कमी के सूचक हैं जो परिस्थितियों और प्रयोजन, जिनके लिए मूल अनुदान अथवा विनियोग मुहैया कराए गए थे; पर निर्भर करते हैं। जैसा कि ऊपर पैरा 10.3 में उल्लेख किया गया है, सरकार के बजट में समग्र बचत (डाक, दूर संचार, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं को छोड़कर) कुल 56771.69 करोड़ रु. थी। इसमें से 41622.18 करोड़ रु. की बचत प्रत्याशा से कम खजाना बिलों के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप 91-दिवसीय खजाना बिलों के कम वापस लेने के कारण थी। कुल बचत में उसी कारण से 91-दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज के कम भुगतान के कारण 439.28 करोड़ रु. भी शामिल थे। इन दोनों को छोड़कर, प्रभावी बचत 14710.23 करोड़ रु. थी।

विनियोग लेखाओं की विस्तृत संवीक्षा से पता चलता है कि विद्युत, परमाणु ऊर्जा, जल संसाधन, पत्तन, प्रकाश-गृह तथा नौपरिवहन, ब्याज भुगतान, ऋण की वापस अदायगी आदि जैसे कुछ अनुदानों तथा विनियोगों में बचत दर्ज की जा रही हैं जो कि न केवल बराबर बनी हुई हैं, अपितु एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो वर्ष 1995-96 के दौरान जारी रही। ये बड़ी बचतें इस बात का संकेत करती हैं कि मंत्रालय अपने-अपने लिए निधियों की आवश्यकताओं का पुनरीक्षण करें। न केवल अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच भारी भिन्नताओं को कम करने के लिए, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का लाभप्रद इस्तेमाल करने के लिए बजटीय कार्य को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

12.2 100 करोड़ रु. अथवा अधिक की बचत

लोक लेखा समिति ने फरवरी 1994 में प्रस्तुत अपने 60वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) के पैरा 1.24 में संस्वीकृत प्रावधान की तुलना में होने वाली बचत में तीव्र वृद्धि पर टिप्पणी की थी। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि वित्त मंत्रालय को बड़ी बचतों की खेदपूर्ण स्थिति पर काबू पाने और समुचित उपाय के लिए समस्या को गम्भीरता से लेना चाहिए तथा यह भी इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक वर्ष के दौरान किसी अनुदान अथवा विनियोग से हुई 100 करोड़ रु. अथवा अधिक की बचत के संबंध में एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी समिति को प्रस्तुत की जाए। वे मामले जिनमें 100 करोड़ रु. अथवा अधिक की बचत हुई नीचे तालिका 12.2 में दिए गए हैं:

तालिका 12.2 : विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. से अधिक की बचत

क्र. सं.	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
दत्तमत अनुदान				
राजस्व				
1.	1-कृषि**	206.70 (13.50%)	दाता एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से निधियां जारी करने का बजट पश्चात निर्णय; व्यय वित्त समिति द्वारा योजना/परियोजना का अनुमोदन न किया जाना; दाता एजेंसी द्वारा कार्यक्रम को अन्तिम रूप न देना; कार्यान्वयन एजेंसी को निधियों का प्रस्ताव प्राप्त न होना; समर्थन मूल्य स्तर की अपेक्षा उच्च दर मूल्य के कारण कोपरा की अनुमान से कम प्राप्ति; उपलब्ध शेषों के समायोजन के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों की कम मांग; उन्नत प्रशिक्षण केन्द्रों को उनकी परियोजना अवधि के पूरा होने के कारण निधियों का जारी न किया जाना।	भारत में एकीकृत महामारी प्रबन्ध- समिति का सुदृढीकरण एवं विकास; बागवानी उत्पाद का निर्यात वृद्धि कार्यक्रम, बागवानी की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, छोटे किसान कृषि-व्यापार संघ को सहायता, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान; एन.ए.एफ.ई.डी. की मूल्य समर्थन परिचालन आरक्षित निधि को अंशदान; तिलहनों का विकास; गन्ना आधारित क्रॉपिंग, बागवानी तथा सब्जी की फसलों का वहनीय विकास। विस्तार तथा किसान प्रशिक्षण; केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान;


क्र.स.	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
2.	15-रक्षा मंत्रालय	101.33 (4.97%)	भण्डार की खरीद में कमी, समयोपरि भत्ते में कमी तथा आर्थिक उपाय लागू करना; प्रत्याशा से कम लोगों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देना	विविध सामान्य सेवाएं; स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।
3.	24-आर्थिक कार्य विभाग*	882.34 (25.36%)	ब्याज का कम भुगतान, वसूली ट्रिब्युनलों की स्थापना न करना/कार्य न करना, कम दौरे, आर्थिक उपाय, आशा से कम दावों की प्राप्ति, भारि.बैं. द्वारा निधियों की कम मांग; आर्थिक सहायता के लिए कम भुगतान तथा भारि.बैं. द्वारा विनिमय की कम हानि का समायोजन तथा दावों को अन्तिम रूप न देना।	अनिवार्य जमा (आय कर दाता) योजना 1974 के अन्तर्गत जमा राशियों पर ब्याज, ऋण वसूली ट्रिब्युनल, जी आई सी आदि के माध्यम से गरीबों के लिए बीमा योजना, लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता, विनिमय हानियां तथा विदेशी मुद्रा लेखा योजना,
4.	26-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	153.37 (6.48%)	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से किए गए आहरणों के प्रति भुगतान योग्य आवधिक प्रभारों की दर में भिन्नता के कारण आशा से कम निधियों की मांग; निधियों के चतुर्थ आपूरण की बाबत अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत का पूरा न होना, विदेशी एजेंसियों द्वारा निधियों का आशा से कम संवितरण; विदेशी सहायता के कम उपयोग के कारण प्रतिपूर्ति हेतु आशा से कम राशि की आवश्यकता; आशा से कम दावों के कारण ब्याज के अन्तर के प्रति आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु कम राशि की आवश्यकता; भा.औ.वि. बैंक के निष्पादन का पुनरीक्षण लम्बित होने के कारण राशि को जारी न करने का बजट पश्चात निर्णय, भा.औ.के.नि.क. तथा हा.वि. वि.नि. द्वारा क्रेडिट की विदेशी लाईनों के उपयोग में अन्तर्ग्रस्त विनिमय द्वारा हानि की प्रतिपूर्ति के प्रति आशा से कम दावों की प्राप्ति।	अन्य वित्तीय सेवाएं, कृषीय वित्तीय संस्थान; उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय; नौपरिवहन; सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थान। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान; अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं।

क्र. सं.	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा बताया गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
5.	28-राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण****	277.38 (2.87%)	आशा से कम बट्टे खाते डाले गए कर्जे; राज्य सरकारों के निष्पादन में कमी तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के व्यय विवरण प्राप्त न होना; रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा कम दावे।	दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के कर्जों को बट्टे खाते डालना, राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान, रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि।
6.	37-खाद्य मंत्रालय	139.71 (2.46%)	रिक्त पदों को न भरना तथा किफायती उपाय; भण्डारण की हानियों के कारण लेखापरीक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण खाद्यान्नों की कम खरीद तथा कम प्रतिपूर्ति; पेशगी का भुगतान न करना, उनकी आर्थिक सहायता/सहायता अनुदान के दावों की निर्धारित औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण आशा से कम पात्र आवेदनों की प्राप्ति।	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं, खाद्यान्न लेन-देन पर भारतीय खाद्य निगम को भुगतान योग्य आर्थिक सहायता, अनाज बचाओ अभियान, चीनी के प्रतिरोधक स्टॉक के अनुरक्षण हेतु आर्थिक सहायता, चीनी उद्योग के विकास हेतु सहायता अनुदान।
7	46-शिक्षा विभाग	408.81 (10.96%)	गुणात्मक सुधार पर अधिक बल देने के लिए परियोजना का विस्तार न करना; समिति के पास पड़े पिछले वर्ष के अव्ययित शेष का समायोजन, ओवरसीज विकास एसोसिएशन द्वारा उठाए गए कुछ मौलिक मुद्दों का निपटान न करने के कारण आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को निधियां जारी न करना; योजना को देर से बनाना तथा परिणामस्वरूप कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को पोषक समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को देर से प्रारम्भ करना; भोपाल में केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भवन के निर्माण में विलम्ब; पांच आंचलिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को	बिहार शिक्षा परियोजना, लोक जुम्बिश/राजस्थान परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, शिक्षा का व्यावसायीकरण, आदर्श विद्यालय की स्थापना, निरक्षरता को दूर करने के लिए विशेष परियोजना, शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम, छात्रवृत्ति तथा वृत्ति प्रौद्योगिकी विकास मिशन, केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाएं, प्रौढ़ शिक्षा ग्रामीण कार्य संबंधी साक्षरता कार्यक्रम, पश्च साक्षरता तथा सतत शैक्षिक क्रियाकलाप, विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा।

क्र. सं.	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
			वापिस अन्तरण; किफायती उपाय; व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होना, अनुदानों के आहरण हेतु अपेक्षित औपचारिकताओं का पूरा न होना, छात्रवृत्तियों/वृत्ति छात्रों की संशोधित दरों की प्राप्ति न होना, एक मिशन नामतः प्राकृतिक आपदा प्रशमन का अनुमोदन न किया जाना; योजना की प्रणाली को अन्तिम रूप न दिया जाना।	
8	50-औद्योगिक विकास विभाग**	504.00 (61.40%)	विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं द्वारा मशीनरी/उपकरण को अंतिम रूप न देना तथा संकाय रिहायश खण्ड के निर्माण की रूपान्तरित स्थिति का अनुमोदन न होना; स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए कम श्रमिकों की इच्छा; आर्थिक मामलों की संसदीय समिति द्वारा क्षेत्र सम्पोषण योजनाओं को अंतिम रूप न देना, डेनमार्क सरकार से प्राप्त सहायता सामग्री का विलम्बित समायोजन; ब्याज भुगतान के अनुमोदन न होने के परिणामस्वरूप केवल मूलधन राशि का निर्गम।	राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान, राष्ट्रीय नवीकरण निधि को अन्तरण, परामर्श पुनःप्रशिक्षण तथा क्षेत्र सम्पोषण योजना, सीमेंट उद्योग हेतु मानव संसाधन विकास, आई.आर.बी.आई. द्वारा इंडिया मशीनरी लि. को दी गई निधियों के बदले में उनको भुगतान।
9	70-ग्रामीण विकास विभाग	303.02 (3.67%)	सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति के लिए किसी परियोजना को आरम्भ न करने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों से दावों का प्राप्त न होना; अन्य विभागों/मंत्रालयों से टिप्पणियों/समाचार प्राप्त न होने के कारण योजना का अनुमोदन न होना, सू. ग्र.क्षे.का. में सम्मिलित करने के लिए केबिनेट द्वारा कार्यक्रम का अनुमोदन न करना, ग्रामीण आवास कार्यक्रम को इंदिरा आवास योजना में मिलाने का बजटोत्तोर निर्णय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले	ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, पंचायत स्तर पर ग्रामीण हाटों का विकास, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, सफाई सेवा-जन कार्यवाही तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए परिषद को सहायता, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आर्थिक सहायता, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास,

क्र. सं.	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
			<p>लोगों के लिए सामाजिक लाभ उपलब्ध करवाने की योजना का धीमा कार्यान्वयन, अनुसंधान परामर्श समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के अपर्याप्त संख्या के कारण निधियों की कम मांग; गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना; गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त परियोजनाओं की कम संख्या के कारण निधियों की कम मांग, निधियों को जारी करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा न करने के कारण कुछ कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षित से कम निधियों की मांग; राज्य सरकारों से निधियों के जारी करने के लिए पर्याप्त प्रस्तावों का प्राप्त न होना, चल रही परियोजनाओं में तीव्रता लाने तथा जल गुणवत्ता समस्याओं के लिए नई परियोजनायें लाने में असमर्थता।</p>	राजीव गान्धी राष्ट्रीय पेय जल मिशन।
10	79-कपड़ा मंत्रालय ****	114.17 (18.59%)	<p>पिछले वर्षों की अनुपयोजित योजना को अधिक अग्रणीत करना तथा कुछ योजनाओं का अनुमोदन न होना; धीमी प्रगति के कारण राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होना; अनुबंधित शर्तों का पूरा न होना, बाजार विकास सहायता दिशानिर्देशों में संशोधनों के विलम्ब से अनुमोदन के कारण राज्य सरकारों द्वारा अनुरूप शेयर उपलब्ध नहीं करवाये गये; जनता कपड़े के उत्पादन हेतु लक्ष्यों को पूरा न करना; राज्य सरकारों से कोई भी दावे प्राप्त न होना।</p>	<p>रेशम उद्योग का विकास, जूट विशेष विकास निधि को अन्तरण, ग्रामीण तथा लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग, जूट विशेष विकास निधि।</p>

क्र. सं.	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा बताया गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
दत्तमत्त अनुदान - पूंजीगत				
11	10-कोयला मंत्रालय **	143.74 (29.79%)	परियोजनाओं/योजनाओं का अनुमोदन न होना, विदेशी आपूर्तिकर्ता से सामग्री की कम आपूर्ति तथा की गई आपूर्तियों के लिए बिलों का न प्राप्त होना; योजना की कम आवश्यकता कम्पनी के आन्तरिक संसाधनों से पूरी की जा सकती थी।	विद्युत परियोजनाओं हेतु कर्जे, कोयला तथा भूरे कोयले हेतु कर्जे (बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना/ योजना)।
12	26-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान*	283.87 (6.00%)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अंशदान के लिए केन्द्रीय सरकार के हिस्से वास्ते कम राशि की मांग, एशिया विकास बैंक द्वारा अपनाई गई विनिमय दर के सम्बन्ध में निवेश हेतु कम राशि की मांग; अफ्रीका विकास निधि की IV आपूरण के सम्बन्ध में निर्णय को अन्तिम रूप न देना; वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान हेतु मांग न प्राप्त होना; बाह्य एजेंसियों द्वारा विदेशी सहायता की प्रत्याशा से कम मांग के कारण प्रतिपूर्ति हेतु कम राशि की मांग।	कृषि वित्तीय संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश कृषि वित्तीय संस्थाओं तथा औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्जे।
13	29-सरकारी कर्मचारियों को कर्जे आदि	112.02 (38.10%)	सरकारी कर्मचारियों से कर्जों के लिए प्रत्याशा से कम आवेदन पत्रों का प्राप्त होना।	गृह निर्माण पेशगियां, मोटर वाहनों की खरीद के लिए पेशगियां, अन्य वाहनों की खरीद के लिए पेशगियां।



क्र. सं.	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
14	69-विद्युत मंत्रालय *	432.46 (15.36%)	संसाधन अन्तराल में भारत सरकार के हिस्से के आनुपातिक निर्गम हेतु मध्य प्रदेश सरकार से निधियों के जारी करने हेतु प्रस्ताव का प्राप्त न होना, प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए निष्पक्ष लम्बित निर्णय के कारण निधियों को जारी न करना, स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न रूकावटों/व्यवधानों तथा उत्तराखण्ड आन्दोलन द्वारा कॉफर बांध के निर्माण-कार्य को प्रभावित करने के कारण कार्य की धीमी प्रगति, तापमान स्कैनर का चालू न किया जाना तथा पी.जी. जांच का अनुमोदन न होने के कारण कुछ पूर्ण हुये कार्यों के अन्तिम भुगतान का स्थगन, भूस्खलन के कारण पहली तिमाही के दौरान बांध का विलम्ब से निर्माण, संशोधित लागत अनुमानों का न होना, कमजोर वित्तीय स्थिति तथा सिविल कार्यों के करार को अंतिम रूप देने में विलम्ब।	सरदार सरोवर योजना, भारतीय राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना/योजना), टीहरी हाइड्रो विकास निगम, बदरपुर ताप विद्युत परियोजना, पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना/योजना), नापथा शाखड़ी विद्युत निगम को कर्जे, दामोदर घाटी निगम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम।

क्र. सं.	अनुदान	वचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा वस्ताए गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
15	78-पत्तन, प्रकाश गृह और नौ परिवहन	161.41 (57.81)	योजना को संस्वीकृति न देना; निधियों के प्रस्तावों का प्राप्त न होना; तलकर्षण के लिए अति निम्न निविदा का स्वीकार न होना, करार को अंतिम रूप न देना; खराब मौसम के कारण कुछ निर्माण-कार्यों को आरम्भ न करना; सरकार द्वारा संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदित न किये जाने के कारण निधियों का उपयोग न होना; रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्जे, (मुख्य पत्तन) अवतारण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण, प्रकाश-गृह का निर्माण तथा विकास एवं अन्य नौ संचालन सहायता, अन्य व्यय-भवन, मर्चेन्ट नेवी प्रशिक्षण के
			भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, उपकरणों के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव का प्राप्त न होना, योजनागत आवंटन को कम करने के लिए बजटोत्तर निर्णय, परामर्शदाता योग्यतापूर्व मूल्यांकन में विलम्ब के कारण करार सौपने में विलम्ब, प्रस्तावों का कम प्राप्त होना।	नाविकों के लाभ के लिए प्रशिक्षण तथा कल्याण योजनाएं; सर्वेक्षण जलयान, भारतीय जहाजरानी निगम लि।
16	85-परमाणु ऊर्जा	100.44 (15.06%)	संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब; कुछ कच्ची सामग्री के अधिप्रापण का स्थगन तथा अनुरक्षण पर कम व्यय, सपुर्दगी अनुसूची के संशोधन/परामर्शी प्रभागों में कमी के कारण सामग्री तथा आपूर्ति पर कम व्यय; वास्तविक उत्पादन के आधार पर उत्पादों का अन्तरण; उपक्रमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की कमी; निर्माण -कार्यों की धीमी प्रगति; उपकरणों की प्राप्ति में विलम्ब, कुछ मशीनों तथा उपकरणों के आयात का कार्यान्वयन न हो पाना।	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश; भारी जल उत्पादन, नाभिकीय ईन्धन परिसर, ईन्धन का पुनर्संसाधन, सामग्रियों तथा स्फटिकों का विकास।

क्र. सं.	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा बताया गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
प्रभारित विनियोग-राजस्व				
17	27-ब्याज भुगतान****	1954.97 (3.76%)	प्रत्याशा से कम खजाना बिलों का निर्गम, धारकों द्वारा कम बांड प्रस्तुत करने के कारण ब्याज का कम भुगतान, प्रत्याशा से कम प्राधिकृत किए जाने के कारण अंशतः और कम आहरण, विनिमय दर में अनुकूल उतार-चढ़ाव, रा.ब.प. VIII निर्गम, किसान विकास पत्र, तथा इंदिरा विकास पत्र पर प्रत्याशा से कम ब्याज का भुगतान, विशेष जमा योजना में शामिल नई अभिवृद्धि की प्रतिशतता को कम करने के निर्णय के परिणामस्वरूप ब्याज के प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होना, निक्षेप योजनाओं पर प्रत्याशा से कम ब्याज का भुगतान ओ.आई. ई.टी.ए.आई. के विशेष लेखे को पुनः व्यवस्थित करना, टेलीमेटिक्स राजस्व के विकास से सामान्य राजस्व को लाइसेंस शुल्क के अन्तरण के कारण पूंजीगत आरक्षित निधि को विनियोग हेतु उपलब्ध अधिशेष का कम होना।,	भारतीय रिजर्व बैंक को जारी खजाना बिल तथा सम्बद्ध प्रतिभूतियां, 364 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज, अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज, एशिया विकास बैंक से कर्जों पर ब्याज, अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत से कर्जों पर ब्याज, नीदरलैंड सरकार से कर्जों पर ब्याज, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी, सं. रा.अ. से कर्जों पर ब्याज लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि पर ब्याज, टेलीकोम पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज।
18	28-राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	1599.38 (6.46%)	नए मुख्य शीर्ष को सारा विनियोग करने का बजट-पश्च निर्णय; वर्ष 1992-93 के लिए नि.म.ले.प. के प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर की गई वसूली का समायोजन तथा प्रत्याशा से कम उत्पाद शुल्कों का कम संग्रहण	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान, संघ उत्पाद शुल्क (प्रभारित) के राज्य हिस्से का भुगतान।
पूंजीगत				
19	28- राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण****	953.67 (4.89%)	सरदार सरोवर परियोजना के लिए दावों का प्राप्ति न होना, तथा राज्य सरकारों से अन्तरित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के व्यय के ब्यौरों का प्राप्त न होना, राज्य सरकारों की प्रत्याशा से कम अर्थोपाय अग्रिम।	राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्जें, अर्थोपाय अग्रिम।

क्र. सं.	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान का %) (करोड़ रु. में)	सरकार द्वारा बताया गए सहायक कारण	प्रभावित योजनाएं अथवा कार्य
20	30-ऋण की वापस अदायगी****	45682.33 (24.70%)	वापस अदायगी के लिए दावों को प्रस्तुत न करना; 91 दिवसीय खजाना बिलों का प्रत्याशा से कम अदा तथा रद्द किया जाना, मांग न होने के कारण प्रतिभूतियों का नकदीकरण न होना, नकदीकरण अनुसूची का संशोधन, एक किश्त का आस्थगन तथा दो किश्तों की राशियों में कटौती; धारकों द्वारा नकदीकरण हेतु प्रत्याशा से कम बांड प्रस्तुत किया गया; मार्च 1995 में किये गए अंतिम भुगतान, वापस अदायगी अनुसूची का प्राप्त न होना।	91 दिवसीय खजाना बिलों के बाजार कर्जे, 364 दिवसीय खजाना बिल, अफ्रीका विकास निधि, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियां, 7% पूंजीगत निवेश बांड, विशेष धारक बांड, विकास के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सउदी निधि से कर्जे।

* प्रत्येक स्टार एक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उसी अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. अथवा अधिक की बचत को दर्शाता है।

उपरोक्त ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि कुल 20 मामले थे जिनमें से 15 अनुदान तथा तीन विनियोग थे जिनमें क्रमशः 4324.77 करोड़ रु. तथा 50190.35 करोड़ रु. (91 दिवसीय खजाना बिलों के कम जारी होने तथा रद्द होने के कारण 41622 करोड़ रु. की बचत सहित) अंतर्ग्रस्त थे जहां 100 करोड़ रु. से अधिक बचत हुई थी। यह भी देखा जा सकता है कि भारी बचत कृषि, स्वास्थ्य, श्रम, औद्योगिक विकास, विद्युत, कोयला आदि विकासात्मक क्षेत्रों में हुई। मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचत के लिए आरोपित किये गए सहायक कारणों से भी पता चला कि वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में बनाई गई योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

12.3 20 करोड़ रु. तथा 100 करोड़ रु. के बीच बचत

उपर्युक्त मामलों के अतिरिक्त, 35 अनुदानों से सम्बन्धित 41 मामले और एक विनियोग से सम्बन्धित एक मामला था जहां प्रत्येक मामले में बचत 100 करोड़ रु. से कम लेकिन 20 करोड़ रु. से अधिक थी और क्रमशः 1797.81 करोड़ रु. तथा 25.62 करोड़ रु. थी। इन मामलों के ब्यौरे तालिका 12.3 में दिए गए हैं:

तालिका 12.3 : 20 करोड़ रु. तथा 100 करोड़ रु. के बीच बचतें

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान की प्रतिशतता)
दत्तमत अनुदान- राजस्व			
1	कृषि मंत्रालय	2 - कृषि एवं सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें	30.32 (13.60%)
2.	-वही-	4-पशुपालन और डेरी विभाग	41.00 (13.83%)
3	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	5-रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	32.14 (13.29%)
4.	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	7-नागर विमानन विभाग	20.86 (19.64%)
5	कोयला मंत्रालय	10-कोयला मंत्रालय	39.75 (22.68%)
6	वाणिज्य मंत्रालय	11-वाणिज्य विभाग	77.85 (12.25%)
7.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	22-पर्यावरण और वन मंत्रालय	58.60 (13.68%)
8	विदेश मंत्रालय	23-विदेश मंत्रालय	70.24 (5.89%)
9	वित्त मंत्रालय	25-मुद्रा, सिक्के तथा टिकटें	30.52 (4.50%)
10	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	39-स्वास्थ्य विभाग	84.50 (7.58%)
11.	-वही-	40-परिवार कल्याण विभाग	89.86 (4.57%)
12	गृह मंत्रालय	43-पुलिस	29.89 (0.90%)
13	-वही-	44-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	26.38 (7.06%)
14	उद्योग मंत्रालय	53- लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामोद्योग विभाग	63.22 (9.54%)
15	श्रम मंत्रालय	56-श्रम मंत्रालय	49.01 (8.48%)
16	विधि, न्याय एवं कम्पनी मामले मंत्रालय	57-विधि और न्याय	31.00 (8.42%)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान	वचत की राशि (प्रावधान की प्रतिशतता)
17	-वही-	62- अपरम्परागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय	55.75 (24.85%)
18	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	66- योजना	27.28 (23.96%)
19	-वही-	68- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	26.17 (3.31%)
20	विद्युत मंत्रालय	69-विद्युत मंत्रालय	45.54 (7.73%)
21	शहरी विकास मंत्रालय	80- शहरी विकास तथा आवास	20.86 (3.84%)
22	-वही-	82- लेखन-सामग्री एवं मुद्रण	48.71 (34.52%)
23	जल संसाधन मंत्रालय	83- जल संसाधन मंत्रालय	50.43 (13.45%)
24	कल्याण मंत्रालय	84-कल्याण मंत्रालय	33.53 (4.94%)
25	इलैक्ट्रॉनिक विभाग	87- इलैक्ट्रॉनिक विभाग	27.31 (17.22%)
26	अंतरिक्ष विभाग	89- अंतरिक्ष विभाग	25.62 (3.08%)
27	गृह मंत्रालय-संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल के)	95- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	36.47 (10.69%)
दत्तमत अनुदान-पूँजीगत			
28.	कृषि मंत्रालय	2 - कृषि तथा सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें	26.29 (8.61%)
29.	-वही-	4 - पशुपालन तथा डेरी विभाग	57.19 (29.24 %)
30.	वाणिज्य मंत्रालय	11 - वाणिज्य विभाग	20.06 (23.19%)
31.	वित्त मंत्रालय	24 - आर्थिक कार्य विभाग	49.85 (30.03%)
32.	-वही-	25 - मुद्रा, सिक्के तथा टिकटें	38.32 (10.65%)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान की प्रतिशतता)
33.	-वही-	28 - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	50.80 (6.39%)
34.	-वही-	35 -प्रत्यक्ष कर	49.93 (29.45%)
35.	खाद्य मंत्रालय	37 -खाद्य मंत्रालय	89.98 (54.16%)
36.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	39 - स्वास्थ्य विभाग	55.15 (13.48%)
37.	गृह मंत्रालय	43 - पुलिस	23.45 (5.64%)
38.	उद्योग मंत्रालय	51 - भारी उद्योग विभाग	38.10 (10.54%)
39.	इस्पात मंत्रालय	75 - इस्पात मंत्रालय	52.05 (17.98%)
40.	भूतल परिवहन मंत्रालय	77 - सड़कें	44.36 (4.67%)
41.	शहरी विकास मंत्रालय	81 - सार्वजनिक निर्माण कार्य	29.47 (14.16%)
प्रभारित विनियोग—पूँजीगत			
1.	शहरी विकास मंत्रालय	80 - शहरी विकास तथा आवास	25.62 (67.42%)

12.4 अन्य बचत

इन मामलों के अतिरिक्त, नौ अनुदानों के मामले में बचत, बजट प्रावधान से 50 प्रतिशत बढ़ गई। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 12.4: अन्य बचत

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान	बचत की राशि (प्रावधान की प्रतिशतता)
राजस्व			
1.	उद्योग मंत्रालय	50 - औद्योगिक विकास विभाग	504.00* (61.41%)
पूंजीगत			
1.	कृषि मंत्रालय	1 - कृषि	6.98 (61.04%)
2.	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	9 - नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	0.57 (62.07%)
3.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	22 - पर्यावरण और वन मंत्रालय	3.61 (50.75%)
4.	वित्त मंत्रालय	34 - राजस्व विभाग	4.17 (77.73%)
5.	खाद्य मंत्रालय	37 - खाद्य मंत्रालय	89.98** (54.16%)
6.	उद्योग मंत्रालय	50 - औद्योगिक विकास विभाग	1.05 (76.64%)
7.	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	67 - सांख्यिकी विभाग	3.42 (59.27%)
8.	भूतल परिवहन मंत्रालय	78 -पत्तन, प्रकाशगृह और नौपरिवहन	161.41* (57.81%)
9.	इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग	87 - इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग	11.45 (53.19%)

* तालिका 12.2 में भी शामिल है।

** तालिका 12.3 में भी शामिल है।


12.5 बचत का अभ्यर्पण

	→	करोड़ रुपये में
आंतेम बचत	→	₹. 56771.69
'प्रभारित' शीर्षों के अन्तगत बचत	→	₹. 50248.17
'दत्तमत्त शीर्षों'के अन्तगत बचत	→	₹. 6523.52
अभ्यर्पित राशि	→	₹. 12307.44
प्रभारित	→	₹. 6525.87
दत्तमत्त	→	₹. 5781.57

'अभ्यर्पण' एक बजटीय उपाय है जिसके द्वारा खर्चकर्ता विभाग से उपयोग न किये गए अनुदान अथवा विनियोग वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिए जाते हैं जो उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे अन्य किसी क्षेत्र के लिए फिर से आबंटित किया जा

सकता है। सामान्य वित्तीय नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग में होने वाली बचत का जैसे ही अनुमान लग जाए वैसे ही वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किये बिना सरकार को उसे अभ्यर्पित कर देना चाहिए। बचत को भविष्य में होने वाले अधिक खर्च के लिए बचा कर नहीं रखा जाना चाहिए।

वर्ष 1995-96 के लेखाओं में 56771.69 करोड़ रु. की अंतिम बचत दर्ज हुई थी। प्रभारित विनियोगों के अंतर्गत अन्तिम बचत 50248.17 करोड़ रु. (91 दिवसीय खजाना बिलों के कम जारी करने तथा रद्द करने के कारण 41622.18 करोड़ रु. की बचत सहित) थी जिनके प्रति केवल 6525.87 करोड़ रु. की राशि अभ्यर्पित की गई थी, जिसमें से 99.93 प्रतिशत (6521.29 करोड़ रु.) को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया गया था।



दत्तमत अनुदानों में, राजस्व तथा पूंजीगत अनुभाग में अंतिम बचत 4492.57 करोड़ रु. तथा 2030.95 करोड़ रु. थी जिसके प्रति अभ्यर्पित की गई राशि क्रमशः केवल 3988.89 करोड़ रु. तथा 1792.68 करोड़ रु.

थी। अभ्यर्पित की गई राशि में से, इन अनुभागों में क्रमशः 3421.74 करोड़ रु. तथा 1438.80 करोड़ रु. वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये थे।


19 दत्तमत अनुदानों तथा 22 विनियोगों में, क्रमशः 116.58 करोड़ रु. तथा 1971.42 करोड़ रु. की राशि की समग्र बचत अभ्यर्पित नहीं की गई थी। कुछ मामलों में बचत अंशतः अभ्यर्पित की गई थी। ऐसी बड़ी भिन्नताओं, जहां बचत बजट प्रावधान से 20 प्रतिशत से अधिक तथा 1.00 करोड़ रु. से अधिक थी परंतु अभ्यर्पित नहीं की गई थी, के ब्यौरे परिशिष्ट X में दिये गए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत अभ्यर्पित न की गई कुल बचत का अनुपात 78.32 प्रतिशत था जो कुल 44464.25 करोड़ रु. बनता था।

12.6 व्यय की कटौती में वसूलियां

		(करोड़ रु. में)
अनुमानित वसूलियां	☞	6117.08
वास्तविक वसूलियां	☞	5623.64

अनुदानों के लिए मांग, व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं, अर्थात् इनमें पूर्व काल में अधिप्राप्त भण्डारों इत्यादि के प्रयोग से उद्भूत वसूलियों अथवा अन्य विभागों अथवा मंत्रालयों से अंतरित व्यय शामिल होते हैं। जबकि विनियोग लेखापरीक्षा अनुदान की सकल राशि के साथ सकल व्यय की तुलना द्वारा की जाती है, अधिक वसूली और कम वसूली इस बात को सूचित करते हैं कि वसूलियों का प्राक्कलन गलत था तथा बजट पूर्वानुमान त्रुटिपूर्ण बना था। यह वित्त लेखे में सम्बद्ध सेवा शीर्ष के अंतर्गत अंतिम रूप से बुक किये गए व्यय की राशि को परिवर्तित कर देती है तथा निवल व्यय को बढ़ा देती है।

राजस्व अनुभाग में 3252.24 करोड़ रु. की अनुमानित वसूलियों के प्रति वास्तविक वसूलियां 2838.94 करोड़ रु. की थी। पूंजीगत अनुभाग में, 2864.84 करोड़ रु. की अनुमानित वसूलियों के प्रति, वास्तविक वसूलियां 2784.70 करोड़ रु. की थीं। मूल अनुमानों के 20 प्रतिशत से अधिक के तथा जो 5.00 करोड़ रु. से कम न हो, ऐसे मुख्य अंतरों के अनुदानवार ब्यौरे परिशिष्ट-XI में दिये गये हैं। इसलिए इस सम्बंध में बजटीय नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।



नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास विभाग के वर्ष 1995-96 के अनुदानों की संवीक्षा से पता चला कि राजस्व अनुभाग में बजटीय वसूलियों तथा राजस्व अनुभाग में व्यय में कमी करके समायोजित वसूलियों के बीच क्रमशः 94 प्रतिशत

तथा 98.84 प्रतिशत की भिन्नता थी। इसी प्रकार, पूंजीगत अनुभाग में खाद्य मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अनुदान के सम्बंध में क्रमशः 60.84 प्रतिशत तथा 89.93 प्रतिशत की भिन्नता थी।

अध्याय XIII

पुनर्विनियोग


	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रु में)
पुनर्विनियोग आवश्यक नहीं था	40	340.68
पुनर्विनियोग बिना पर्याप्त निधियों के किया गया	12	25.14
पुनर्विनियोग वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया	7	10.71
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (अध्याय XVI देखें)	4	5.79
प्रदत्त शक्तियों से अधिक पुनर्विनियोग	2	0.58

13.1 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग


व्यय के लिए कोई अनुदान अथवा विनियोग उप-शीर्षों अथवा मानक विषयों (प्राथमिक इकाई के नाम से जाना जाने वाला) द्वारा वितरित किया जाता है जिसके अंतर्गत इसे लेखाबद्ध किया जाता है। निधियों का पुनर्विनियोग, उस वित्तीय वर्ष के समापन से पहले जिससे ऐसा अनुदान अथवा विनियोग सम्बन्ध रखता है, किसी अनुदान अथवा विनियोग के भीतर विनियोग की प्राथमिक इकाईयों के बीच घटित होता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात अथवा प्रत्याशित हो कि उस इकाई से विनियोग, जिससे निधियों का अंतरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जायेगा अथवा विनियोग की इकाई में बचत हो सकती हो।

1995-96 के लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 23 अनुदानों/विनियोगों (विवरण परिशिष्ट XII में दिए गए हैं) में 52 उप-शीर्षों के मामले में 365.82 करोड़ रु. का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप-शीर्ष, जिसको पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किया गया था, के अंतर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था और परिणामतः उप-शीर्ष के अंतर्गत अंततः बचत हुई। विदेश मंत्रालय, ब्याज भुगतानों, प्रसारण सेवाओं तथा कल्याण मंत्रालय के अनुदान/विनियोग से संबंधित क्रमशः आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम, अन्य निक्षेपों तथा लेखाओं पर ब्याज, कार्यक्रम सेवाएं तथा शिक्षा, उप-शीर्षों के अन्तर्गत

पुनर्विनियोग पर्याप्त से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप इन उप-शीर्षों में अंततः बचत हुई। नीचे ग्राफीय पुनरीक्षण द्वारा स्पष्ट किया गया है:



इसी प्रकार, अवलवेकपूर्ण पुनर्विनियोग कलया गयल थल जलसमें जलस मूल प्रलवधलन से नलधलयां अंतलरलत की गई थीं, वह अपर्याप्त थल तथल अंततः उस उप-शीर्ष के अंतलर्गत अधलक ब्यय हुलल। सं.रल.अ. सरकलर से वलवलध कर्जे, संचललन तथल अनुरकषण (दत्तमत), वलकलस नलरुमलण तथल भलभल परमलणु शोध केन्द्र, से संबंघलत अनुदलन/वलनलयोग, ःरण की वलपस अदलयगी, प्रसलरण सेवाएं, शहरी वलकलस तथल आवलस एवं परमलणु ऊर्जल उप-शीर्षों के अंतलर्गत कमशः पुनर्विनियोग अवलवेकपूर्ण थल क्यलंकी इन उप-शीर्षों में अंततः अधलक ब्यय हुलल थल। नीचे ग्राफीय पुनरीकषण दवलरल स्पष्ट कलया गयल हैः



इस लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपयुक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि किए गए अथवा किए जाने वाले व्यय की निकट से संवीक्षा किए बिना पुनर्विनियोग न किए जाएं।

13.2 निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग

(i) विस्तृत अनुदेशों के अनुसार, वर्ष के दौरान जारी किये गए किसी पुनर्विनियोग आदेश, जिसका उप-शीर्ष पर बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत अथवा एक करोड़ रु. जो भी अधिक हो का प्रभाव पड़ता हो, की सूचना अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच के साथ संसद को भेजी जानी चाहिए। अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच के प्रस्तुत करने के पश्चात्, उपरोक्त सीमा से अधिक के पुनर्विनियोग हेतु मंत्रालय द्वारा जारी किये गए किसी भी आदेश के लिए व्यय विभाग के सचिव/अतिरिक्त सचिव के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

लो.ले.स. की सिफारिशों पर जारी किए गए पुनर्विनियोग के लिए शक्तियों पर परिसीमन से संबंधित इस अनुदेश के अनुपालन में 1995-96 के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ। 1995-96 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में अनुदेशों के उल्लंघन का केवल एक मामला ध्यान में आया जिसका इस प्रतिवेदन के उपपैरा 16.2.4 में उल्लेख किया गया है।

(ii) राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए प्रयासों के सन्दर्भ में, वित्त मंत्रालय ने निर्धारित किया था कि सभी पुनर्विनियोग, जिनका एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत एक करोड़ रु. से अधिक बजट प्रावधान के बढ़ने का प्रभाव होता हो, केवल सचिव (व्यय) के पूर्व अनुमोदन से ही किये जाने चाहिए।

लेखाओं की नमूना जांच करने पर पता चला कि निम्नलिखित मामलों में पुनर्विनियोग 1995-96 के दौरान एक करोड़ रु. की सीमा से बढ़ गया जिसके लिए सचिव (व्यय) का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के सम्बन्ध में पुनर्विनियोग के ऐसे दो मामलों को पैराग्राफ 16.1.6.1 में सम्मिलित किया गया है।

तालिका 13.2 : वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया पुनर्विनियोग

क्र.सं.	अनुदान की संख्या व नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	राशि (करोड़ रु में)		अभ्युक्तियां
				मू.	पु.	
1.	41-गृह मंत्रालय	3454- जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	ड. 1(2)(1)- जनगणना डाटा संसाधन हेतु कम्प्यूटर प्रणाली	मू.	7.42	लेखापरीक्षा के कहने पर सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का कार्योत्तर अनुमोदन अक्टूबर 1996 में प्राप्त किया गया था।
				पु.	1.65	
2.	49-महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	ड.1(3)(2)-संक्षेपन तथा संकलन	मू.	14.78	लेखापरीक्षा के कहने पर सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का कार्योत्तर अनुमोदन दिसम्बर, 1996 में प्राप्त किया गया था।
				पु.	1.00	
3.	50-औद्योगिक विकास विभाग	3451 - सचिवालय आर्थिक सेवा	ख.1(2)(7)- रोजगार कार्यक्रम को सहायता	मू.	16.00	लेखापरीक्षा के कहने पर सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का कार्योत्तर अनुमोदन दिसम्बर, 1996 में प्राप्त किया गया था।
				पु.	1.24	
4.	55 - प्रसारण सेवाएं	2221 - प्रसारण	ख.1(4)(7)-केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को इसके मुख्यालय, क्षेत्रीय संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हेतु सहायता अनुदान	मू.	16.36	लेखापरीक्षा के कहने पर, कार्योत्तर अनुमोदन हेतु विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा अगस्त 1996 में उस पर सहमति दी गई थी।
				अ. पु.	6.59 1.45	
4.	55 - प्रसारण सेवाएं	2221 - प्रसारण	कं.1-सचिवालय औद्योगिक विकास विभाग	मू.	10.79	मंत्रालय ने दिसम्बर 1996 में बताया कि ये लघु शीर्ष हैं अतः सचिव (व्यय) का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं था जो कि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये लघु शीर्षों के साथ-साथ उप-शीर्ष भी हैं।
				पु.	1.03	
4.	55 - प्रसारण सेवाएं	2221 - प्रसारण	कं.1(1)-निर्देशन प्रशासन	मू.	12.80	मंत्रालय ने दिसम्बर 1996 में बताया कि ये लघु शीर्ष हैं अतः सचिव (व्यय) का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं था जो कि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये लघु शीर्षों के साथ-साथ उप-शीर्ष भी हैं।
				पु.	2.69	
4.	55 - प्रसारण सेवाएं	2221 - प्रसारण	कं.2(1)- निर्देशन प्रशासन	मू.	8.63	मंत्रालय ने दिसम्बर 1996 में बताया कि ये लघु शीर्ष हैं अतः सचिव (व्यय) का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं था जो कि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये लघु शीर्षों के साथ-साथ उप-शीर्ष भी हैं।
				पु.	1.65	

मू = मूल प्रावधान; अ=अनुपूरक प्रावधान; पु =पुनर्विनियोग

13.3 प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग

13.3.1 चुनाव आयोग

आदेश संख्या 191/1/92 दिनांक 27 अक्टूबर 1992 द्वारा भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के पैरा 4.3.1 के अनुसार, आयोग को अनुदान के भीतर विनियोग तथा पुनर्विनियोग के संबंध में पूरी शक्तियां होंगी तथा यह शक्तियां प्रशासनिक लागतों अर्थात्, अनुदान के अंदर वेतन, यात्रा भत्ता इत्यादि के लिए किए गए कुल प्रावधानों पर भी लागू होंगी बशर्ते कि अनुदान के भीतर प्रशासनिक व्ययों के लिए कुल व्ययों को बढ़ाया न गया हो।

वर्ष 1995-96 की अनुदान संख्या 58-चुनाव आयोग के शीर्षवार विनियोग लेखाओं से पता चला कि 43.45 लाख रु. की राशि शीर्ष ग. 1(2)-मतदाताओं की जागरूकता से शीर्ष ग. 1(1)-चुनाव आयोग-स्थापना को पुनर्विनियोजित की गई है। इस प्रकार, प्रशासनिक व्ययों के लिए अनुदान के अंदर किया गया कुल प्रावधान बढ़ाया गया था, जो कि अनियमित था।

चुनाव आयोग ने अनियमितता को स्वीकार करते हुए, फरवरी, 1997 में बताया कि क्योंकि मतदाताओं की जागरूकता का कार्यक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, अतः सारी नीति को नए सिरे से अवलोकन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आयोग वर्ष के दौरान इस योजना हेतु आबंटित निधि का उपयोग नहीं कर सका। उसी समय, वित्तीय वर्ष के तुरन्त बाद भारी निर्वाचनीय अभ्यास के लिए अवसंरचना को सृष्टि बनाने के साथ आयोग के भीतर सुविधाओं के पर्याप्त संवर्धन की तुरन्त आवश्यकता थी। तदनुसार, इस संघटक के लिए आवश्यक निधियों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम योजना से पुनर्विनियोजित करके बढ़ाया गया था।

13.3.2 श्रम मंत्रालय

वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के निर्णय 7 के अनुसार "वेतन" शीर्ष से व्यय के अन्य शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग केवल वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता था।

श्रम मंत्रालय ने संहिता के प्रावधानों/प्रतिबंधों की अनदेखी कर पुनर्विनियोग आदेश संख्या जी-25018/1/96-बी.पी. दिनांक 30-3-96 द्वारा शीर्ष "वेतन" से लेखाओं के अन्य शीर्षों को 14.68 लाख रु. का पुनर्विनियोग किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने दिसम्बर 1996 में बताया कि वित्त मंत्रालय से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था तथा अनुमोदन प्रतीक्षित था। इस प्रकार, वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना निधियों का पुनर्विनियोग अनियमित तथा नियमों के विपरीत था।

अध्याय XIV

'नई सेवा' पर व्यय

संसद के अनुमोदन के बिना नई सेवा	(करोड़ रुपयों में)
संस्कृति विभाग	5.62
जल संसाधन मंत्रालय	1.14
स्वास्थ्य विभाग (अध्याय XVI देखें)	0.10


14.1 'नई सेवा'/सेवा के नए साधन' पर व्यय

लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर, सरकार ने व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुछ वित्तीय सीमायें नियत की हैं जिनके बाद व्यय नई सेवा/सेवा का नया साधन बन जाता है तथा संसद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

निम्नलिखित मामलों में यद्यपि, निर्धारित सीमा बजट प्रावधानों से बढ़ गई थी, मंत्रालय ने संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया।

14.2 स्वास्थ्य विभाग

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद को अनुदान के लिए 55 लाख रु. के संस्वीकृत प्रावधान के प्रति, स्वास्थ्य विभाग ने परिषद को 65.20 लाख रु. दिये। 10.20 लाख रु. की अधिक राशि का भुगतान, 10 लाख रु. की निर्धारित सीमा से बढ़ गया जिसके लिए संसद का पूर्वानुमोदन आवश्यक था, परन्तु विभाग ने ऐसा कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार अधिक राशि के भुगतान ने 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' के प्रावधानों को आकर्षित किया। मंत्रालय ने नवम्बर 1996 में बताया कि गलती असावधानी के कारण हुई है तथा इसको भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।



14.3 संस्कृति विभाग

वर्ष 1995-96 की अनुदान संख्या 48-संस्कृति विभाग के संबंध में विनियोग लेखाओं की शीर्षवार नमूना जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

14.3.1 खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी को अनुदान : खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, को 0.69 करोड़ रु. के संस्वीकृत प्रावधान के प्रति संस्कृति विभाग ने लाइब्रेरी को 0.83 करोड़ रु. के सहायता अनुदान का भुगतान किया था। 0.14 करोड़ रु. का अधिक भुगतान, वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के निर्णय सं. 1/(II)(च) के अनुसार 0.10 करोड़ रु. की निर्धारित सीमा से बढ़ गया था जिसके लिए संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित था। विभाग ने ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। अधिक राशि के भुगतान ने 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' के प्रावधान को आकृष्ट किया।

14.3.2 राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को अनुदान : राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता को 20.12 करोड़ रु. के संस्वीकृत प्रावधान के प्रति विभाग ने 25.60 करोड़ रु. के सहायता अनुदान का भुगतान किया। 5.48 करोड़ रु. की अधिक राशि का भुगतान (3.00 करोड़ रु. साइंस सिटी के लिए और 2.48 करोड़ रु. पैनोरमा संग्रहालय, कुरुक्षेत्र के लिए) बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत अथवा दो करोड़ रु. की निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, से अधिक हो गया था, जिसके लिए संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित था। तथापि, विभाग ने संसद से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया और ऐसे अधिक राशि के भुगतान ने 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' के प्रावधानों को आकृष्ट किया।



14.4 जल संसाधन मंत्रालय

वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान संख्या 83-जल संसाधन मंत्रालय के विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा में नमूना जांच के दौरान, यह पता चला था कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, को सहायता अनुदान के लिए 3.96 करोड़ रु. के बजट प्रावधान के प्रति 5.10 करोड़ रु. का व्यय किया। 1.14 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय जोकि बजट

प्रावधान के 10 प्रतिशत के निर्धारित सीमा से अधिक था, संसद के पूर्व अनुमोदन के बगैर, अनुदान के भीतर पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था। 1994-95 के दौरान भी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, को सहायता अनुदान हेतु पुनर्विनियोग द्वारा किया गया 1.12 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय, बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से भी बढ़ गया था। जिसके लिए मंत्रालय द्वारा संसद का पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया था। मामला नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1996 के प्रतिवेदन सं. 1-संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 2. 13 में सूचित किया गया था।

अध्याय XV


अनुपूरक अनुदानों का उपयोग

1	अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए परन्तु उपयोग नहीं किए गए 23 अनुदान	525.34 करोड़ रु.
2	अनुदान के भीतर उप-शीर्ष जहां अनुपूरक प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहे 8 मामले	19.48 करोड़ रु. (राजस्व)

15.1 अनुपूरक अनुदान/विनियोग का अनुमान


यदि संस्वीकृत बजट में किसी सेवा के लिए एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई गई राशि उस वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष में किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय, जिसका उस वर्ष के मूल बजट में विचार नहीं किया गया था, करने की आवश्यकता होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) की व्यवस्था के अनुसार अनुपूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना होता है।

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय को उपलब्ध साधनों या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने वाले साधनों को ध्यान में रखना होता है और निधियों की अतिरिक्त बजट मांगों का पूर्वानुमान करते हुए तथा अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय अपेक्षित सावधानी बरतनी होती है। अनुपूरक मांगों का सहारा केवल अपवादात्मक एवं महत्वपूर्ण मामलों में ही लिया जाना चाहिए।



यह ध्यान देने योग्य है कि 23 अनुदानों के 28 मामलों में, (जिनका विवरण परिशिष्ट XIII में दिया गया है) यद्यपि, अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम हुआ था। इस प्रकार, 525.34 करोड़ रु. के अनुपूरक प्रावधान की समग्र राशि अनावश्यक सिद्ध हुई।

औद्योगिक विकास, श्रम, शक्ति और कोयला से संबंधित अनुदानों के अंतर्गत 783 करोड़ रु., 568 करोड़ रु., 575 करोड़ रु. और 446 करोड़ रु. के मूल प्रावधानों के प्रति, संबंधित मंत्रालयों ने क्रमशः 38 करोड़ रु., 10 करोड़ रु., 14 करोड़ रु. और 36 करोड़ रु.



की राशि के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जिसके प्रति क्रमशः 317 करोड़ रु., 529 करोड़ रु., 543 करोड़ रु. और 339 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। चूंकि इन अनुदानों के अंतर्गत व्यय, मूल प्रावधान से कम था, अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अतः अनुपूरक अनुदानों की मांग का विवेकपूर्ण निर्धारण करने की आवश्यकता है।

15.2 विदेश मंत्रालय

वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान सं. 23-विदेश मंत्रालय के संबंध में शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा करते समय, यह ध्यान में आया था कि विदेश मंत्रालय ने विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जो कि प्रत्येक मामले में एक करोड़ रु. से अधिक की सीमा तक अप्रयुक्त रहे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	अनुपूरक राशि	बचत राशि	प्रतिशतता
1.	ख.8(1) -विशेष प्रतिनिधि मण्डल	3.28	4.60	100
2.	च.1(1)(2)-भूटान को सहायता	40.00	10.09	25
3.	च.1(1)(3)-नेपाल को सहायता	5.00	3.53	71
4.	च.1(1)(5)-श्रीलंका अन्य सहायता कार्यक्रम	4.93	5.73	100
5.	च.1(1)(7)-म्यांमार को सहायता	10.46	10.39	99
6.	च.1(1)(10)-आपदा राहत के लिए सहायता	5.00	3.81	76
7.	च.1(2)(5)-अफ्रीका निधि के अंतर्गत सहायता	1.82	6.35	100
8.	घ घ I-बंगलादेश सरकार को कर्जे	4.99	4.98	100

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने जनवरी 1997 में बताया कि बचत रक्षा मंत्रालय द्वारा श्रीलंका के पायलटों के प्रशिक्षण और नेपाल को सहायता के लिए राशि का आहरण न करने/समायोजन न करने, भारत और म्यांमार के बीच तामू-कालेम्यो सड़क परियोजना के लिए योजनेत्तर व्यय पर समिति की बैठक में विलम्ब, आपूर्तिकर्ता द्वारा आपदा राहत आपूर्तियों की अनापूर्ति, रेलवे सिगनलिंग परियोजना हेतु बांग्लादेश सरकार की ओर से समझौता करने में विलम्ब, अफ्रीका निधि के अंतर्गत अंगोला को सहायता देने के लिए औपचारिकताओं का पूरा न होना, भूटान में विभिन्न परियोजनाओं का विलम्ब से कार्यान्वयन, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों का कम संख्या में भेजा जाना और सं.रा.सं. द्वारा तिथियां देर से निर्धारित करने के कारण थी।

मंत्रालय ने मार्च 1997 में आगे बताया कि सहायता शीर्षों के अंतर्गत मांग का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन था क्योंकि सहायता देने अथवा उसे टाल देने का निर्णय विभिन्न राजनैतिक विचारों तथा अनिवार्यताओं पर निर्भर करता है।

15.3 खाद्य मंत्रालय

15.3.1 वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान सं. 37-खाद्य मंत्रालय के संबंध में विनियोग लेखे की नमूना जांच से यह पता चला कि मंत्रालय ने मार्च 1996 में, मुख्य शीर्ष '2408'-खाद्य भण्डारण और भाण्डागार के अंतर्गत, सार्वजनिक तथा अन्य उपक्रमों को खाद्य आर्थिक सहायता के नीचे उप-शीर्ष 'ग.1(4)(1)-खाद्यान्न लेन देन पर भारतीय खाद्य निगम को देय आर्थिक सहायता' के अंतर्गत खाद्य आर्थिक सहायता के लिए भारतीय खाद्य निगम को भुगतान पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए 5250 करोड़ रु. के बजट प्रावधान के प्रति, 250 करोड़ रु. का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया। विभाग ने उपरोक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत केवल 5377.31 करोड़ रु. का व्यय किया और 122.69 करोड़ रु. की बचत हुई जिसमें से 120.40 करोड़ रु. मार्च 1996 में अभ्यर्पित किए गए थे। बचत मुख्यतः इसलिए हुई थी क्योंकि खाद्यान्नों को कम उठाया गया था और भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण में हुई हानि की वजह से लेखापरीक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने से पहले मंत्रालय के पास ये कारण उपलब्ध थे इसलिए अनुपूरक प्रावधान की उतनी राशि, जिसके उपयोग किये जाने की सम्भावना नहीं थी, को कम किया जा सकता था।

15.4 उद्योग मंत्रालय

15.4.1 अनुदान सं. 50 - औद्योगिक विकास विभाग

वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान संख्या 50-औद्योगिक विकास विभाग के संबंध में विनियोग लेखे की नमूना जांच पर यह ध्यान में आया कि संरचनात्मक समायोजन द्वारा प्रभावित औद्योगिक कामगारों के लिए सलाह, पुनःप्रशिक्षण तथा क्षेत्र सम्पोषण योजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए अगस्त 1995 में मंत्रालय द्वारा 25 करोड़ रु. का अनुपूरक प्रावधान किया गया था। तथापि, मंत्रालय ने उपरोक्त योजना के अंतर्गत केवल 3.65 करोड़ रु. का वास्तविक व्यय किया। 25.00 करोड़ रु. के कुल अनुपूरक प्रावधान में से, मंत्रालय

ने 21.20 करोड़ रु. मार्च 1996 में अभ्यर्पित किये। उपरोक्त योजना के अंतर्गत बचत का अभ्यर्पण आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडल समिति द्वारा क्षेत्र संपोषण योजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण बताया गया था। अतः उपरोक्त योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा अगस्त 1995 में दत्तमत कराए गए 21.35 करोड़ रु. तक किए गए अनुपूरक प्रावधान का, आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडल समिति द्वारा क्षेत्र संपोषण योजनाओं को अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना सुनिश्चित किए बगैर, अधिक अनुमान किया गया था।

15.4.2 अनुदान संख्या 51 - भारी उद्योग विभाग

वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान सं. 51-भारी उद्योग विभाग के संबंध में विनियोग लेखे की नमूना जांच पर यह देखने में आया कि मंत्रालय ने अगस्त 1995 में, उप-शीर्ष 'ख-4(2)(1)(1)-हिन्दुस्तान कागज निगम' के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायता देने के लिए, शून्य बजट प्रावधान के प्रति दो करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था। समग्र अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

इसी प्रकार, मंत्रालय ने अगस्त 1995 में, उप-शीर्ष 'ख 4(2)(1)(2)-एन ई पी ए लि' के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायता देने के लिए दो करोड़ रु. का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया था। समग्र अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

उपरोक्त दोनों मामलों में उपयोग न किए जाने का कारण, कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प न देना बताया गया था। अतः उपरोक्त दोनों उप-शीर्षों के अन्तर्गत, मंत्रालय द्वारा अगस्त 1995 में प्राप्त किए गए चार करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रावधान का, कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों की संख्या का सही निर्धारण किए बगैर अधिक अनुमान किया गया था।

15.4.3 सार्वजनिक उद्यम विभाग

वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान सं. 52-सार्वजनिक उद्यम विभाग के संबंध में विनियोग लेखे की नमूना जांच पर यह ध्यान में आया कि मंत्रालय ने मार्च 1996 में उप-शीर्ष 'ग 1(1)-सा.क्षे.उ. विनिवेश योजना के संचालन में सेवाओं के लिए आई. सी. आई. सी. आई. को भुगतान' के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकार की इक्विटी धारिता के विनिवेश के संबंध में विज्ञापन और प्रसार पर व्यय पूरा करने के लिए 0.95 करोड़ रु. का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया था। तथापि, समग्र अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा। उपरोक्त अनुपूरक प्रावधान का उपयोग न होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृति प्राप्त करने की व्यवहार्यता पर आरोपित किए गए थे। विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त योजना के अंतर्गत 0.95 करोड़ रु. का अनुपूरक प्रावधान अव्ययित पड़ा रहा।

15.5 खान मंत्रालय

वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान सं. 61-खान मंत्रालय के संबंध में विनियोग लेखे की नमूना जांच पर यह देखने में आया कि मंत्रालय ने अगस्त 1995 में उप-शीर्ष ख.2(7)(1)(1) 'भारत गोल्ड माइन्स लि.' के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के लिए व्यय पूरा करने के लिए, शून्य बजट प्रावधान के प्रति आठ करोड़ रु. का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया था। तथापि, मंत्रालय ने उपरोक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत केवल दो करोड़ रु. का व्यय किया। छः करोड़ रु. की बचत में से 4.72 करोड़ रु. की राशि मंत्रालय द्वारा मार्च 1996 में अभ्यर्पित की गई थी और शेष 1.28 करोड़ रु. को मार्च 1996 में अन्य उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

इसी प्रकार, मंत्रालय ने अगस्त 1995 में उपशीर्ष ख.2(7)(1)(3)-'मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड' के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के लिए शून्य प्रावधानों के प्रति 2.50 करोड़ रु. का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया था। मंत्रालय द्वारा समग्र अनुपूरक प्रावधान मार्च 1996 में अभ्यर्पित कर दिया गया था।

उपरोक्त दोनों मामलों में, कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प न देने के कारण बचत का होना बताया गया। इस प्रकार उपरोक्त दोनों उप-शीर्षों के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा अगस्त 1995 में दत्तमत कराए गए 8.50 करोड़ रु. के अनुपूरक प्रावधान का कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों की संख्या का उचित निर्धारण किए बगैर अधिक अनुमान किया गया था।

15.6 कपड़ा मंत्रालय

वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान सं. 79-कपड़ा मंत्रालय के संबंध में विनियोग लेखे की नमूना जांच करने पर, यह देखने में आया कि मंत्रालय द्वारा अगस्त 1995 में 'स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए भारतीय जूट निगम को अनुदान' के प्रति प्राप्त दो करोड़ रु. का अनुपूरक प्रावधान, पूर्णतया अप्रयुक्त रहा क्योंकि भारतीय जूट निगम ने पिछले वर्ष के दौरान जारी निधियों का भी उपयोग नहीं किया था। अतः मंत्रालय द्वारा उपरोक्त योजना के अंतर्गत दो करोड़ रु. का अनुपूरक अनुदान, पिछले वर्षों में जारी की गई निधियों के उपयोग के बारे में पता लगाए बगैर प्राप्त किया गया था।

अध्याय XVI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राजस्व अनुभाग (दत्तमत)	
निवल बचत	84.50 करोड़ रु.
अनुपूरक अनुदान से आधिक्य	23.89 करोड़ रु.
पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत)	
निवल बचत	55.15 करोड़ रु.
अनुपूरक अनुदान से आधिक्य	41.84 करोड़ रु.
रोगों के निवारण और नियंत्रण में बचत	
1. कालाजार	
2. राष्ट्रीय टी.बी.नियंत्रण कार्यक्रम	
3. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम	

16. प्रस्तावना

इस मंत्रालय में दो विभाग अर्थात् स्वास्थ्य विभाग तथा परिवार कल्याण विभाग सम्मिलित हैं तथा इसके लिए दो अनुदानों की व्यवस्था है। यह रोग नियंत्रण, आरोग्य स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्यक्रम/परियोजनाएं मुख्यतः केन्द्रीय क्षेत्र में हैं या केन्द्र द्वारा प्रवर्तित हैं।

16.1 अनुदान सं. 39-स्वास्थ्य विभाग

इस अनुदान में स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय, इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय, दिल्ली और 20 अन्य शहरों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए व्यापक चिकित्सा देखभाल, दिल्ली के तीन बाह्य नगरों, केन्द्रीय अस्पतालों और औषधालयों, चिकित्सा शैक्षिक प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्रों, रोग निवारण और नियंत्रण, खाद्य मिलावट और ड्रग नियंत्रण सहित चिकित्सा और जन स्वास्थ्य मामलों से संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं।

16.1.1 समग्र स्थिति

वर्ष 1995-96 के दौरान, अनुदान सं.39- स्वास्थ्य विभाग, राजस्व और पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत एवं प्रभारित) से सम्बंधित, कुल प्रावधान (अनुपूरक अनुदान सहित), वास्तविक व्यय, बचत और अभ्यर्पण की समग्र स्थिति निम्नवत थी:

तालिका 16.1.1: अनुदान की समग्र स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण
राजस्व अनुभाग (प्रभारित)				
मू.	0.03	4.03	3.15	0.88
अनु.	4.00			
राजस्व अनुभाग(दत्तमत)				
मू.	1091.04	1114.93	1030.43	84.50
अनु.	23.89			
पूंजीगत अनुभाग (प्रभारित)				
मू.	0.02	0.02	--	0.02
अनु.	--			
पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत)				
मू.	367.41	409.25	354.10	55.15
अनु.	41.84			

16.1.2 व्यय प्रबन्ध

वर्ष 1995-96 के दौरान राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में सकल बचत 152.24 करोड़ रुपये थी, जिसको अन्य शीर्षों के अंतर्गत 67.74 करोड़ रुपये के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 84.50 करोड़ रुपये की निवल बचत, 23.89 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान से बढ़ गई। वर्ष 1993-94 के दौरान, 95.04 करोड़ रुपये की बचत, 66.48 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान से भी बढ़ गई थी, जबकि 1994-95 के दौरान 198.05 करोड़ रु की बचत, 205.89 करोड़ रु के अनुपूरक अनुदान का 96 प्रतिशत थी।

वर्ष 1995-96 के दौरान पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में 69.43 करोड़ रुपये की सकल बचत, जिसको 14.28 करोड़ रुपये के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 55.15 करोड़ रु की निवल बचत, 41.84 करोड़ रु के अनुपूरक अनुदान से बढ़ गई। वर्ष 1993-94 के दौरान, 25.59 करोड़ रु. की बचत भी 22.11 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान से बढ़ गई थी, जबकि वर्ष 1994-95 के दौरान 46.14 करोड़ रुपये की बचत 64.00 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान का 72 प्रतिशत थी।

पूँजीगत व्यय अनुभाग (प्रभारित) में, 0.02 करोड़ रुपये का प्रावधान, वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान मुख्य शीर्ष 7601-राज्य सरकारों को कर्जे और पेशगियां (प्रभारित) के अन्तर्गत एक मामले में लगातार पूर्णरूप से अप्रयुक्त रहा।

लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने दोनों अनुभागों के अन्तर्गत हुई बचत अधिकांशतः वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में अभ्यर्पित की।

वर्षानुवर्ष अनावश्यक अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने, बचत और अभ्यर्पण से सम्बन्धित उपर्युक्त स्थिति, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्ध को दर्शाती है क्योंकि मंत्रालय अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करते समय यथोचित दूरदर्शिता को अपनाने में विफल रहा था जिसके परिणामस्वरूप निरन्तर भारी बचत हुई।

16.1.3 निरन्तर बचत


पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993-94 से 1995-96 के दौरान, विभाग को रोगों के निवारण और नियंत्रण हेतु राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के लिए 1681.29 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे परन्तु विभाग, 399.30 करोड़ रुपये (अर्थात् संस्वीकृत प्रावधान का लगभग 24 प्रतिशत) अप्रयुक्त छोड़ते हुए, इस निधि में से 1281.99 करोड़ रुपये का ही उपयोग कर सका था। प्रदान की गई, उपयोग की गई निधियों और बचत के वर्षवार विवरण निम्न प्रकार थे:

तालिका 16.1.3: 'रोगों का निवारण एवं नियंत्रण' के अंतर्गत बचत

(करोड़ रुपयों में)

	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक उपयोग	बचत	बचत की प्रतिशतता
1993-94						
ग.4(3)- जन स्वास्थ्य	34.18	0.73	34.91	29.07	5.84	17
घ.1(2)-केन्द्रीय योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	52.54	-	52.54	27.36	25.18	48
घ.2(2) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनागत ड.2(1) योजनाओं के लिए अनुदान क.क.2(1) जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	352.07	16.08	368.15	296.67	71.48	19
जोड़	438.79	16.81	455.60	353.10	102.50	22
1994-95						
ग.4(3)-जन स्वास्थ्य	51.54	7.87	59.41	46.97	12.44	21
घ.1(2)-केन्द्रीय योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	0.75	26.00	26.75	1.75	25.00	93

	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक उपयोग	बचत	बचत की प्रतिशतता
घ.2(2) -केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनागत ड.-2(1) -योजनाओं के लिए अनुदान क क.2(1) - जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	470.80	37.00	507.80	355.02	152.78	30
जोड़	523.09	70.87	593.96	403.74	190.22	32
1995-96						
ग.4(3)- जन स्वास्थ्य	62.37	-	62.37	48.86	13.51	22
घ.1(2) -केन्द्रीय योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1.17	-	1.17	0.40	0.77	66
घ.2(2) -केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनागत ड.-2(1) -योजनाओं के लिए अनुदान क क.2(1) - जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	551.18	17.01	568.19	475.89	92.30	16
जोड़	614.72	17.01	631.73	525.15	106.58	17



उपरोक्त तालिका से यह देखने में आएगा कि स्वास्थ्य विभाग, आबंटित की गई निधियों को भी खर्च करने में असमर्थ था। प्रभावित योजनाओं में से कुछ निम्नवत् थी:

16.1.3.1 कालाजार

विभाग ने रोग का निवारण एवं नियंत्रण करने के लिए राजस्व और पूंजीगत अनुभागों में वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान निम्न प्रावधान किए थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 16.1.3.1: 'कालाजार कार्यक्रम' के अंतर्गत बचत

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष/मुख्य शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1993-94				
मु.शी.3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	20.00	18.64	1.36	7
मु.शी. 4210- जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	20.00	शून्य	शून्य
1994-95				
मु.शी.3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	20.00	5.77	14.23	71
मु.शी. 4210- जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	6.31	13.69	68
1995-96				
मु.शी. 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	20.00	11.12	8.88	44
मु.शी. 4210- जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	9.49	10.51	53

1994-95 और 1995-96 के दौरान उपयोग इसलिये नहीं हुआ बताया गया क्योंकि, बिहार राज्य सरकार द्वारा निधियों की कम मांग की गई थी।

16.1.3.2 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

क्षय रोग देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या होने के कारण, स्वास्थ्य विभाग, राज्य/सं.रा.क्षे. की सरकारों के जरिये रोग के निवारण और नियंत्रण हेतु, अनुदान के दोनों राजस्व तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत लचीला बजट प्रावधान बनाता रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, क्षय रोग के रोगियों को निशुल्क चिकित्सा हेतु क्षयरोग रोधी दवाईयां, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के रूप में राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे क्षयरोग क्लिनिकों को आपूर्त की जा रही हैं।

पिछले तीन वर्षों 1993-94 से 1995-96 के लिए रोग के निवारण और नियंत्रण की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दी गई निधियों के विवरण निम्नवत् थे:

तालिका 16.1.3.2: 'राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम' के अंतर्गत बचत

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष/मुख्य शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1993-94				
मु.शी. 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	32.93	15.47	17.46	53
मु.शी. 4210-जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	32.50	18.07	14.43	44
1994-95				
मु.शी. 3601/3602-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	40.50	-	40.50	100
मु.शी. 4210- जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	45.00	40.44	4.56	10
1995-96				
मु.शी. 3601/3602- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	44.39	38.36	6.03	14
मु.शी. 4210- जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	48.01	14.43	33.58	70

उपरोक्त से यह देखने में आया कि योजना के लिए दी गई निधियों का 10 से 100 प्रतिशत तक उपयोग नहीं हुआ था। इन समस्त वर्षों के दौरान बचत के कारण, मुख्य रूप से उपकरणों और क्षयरोग रोधी औषधियों की कम खरीद, क्षेत्रीय कार्यालयों से समय पर सूचना प्राप्त न होने के कारण, पूर्व वर्षों में दिए गए अनुदानों तथा आपूर्ति की गई सामग्री असमायोजन का होना बताया गया था।

16.1.3.3 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

एड्स (एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिसिएन्सी सिन्ड्रोम) का हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उदय हुआ है। एच.आई.वी. संक्रमण और एड्स से सम्बद्ध बहुमुखी समस्याओं का सामना करने के लिए, सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए, अनुदानों के रूप में पर्याप्त सहायता से एक परियोजना आरम्भ की थी। पिछले तीन वर्षों 1993-94 से 1995-96 के दौरान मुहैया कराई गई और जारी की गई निधियों का विवरण निम्नवत था:


तालिका 16.1.3.3 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम' के अंतर्गत बचत

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष /मुख्य शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1993-94				
मु.शी. 4210-जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	18.04	1.96	10
1994-95				
मु.शी.3601/3602-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	49.54	36.11	13.43	27
मु.शी.4210- जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	38.26	8.83	29.43	77
1995-96				
मु.शी. 3601/3602- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	58.73	39.58	19.15	33
मु.शी. 4210- जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	20.33	6.53	13.80	68

यह देखने में आया कि संस्वीकृत प्रावधान का 10 से 77 प्रतिशत तक अप्रयुक्त रहा था, जो ऐसी गम्भीर समस्या के निवारण और नियंत्रण में विभाग की उपलब्धि का द्योतक है। बचत के लिए आरोपित कारण, मुख्यतः सामग्री तथा औषधियों की कम अधिप्राप्ति, पूर्व वर्षों में राज्यों को आपूर्त की गई सामग्री का असमायोजन और राज्यों द्वारा निधियों की कम मांग थे।

16.1.3.4 प्रशिक्षण



सेन्ट्रल सेक्टर योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, विभिन्न संस्थानों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता/साधन भी मुहैया कराता है। इस

प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत का विवरण निम्नवत था :

तालिका 16.1.3.4 : 'ग.4(2) - प्रशिक्षण' के अंतर्गत बचत

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल प्रावधान के प्रति बचत की प्रतिशतता
1993-94	11.99	0.53	12.52	7.66	4.86	39
1994-95	21.87	0.51	22.38	14.75	7.63	34
1995-96	37.84	-	37.84	18.89	18.95	50

इन वर्षों के दौरान 34 से 50 प्रतिशत के बीच की बचत मुख्यतः कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अपेक्षित संख्या में संचालन न करने, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा कार्यक्रम का धीमा कार्यान्वयन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा निधियों की कम मांग, सामग्री और उपकरणों आदि की कम खरीद के कारण थी।

16.1.3.5 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

उपरोक्त बचत, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (रा.म.उ.का.) के कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के द्वारा किए गए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हो गई थी; जैसा कि नीचे दिया गया है:-

तालिका 16.1.3.5 : 'राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम' के अंतर्गत आधिक्य

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष मुख्य शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान			वास्तविक व्यय			बचत/आधिक्य		
	रा.म.उ.का.	रा.म.उ.का.	कुल	रा.म.उ.का.	रा.म.उ.का.	कुल	रा.म.उ.का.	रा.म.उ.का.	कुल
	(ग्रामीण)	(शहरी)		(ग्रामीण)	(शहरी)		(ग्रामीण)	(शहरी)	
1993-94									
मु.शी.3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	73.54	11.37	84.91	81.86	5.46	87.32	+8.32	- 5.91	+2.41
मु.शी.4210-जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	75.65	10.00	85.65	79.96	5.73	85.69	+4.31	- 4.27	+0.04
									+2.45

वर्ष मुख्य शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान			वास्तविक व्यय			बचत/आधिक्य		
	रा.म.उ.का. (ग्रामीण)	रा.म.उ.का. (शहरी)	कुल	रा.म.उ.का. (ग्रामीण)	रा.म.उ.का. (शहरी)	कुल	रा.म.उ. का. (ग्रामीण)	रा.म.उ.का. (शहरी)	कुल
1994-95									
मु.शी.3601/3602- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	93.28	8.72	102.00	90.10	8.97	99.07	-3.18	+ 0.25	-2.93
मु.शी.4210--जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	76.54	9.16	85.70	90.02	8.40	98.42	+13.48	- 0.76	+12.7 2
									+9.79
1995-96									
मु.शी. 3601/3602- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	104.07	9.44	113.51	100.39	12.34	112.73	-3.68	+2.90	-0.78
मु.शी. 4210-जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	95.75	9.58	105.33	106.17	9.58	115.75	+10.42	-	+10.4 2
									+9.64

अन्य कारणों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया की घटना बढ़ने के कारण भी अधिक व्यय हुआ।

16.1.3.6 बचत का प्रभाव

प्रशिक्षण, रोगों के नियंत्रण के क्षेत्र में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए दिया जाता है। 1993-94 से 1995-96 के दौरान 34 से 50 प्रतिशत तक की बचत से ज्ञात हुआ कि रोगों के उन्मूलन तथा नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय महत्ता के विभिन्न कार्यक्रम चलाने के लिए कार्मिकों को अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

कालाजार, राष्ट्रीय क्ष.रो.नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 100 प्रतिशत तक के बीच की निरंतर रूप से बचत यह दर्शाती थी कि योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के भाग पर ढिलाई थी अथवा बजट

अनुमान, व्यय की प्रवृत्तियों की समुचित मॉनीटरिंग तथा आवधिक पुनरीक्षा के बिना ही बनाए गए थे।

16.1.4 अनुपूरक अनुदान का अधिक अनुमान

13.78 करोड़ रु का अनुपूरक अनुदान मार्च 1996 में मुख्य शीर्ष '4210-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री तथा उपकरणों की भारी खरीद' के अंतर्गत प्राप्त किया गया था। 7.48 करोड़ रु तक का अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 7.00 करोड़ रु की राशि 31 मार्च 1996 को अभ्यर्पित की गई थी।

मंत्रालय ने फरवरी 1997 में बताया कि निधियों के देर से प्राप्त होने के कारण आपूर्ति आदेशों को देर से अंतिम रूप देने के कारण, निधियां पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं की जा सकी, अतः 7.00 करोड़ रु की राशि अभ्यर्पित कर दी गई थी।

चूंकि अतिरिक्त निधियों की अनुपूरक अनुदानों के रूप में ही मांग की गई थी, मंत्रालय को इस बात की जानकारी थी कि निधियां देर से प्राप्त होंगी। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वह बचत का मुख्य कारण कैसे हो सकता है।

16.1.5 शीर्षवार विनियोग लेखे का गलत दिखाया जाना

सिविल लेखा संहिता के प्रावधानों और महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, शीर्षवार विनियोग लेखे अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों, अनुदानों के लिए मांग के साथ आंकड़ों और नामावली का समाधान करने, अनुपूरक मांगों और संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अनुदान के प्रत्येक अनुभाग और प्रत्येक भाग (प्रभारित और दत्तमत) के अन्तर्गत कुल संस्वीकृत प्रावधान, वित्तीय वर्ष के लिए पिछले विनियोग अधिनियम पारित करके संसद द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित प्रावधानों से मिलने चाहिए।

अनुदानों के लिए मांग और अनुपूरक मांगों के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा करते समय यह ध्यान में आया कि संसद द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित 1114.93 करोड़ रुपये के प्रावधानों (मूल जमा अनुपूरक) के प्रति, विभाग ने अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) के अन्तर्गत 1113.47 करोड़ रुपये दर्शाए थे जिसके परिणामस्वरूप 1.46 करोड़ रुपये कम दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार 409.25 करोड़ रुपये के कुल संस्वीकृत प्रावधानों (मूल जमा अनुपूरक) के प्रति, विभाग ने 410.71 करोड़ रुपये दर्शाए थे, परिणामतः अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अन्तर्गत 1.46 करोड़ रुपये अधिक दर्शाए गए। यह इस तथ्य के कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य शीर्ष 4216(योजनागत)-ख ख-आवास पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 1.86 करोड़ रु. की निधि राजस्व से पूंजीगत अनुभाग में पुनर्विनियोजित की थी तथा मुख्य शीर्ष '4210-क क-चिकित्सा स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय' के अंतर्गत 0.40 करोड़ रु. की राशि पूंजीगत से राजस्व अनुभाग में पुनर्विनियोजित की थी।

राजस्व से पूंजीगत अनुभाग में 1.46 करोड़ रु. की निधि का निवल पुनर्विनियोग वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 10 के अधीन अनुज्ञेय नहीं था।

16.1.6 निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग

16.1.6.1 स्वास्थ्य विभाग के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच करने पर यह पाया गया था कि निम्नलिखित दो उपशीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोग एक करोड़ रुपये की सीमा से अधिक बढ़ गया जिसके लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। तथापि, मंत्रालय ने फरवरी 1997 में बताया कि सचिव (व्यय) का कार्योत्तर अनुमोदन नवम्बर 1996 में प्राप्त किया गया है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	पुनर्विनियोजित राशि
1.	ग.4(3)(2)-राष्ट्रीय संक्रमण रोग संस्थान	1.49
2.	घ 1(1)(1)-कैंसर अनुसंधान तथा उपचार कार्यक्रम	1.11

तथापि, सच्चाई यह है कि मंत्रालय ने पुनर्विनियोग की सीमाओं के संबंध में वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया था।

16.1.6.2 सिविल लेखा मैनुअल के पैराग्राफ 4.8.1 के उपबंधों के अनुसार, किसी नकद आगम अथवा बहिर्गमन को अंतर्विष्ट किए बिना सहायता के रूप में प्राप्त उपकरण तथा माल को मुख्य शीर्ष '3606-सहायता सामग्री तथा उपकरण' को तदनुरूपी डेबिट के द्वारा मुख्य शीर्ष '1606-सहायता सामग्री तथा उपकरण' के अंतर्गत प्राप्ति के रूप में लिया जाना चाहिए। जब सामग्री अथवा उपकरण, सरकारी विभागों द्वारा प्रयोग हेतु आबंटित किए जाते हैं अथवा निजी निकायों आदि को सहायता अनुदानों के रूप में दिए जाते हैं, तो उनका मूल्य '3606-सहायता सामग्री तथा उपकरण' शीर्ष को एक घटा प्रविष्टि के द्वारा डेबिट किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग ने माल के रूप में प्राप्त की जाने वाली विदेशी अनुदान सहायता के संबंध में लेखांकन समायोजन करने के लिए मुख्य शीर्ष '3606-सहायता सामग्री तथा उपकरण' के नीचे उप-शीर्ष 'च 5 (1)-अस्पताल तथा ज.स्वा.के. को सुदृढ़ करने के लिए संघीय गणराज्य जर्मनी से सहायता के अंतर्गत 23.86 करोड़ रु का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था। अनुपूरक अनुदान को वसूलियों से मिलाया जाना था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी लेखा से 'कोई नकद बहिर्गमन नहीं' था। इस मकसद के लिए अनुपूरक अनुदान, उप शीर्ष के अंतर्गत 16.76 करोड़ रु की सीमा तक अप्रयुक्त रहा, जो मार्च 1996 में मुख्य शीर्ष '2210-चिकित्सा

तथा जन स्वास्थ्य' के अंतर्गत नकद बहिर्गमन को शामिल करते हुए सहायता अनुदानों तथा अन्य खर्चों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोजित किया गया था।

मंत्रालय ने फरवरी 1997 में बताया कि दाता एजेंसी द्वारा अतिरिक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियां इस्तेमाल नहीं की जा सकी थी तथा वे जनहित में समुचित उपयोग हेतु अन्य कार्यक्रमों को अंतरित की गई थीं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपूरक अनुदान, माल के रूप में प्राप्त विदेशी सहायता के संबंध में लेखांकन समायोजन करने के लिए प्राप्त किए गए थे तथा नकद बहिर्वाह से अंतर्ग्रस्त अन्य क्रियाकलापों को किया गया प्रावधान का अंतरण अनियमित था।

16.1.7 नई सेवा/सेवा के नए साधन पर व्यय

केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रति 10.20 लाख रु की अधिक राशि के भुगतान के एक मामले में, 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' का प्रावधान आकृष्ट हुआ। मामले के विवरण का इस प्रतिवेदन के अध्याय XIV के पैराग्राफ 14.2 में उल्लेख किया गया है।

16.2 अनुदान सं.-40 परिवार कल्याण विभाग

1. निवल बचत	89.86 करोड़ रु.
बढ़े हुए अनुपूरक अनुदान	71.64 करोड़ रु.
2. राजस्व अनुभाग (दत्तमत)में विशिष्ट उपशीर्षों में बढ़े पैमाने पर बचत	174.07 करोड़ रु.
3. अनियमित पुनर्विनियोग	1.51 करोड़ रु.

इस अनुदान में परिवार कल्याण विभाग के सचिवालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए प्रावधान, शामिल हैं। परिवार कल्याण सेवाओं, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान तथा परिवार नियोजन सेवाओं/परियोजनाओं के विभिन्न तरीकों की आपूर्तियों, वाणिज्यिक वितरण तथा परम्परागत गर्भनिरोधक के अन्य विभागों तथा स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा वितरण करने के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

16.2.1 समग्र स्थिति

वर्ष 1995-96 के दौरान अनुदान सं. 40-परिवार कल्याण विभाग की राजस्व तथा पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में कुल प्रावधान (अनुपूरक अनुदान सहित), वास्तविक व्यय, बचत/अधिक व्यय तथा अभ्यर्पण से संबंधित समग्र स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 16.2.1 : अनुदान की समग्र स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
राजस्व अनुभाग (दत्तमत)				
मू. 1895.36	1967.00	1877.14	89.86	87.58
अनु. 71.64				
पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत)				
मू. 0.15	0.15	0.08	0.07	शून्य
अनु. शून्य				

16.2.2 समग्र बचत

वर्ष 1995-96 के दौरान राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में 200.43 करोड़ रु. की सकल बचत थी जो 110.57 करोड़ रु. के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया था जिसके परिणामस्वरूप 89.86 करोड़ रु. की निवल बचत हुई। निवल बचत 71.64 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान से बढ़ गई। इस प्रकार, विभाग द्वारा 71.63 करोड़ रु. का अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय अनुदानों की अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच के समय तक (मार्च 1996) बचत की कल्पना नहीं की जा सकी। लेखे की संवीक्षा करने से ज्ञात हुआ कि विभाग ने दोनों अनुभागों के अंतर्गत हुई बचत को वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में अभ्यर्पित किया है।

मंत्रालय ने फरवरी 1997 में बताया कि अनुपूरक अनुदान, वित्त मंत्रालय के अनुदेश पर किए गए अभ्यर्पण के बावजूद, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राप्त किया गया था।

16.2.3 विशिष्ट उपशीर्षों के अंतर्गत बचत

वर्ष 1995-96 के शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि निम्नलिखित उप-शीर्षों में बड़े पैमाने पर प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक बचत थी

तालिका 16.2.3 : विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बचत

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उपशीर्ष	कुल प्रावधान	बचत (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए कारण
मुख्य शीर्ष 2211 - परिवार कल्याण				
1.	ख.11(1) - परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	105.70	25.69 (24)	गर्भनिरोधक सामग्री का लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार न होने से नई गर्भनिरोधक योजना का कार्यान्वयन न होना।
2.	ख.11(2) - निरोध का सामाजिक विपणन	30.00	18.36 (61)	प्रचार पर कम व्यय किया जाना तथा रिक्त पदों का न भरा जाना।
3.	ख.11(3) - खाने की गोलियों का सामाजिक विपणन	10.00	5.90 (59)	खाने की गोलियों के प्रचार पर कम व्यय किया जाना।
4.	ख.13 -अन्य व्यय	63.25	42.75 (68)	किसी नए अभिकर्मों/योजनाओं तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन/अनुमोदन न होना तथा वाहनों की अधिप्राप्ति पर कम व्यय किया जाना।
मुख्य शीर्ष 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान				
1.	ग.2(10) - चयनित परिवार नियोजन क्षेत्र परियोजना (भारत जनसंख्या परियोजना सहित)	235.00	58.92 (25)	क्षेत्र परियोजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति के कारण राज्य सरकारों द्वारा अनुदानों की कम आवश्यकता होना तथा पिछले वर्षों के दौरान निधियों का अधिक जारी किया जाना।
2.	ग.2(11) - परिवार कल्याण अन्य सेवाएं तथा आपूर्तियां	106.08	22.45 (21)	राज्यों से गर्भनिरोधक सामग्री की कम मांग होना तथा योजना का कार्यान्वयन भी न होना।
	जोड़		174.07	

ऊपर उल्लिखित बड़े पैमाने पर बचतों से यह प्रतीत होता है कि मंत्रालय द्वारा योजनाओं की उचित मॉनीटरिंग तथा सामयिक मूल्यांकन नहीं किया गया है जिससे योजनाओं को हानि पहुंची है।

16.2.4 निधियों का अनियमित पुनर्विनियोग

16.2.4.1 विनियोग लेखे की नमूना जांच से यह पाया गया कि उप-शीर्ष "घ 1(6)- परिवार कल्याण-प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य" के अंतर्गत 1.51 करोड़ रु. का पुनर्विनियोग 1.58 करोड़ रु. के संस्वीकृत प्रावधान के 25 प्रतिशत तथा एक करोड़ रु. की निर्धारित दोनों सीमाओं से बढ़ गया था जिसके लिए मंत्रालय ने न तो संसद को अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच में पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के संवर्धन की सूचना दी (मार्च 1996) और न ही सचिव/अतिरिक्त सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया।

16.2.4.2 विनियोग लेखाओं की नमूना जांच करने पर यह पाया गया था कि उप शीर्ष "ख. 9(3)- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया यूनिट द्वारा व्यय" के अंतर्गत 1.68 करोड़ रु. की निधियों का पुनर्विनियोग एक करोड़ रुपये की सीमा से बढ़ गया था जिसके लिए विभाग ने सचिव (व्यय) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर मंत्रालय ने दोनों मामलों के बारे में सचिव (व्यय) का अक्टूबर 1996 में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया। पूर्व अनुमोदन की बजाए व्यय करने के बाद अनुमोदन प्राप्त करना वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि इससे उस मकसद की प्राप्ति नहीं हुई जिसके लिए अनुदेश जारी किए गए थे।

अध्याय XVII

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- i) निरन्तर बचत
 - क) सामान्य शिक्षा
 - ख) माध्यमिक शिक्षा
 - ग) तकनीकी शिक्षा
- ii) 201.51 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान का अधिक अनुमान लगाया जाना
- iii) पूंजीगत अनुभाग में पिछले तीन वर्षों से निरन्तर बचत

17. प्रस्तावना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा, संस्कृति, युवा मामले तथा खेल, महिला एवं बाल विकास विभाग आते हैं। इनमें से शिक्षा विभाग के उद्देश्य मानव क्षमता के विकास हेतु शिक्षा के क्षेत्र में सभी को मूल शिक्षा देने की ओर समेकित प्रयास करना, शिक्षा को समाज की आवश्यकता के अनुकूल बनाना तथा प्रौढ़ साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा सार्वभौमिकरण की नई चुनौतियों का भी सामना करने, शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के प्रबंध का विकेन्द्रीकरण करना है।

17.1 अनुदान सं. 46-शिक्षा विभाग

इस अनुदान में सचिवालय व्यय तथा अधीनस्थ कार्यालयों-सामान्य शिक्षा, प्रारंभिक, माध्यमिक, प्रौढ़, यूनीवर्सिटी तथा उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत सहित भाषाओं का विकास, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, खेल तथा युवा सेवाओं आदि पर व्यय करने के प्रावधान सम्मिलित हैं।

17.1.1 समग्र स्थिति

अनुदान सं. 46-शिक्षा विभाग की, वर्ष 1995-96 के लिए कुल प्रावधान (अनुपूरक अनुदान को मिलाकर), वास्तविक व्यय, बचत/अधिक व्यय तथा अभ्यर्पण के संबंध में राजस्व अनुभाग के दत्तमत भाग तथा पूंजीगत अनुभाग के दत्तमत तथा प्रभारित भाग के अंतर्गत समग्र स्थिति निम्न प्रकार थी:-


तालिका 17.1.1 : अनुदान की समग्र स्थिति

(करोड़ रुपये में)

प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण
राजस्व अनुभाग (दत्तमत)				
मू.	2702.55	3730.84	3322.03	408.81
अनु.	1028.29			
पूँजीगत अनुभाग (प्रभारित)				
मू.	1.00	1.00	--	1.00
अनु.	-			
पूँजीगत अनुभाग (दत्तमत)				
मू.	0.52	0.52	0.50	0.02
अनु.	-			

(क) राजस्व अनुभाग

अनुदान के दत्तमत भाग में 1995-96 के दौरान 475.65 करोड़ रु. की समग्र बचत थी जो अन्य शीर्षों के अंतर्गत 66.84 करोड़ रु. के अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप 408.81 करोड़ रु. की निवल बचत हुई और 1028.29 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान का 40 प्रतिशत बनी।



1028.29 करोड़ रु. के अनुपूरक प्रावधान के प्रति, राजस्व अनुभाग के दत्तमत भाग में 408 करोड़ रु. से अधिक की बचतों से अयथार्थ बजटीय पूर्वानुमान और त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण दर्शित हुआ।

(ख) पूंजीगत अनुभाग

मुख्य शीर्ष '7601-राज्य सरकारों को कर्जे और पेशगियां' के अंतर्गत अनुदान के प्रभारित भाग में 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान क्रमशः 2.85 करोड़ रु., 2.85 करोड़ रु. तथा एक करोड़ रु का समग्र विनियोग, योजना के अभी तक पुनरीक्षणाधीन होने के कारण निरन्तर अप्रयुक्त रहा।

लेखे की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग ने दोनों अनुभागों के अंतर्गत हुई बचतों को वित्तीय वर्ष की बिल्कुल समाप्ति पर ही अभ्यर्पित किया था।

17.1.2 निरन्तर बचत

निम्नलिखित उप-शीर्षों/योजनाओं में निम्न वर्षों के दौरान निरन्तर बचत हुई।

तालिका 17.1.2 : विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निरन्तर बचत

राजस्व अनुभाग

(करोड़ रुपयों में)

उपशीर्ष/योजनाएं	1993-94	1994-95	1995-96	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
मुख्य शीर्ष - 2202 सामान्य शिक्षा				
प्रारंभिक शिक्षा अन्य व्यय - बिहार शिक्षा परियोजना	4.00 (20%)	10.00 (50%)	30.00 (100%)	बिहार शिक्षा परियोजना का विस्तार न होना (1995-96)। वार्षिक योजना पर प्रतिबंध के कारण प्रत्याशा से कम मांग होना (1993-94, 1994-95)।
माध्यमिक शिक्षा गैर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को - सहायता- शिक्षा का व्यावसायीकरण	1.69 (49%)	5.31 (89%)	7.58 (95%)	भोपाल में केन्द्रीय व्यावसायीकरण शिक्षा संस्थान के भवन के निर्माण में विलम्ब होना (1995-96)।

उपशीर्ष/योजनाएं	1993-94	1994-95	1995-96	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
				भोपाल में केन्द्रीय व्यावसायीकरण शिक्षा संस्थान के भवन निर्माण तथा सं.रा.क्षे. के पास अव्ययित शेष के समायोजन में विलम्ब होना (1994-95)। सं.रा.क्षे., (विधान मंडलों के बिना) तथा केन्द्रीय व्यावसायीकरण शिक्षा संस्थान से प्रत्याशा से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण (1993-94)।
मुख्य शीर्ष-2203 तकनीकी शिक्षा				
अन्य व्यय प्रौद्योगिकी विकास मिशन	-	7.56 (23%)	5.55 (28%)	प्राकृतिक आपदा प्रशमन मिशन का अनुमोदन न होना
मुख्य शीर्ष-3601 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान				
केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं-प्रौढ़ शिक्षा-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम-पश्च साक्षरता तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनुदान	4.22 (32%)	6.49 (37%)	56.17 (86%)	योजना के तरीकों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कुछ राज्यों से कम प्रस्ताव की प्राप्ति (1995-96)। बचत, पूर्व वर्ष (1994-95) के अव्ययित शेष का समायोजन करने तथा राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण थी (1993-94)।

चूंकि अधिकतर मामलों में राज्य सरकारों अथवा अन्य संगठनों को दिए गए सहायता अनुदानों में निरन्तर बचत हुई थी इसलिए उनके उपयोग की दक्षता की जांच करने तथा भविष्य में इस उद्देश्य हेतु किये गये प्रावधानों की सीमा का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

17.1.3 बचत से बचने के लिए निधियों का अनियमित/अप्राधिकृत रूप से जारी किया जाना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने मुख्य शीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत अनुदानों की अनुपूरक अनुदान के अंतिम बैच में यह बताते हुए कि यह विभिन्न भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों को समतुल्य अनुदान तथा उनकी ओर से प्रभारी बाध्यता आदि को पूरा करने के लिए योजनेत्तर अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक था, एक लाख रुपये का सांकेतिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था। सांकेतिक अनुदान से यह संकेत मिला कि राशि को पुर्नविनियोग द्वारा बढ़ाया जा सकता था

तथा निधियों को उस उद्देश्य जिसके लिए सांकेतिक अनुदान प्राधिकृत किया गया था, हेतु प्रयोग किया जा सकता था। तथापि, लेखाओं की जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बढ़ाई गई 41.83 करोड़ रु. की कुल निधियों में से 10.92 करोड़ रु. अगले वर्ष के दौरान उपयोग किये जाने के लिए तदर्थ आधार पर जारी किये गये थे और 6.30 करोड़ रु. अन्य उद्देश्यों जैसे पुस्तकालय को उन्नत करने, सी.डी.आर.ओ. एम. की खरीद और छात्रावास भवन आदि के लिए प्रयुक्त किये गये थे।

मंत्रालय ने जनवरी 1997 में बताया कि प्रभारी बाध्यता जिसके लिए गहन अध्ययन अपेक्षित था, की प्रक्रिया को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण अनुदान तदर्थ आधार पर जारी किया गया था और संस्थानों द्वारा निधियों की तत्काल आवश्यकता पर विचार करते हुए अनुदान, पुस्तकालय को उन्नत करने, छात्रावास भवन आदि के लिए जारी किए गये थे।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। तदर्थ अनुदान, वर्ष के अन्तिम दिन इस शर्त के साथ कि ये मंत्रालय से और सूचना के प्राप्त होने तक उपयोग नहीं किये जाने हैं, जिससे उपयोग अगले वर्ष में लागू हो, जारी किए गए थे। पुस्तकालय को उन्नत करने, सी.डी.आर.ओ.एम. की खरीद तथा छात्रावास भवन आदि के लिए 6.30 करोड़ रु. जारी किये गए और अगले वर्ष के लिए 10.92 करोड़ रु. राशि के योजनेत्तर अनुदान वो नहीं थे जो कि अनुदानों की अनुपूरक मांग में बताये गये थे।

17.1.4 अनुपूरक अनुदान का अधिक अनुमान

शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि विभाग ने ग्रामीण पुस्तकालय परियोजना के लिए राजीव गांधी फॉउण्डेशन को अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए उप शीर्ष ग 4(2) के अन्तर्गत 1.50 करोड़ रु. का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था। यहां तक कि विभाग मूल प्रावधान को भी खर्च नहीं कर सका तथा इसमें 1.50 करोड़ रु. के अनुपूरक अनुदान सहित 5.18 करोड़ रु. की बचत हुई थी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए उप शीर्ष ग 1(2)(14) के अन्तर्गत 205.94 करोड़ रु. तथा प्राथमिक शिक्षा में पोषणिक सहायता देने के लिए एक देशव्यापी कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए उप शीर्ष ग 1(2)(15) के अन्तर्गत 611.79 करोड़ रु. का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जो क्रमशः 29.43 करोड़ रु. तथा 170.58 करोड़ रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा। विभाग ने उप शीर्ष ग 1(2)(14)- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बचत के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के लिए जैसा कि वास्तव में प्रत्याशा की गई थी, निधिकरण एजेंसी के साथ किये गए अपेक्षित अनुबंध को अन्तिम रूप न दिये जाने तथा उपशीर्ष ग 1(2)(15)- प्राथमिक शिक्षा में पोषणिक सहायता देने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत योजना का देर से प्रतिपादन करने और बाद में कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना को देर से प्रारंभ करने के कारणों को आरोपित किया (जनवरी 1997)।

अध्याय XVIII

अन्य अनुदान

18 वित्त मंत्रालय

18.1 अनुदान सं. 34-राजस्व विभाग

अवास्तविक बजट बनाना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 के परिशिष्ट-3 में निहित अनुदेशों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पूर्व वर्षों से व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए शीर्षवार लेखे द्वारा अपने बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तैयार करने अपेक्षित होते हैं। समस्त अनिवार्य तथा पूर्व अनुमेय व्यय के लिए प्रावधान करते समय मितव्ययिता के उपायों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि अनुमान इस बात से प्रभावित न हों कि व्यय कम होगा।

विनियोग लेखे की संवीक्षा करते समय यह देखा गया था कि पूंजीगत शीर्ष '4875-अन्य उद्योग-अफीम तथा क्षारोद उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय' के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की बचत, संस्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत से 93 प्रतिशत तक की थी, जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 18.1 : अनुदान के अंतर्गत बचत

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	अभ्यर्पित राशि
1993-94	1.39	0.10	1.29	93%	1.01
1994-95	3.47	0.57	2.90	84%	2.58
1995-96	5.36	0.58	4.78	89%	3.35

विभाग द्वारा उल्लिखित बचत के लिए मुख्यतः 1993-94 के दौरान के.लो.नि.वि. द्वारा निर्माण कार्य के पूर्ण न होने, म.नि.आ.नि. से मशीनों की खरीद हेतु बिलों की प्राप्ति न होने तथा कार्यक्रम में योगदान न देने; 1994-95 के दौरान आवासीय स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण न होने तथा उद्योग में प्रौद्योगिकी के सुधार हेतु आधुनिकीकरण कार्यक्रम को आरंभ न करने तथा नीमच क्षारोद फैक्टरी कालोनी के निर्माण हेतु के.लो.नि.वि. से प्रारंभिक अनुमानों की रिपोर्ट की प्राप्ति न होने; किए गए निर्माण कार्य के लिए के.लो.नि.

वि. से दावों की प्राप्ति न होने तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को छोड़ दिए जाने के कारणों को आरोपित किया गया था।

18.2 अनुदान सं.66-योजना

18.2.1 निधि के पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय

अनुदान उप-शीर्षवार अथवा मानक उद्देश्यवार (प्राथमिक इकाई कहा जाने वाला) आबंटित किए जाते हैं जिसके अंतर्गत यह लेखाबद्ध किए जाते हैं। निधियों का पुनर्विनियोग वित्तीय वर्ष, जिससे अनुदान संबंधित हैं, के समाप्त होने से पहले एक अनुदान के भीतर विनियोग की प्राथमिक इकाईयों के बीच हो सकता है। वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के अनुसार विभाग के अध्यक्षों को विनियोग के एक उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई से दूसरे उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई में एक करोड़ रु. तक की निधियों का पुनर्विनियोग करने का अधिकार है।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबंध 'क' के प्रावधानों के अनुसार लेखा कार्यालयों के कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह देखना है कि किसी उपशीर्ष या विनियोग की प्राथमिक इकाई के अंतर्गत बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान नहीं किया गया है। उन मामलों में जहां विद्यमान प्रावधान भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, भु.ले.का. अनुदान को नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से लिखित रूप में यह आश्वासन कि व्यय करने के लिए आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेशों आदि को जारी करके उपलब्ध कराई जाएगी, प्राप्त होने पर ही भुगतान कर सकता है।

अनुदान सं.66-योजना से संबंधित, वर्ष 1995-96 के शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि उसमें पुनर्विनियोग हेतु पर्याप्त बचत उपलब्ध होने के बावजूद आयोग ने मुख्य शीर्ष-5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों में विनियोग की अन्य इकाईयों से निधियों का पुनर्विनियोग किए बिना अधिक व्यय किया। यह स्पष्ट नहीं है कि भु.ले.अ. ने किस तरह इन शीर्षों के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान के बिना भुगतान करने की स्वीकृति दी थी।

तालिका 18.2.1 : पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के बिना निम्न अधिक व्यय
1.	क क 1 (1) (1) -राष्ट्रीय सूचनात्मक कार्यक्रम एन.आई.सी. एन.इ.टी. तथा नए जिला केन्द्र	7.60	9.56	1.96
2.	क क 1 (1) (9) -परियोजना न्यायालय-आई. एल.	1.00	2.01	1.01

पुनर्विनियोग के बिना संस्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय लेखांकन प्राधिकारियों तथा नियंत्रण अधिकारी की ओर से व्यय की प्रगति पर नियंत्रण का अभाव दर्शाता है।

18.2.2 सहायक सामग्री तथा उपकरण के मूल्य का समायोजन न होना

सिविल लेखा मैनुअल के पैराग्राफ 4.8.1 के उपबंधों के अनुसार, विदेशों से किसी नकद आगम अथवा बहिर्गमन को समाविष्ट न करते हुए, सहायता के रूप में प्राप्त सामग्री, उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य को मुख्य शीर्ष '3606-सहायता सामग्री तथा उपकरण' में तदनुरूपी डेबिट करते हुए मुख्य शीर्ष '1606-सहायता सामग्री तथा उपकरण' के अंतर्गत प्राप्ति के रूप में लिया जाना चाहिए। जब सामग्री अथवा उपकरण सरकारी विभागों को उपयोग हेतु आबंटित किए जाते हैं या गैर-सरकारी निकायों आदि को सहायता अनुदान के रूप में दिए जाते हैं तो उनके मूल्य को संबंधित मुख्य शीर्ष में कटौती प्रविष्टि द्वारा डेबिट किया जाना चाहिए।

अनुदान सं.-66 योजना के संबंध में वर्ष 1995-96 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि योजना आयोग ने नार्वे सरकार से कम्प्यूटर परियोजनाओं के लिए 4.39 करोड़ रु. मूल्य की उपहार सामग्री तथा उपकरण प्राप्त किए और राशि को मुख्य शीर्ष-3606-सहायता सामग्री तथा उपकरण-नार्वे सरकार से सहायता-कम्प्यूटर परियोजनाओं के लिए उपहार सामग्री तथा उपकरण का मूल्य' के अंतर्गत लेखाबद्ध किया। इस प्रकार लेखे इस सीमा तक व्यय को दर्शाते हैं। चूंकि ऐसे लेन-देनों में कोई नकद अंतर्ग्रस्त नहीं है इसलिए ज्यों ही उपकरण उपयोगकर्ता को आबंटित किया जाए त्यों ही उसके बराबर राशि इसमें से घटायी जानी अपेक्षित होती है। विभाग द्वारा ऐसा कोई समायोजन नहीं किया गया था तथा वसूली विवरण में नहीं दर्शाया गया था।

वसूली विवरण में उपहार सामग्री के मूल्य का समायोजन न होने के परिणामस्वरूप संघ सरकार के लेखे में 1995-96 के दौरान 4.39 करोड़ रु. व्यय अधिक दर्शाया गया है।

भरत ओझा

(भरत ओझा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली
दिनांक: 2 अप्रैल 1997


प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 4 अप्रैल 1997



परिशिष्ट I

(पैराग्राफ 2.5 देखें)

वित्त लेखे से प्रकट होने वाली समग्र वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
1.	राजस्व प्राप्तियां	168571 (15.34)	146670 (15.51)	119602 (14.93)	114220 (16.25)	99830 (16.20)
	क) कर राजस्व	99950 (9.10)	83737 (8.86)	67975 (8.49)	68579 (9.76)	62257 (10.11)
	ख) कर-भिन्न राजस्व	68621 (6.25)	62932 (6.66)	51627 (6.45)	45641 (6.49)	37574 (6.10)
2.	पूँजीगत प्राप्तियां	302368 (27.52)	277392 (29.33)	266953 (33.33)	185845 (26.44)	167149 (27.13)
	क) कर्जों की वसूली	6999 (0.64)	6507 (0.69)	7611 (0.95)	7678 (1.09)	7002 (1.14)
	ख) विविध पूँजीगत प्राप्तियां	1397 (0.13)	5607 (0.59)	(-) 48 (-0.00)	1961 (0.28)	3038 (0.49)
	ग) लोक ऋण प्राप्तियां	180966 (16.47)	157607 (16.67)	169637 (21.18)	103379 (14.71)	90586 (14.70)
	घ) लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमा और अग्रिम की प्राप्ति	111162 (10.12)	104126 (11.01)	87677 (10.95)	71558 (10.18)	65029 (10.56)
	ङ) उचंत, विविध व प्रेषण	1844 (0.17)	3545 (0.37)	2076 (0.26)	1269 (0.18)	1494 (0.24)
3.	कुल प्राप्तियां (1 + 2)	470939 (42.87)	424062 (44.85)	386555 (48.26)	300065 (42.69)	266979 (43.34)
4.	योजनेत्तर व्यय	181039 (16.48)	158117 (16.72)	141198 (17.63)	126495 (18.00)	108431 (17.60)
	क) राजस्व लेखे पर	169281 (15.41)	149395 (15.80)	127427 (15.91)	112932 (16.07)	100931 (16.38)
	ख) पूँजीगत लेखे पर	11758 (1.07)	8723 (0.92)	13771 (1.72)	13563 (1.93)	7500 (1.22)
5.	योजनागत व्यय	34807 (3.17)	38847 (4.11)	35769 (4.47)	26885 (3.83)	21570 (3.50)
	क) राजस्व लेखे पर	29021 (2.64)	28304 (2.99)	24890 (3.11)	19862 (2.83)	15160 (2.46)

जारी →

क्र. सं.	विवरण		1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
	ख)	पूँजीगत लेखे पर	5786 (0.53)	10543 (1.11)	10879 (1.36)	7023 (1.00)	6410 (1.04)
6.	कुल व्यय		469283 (42.72)	425291 (44.98)	385532 (48.13)	300604 (42.77)	266948 (43.33)
	क)	राजस्व व्यय	198302 (18.05)	177699 (18.79)	152317 (19.02)	132794 (18.89)	116091 (18.84)
	ख)	पूँजीगत व्यय	17544 (1.60)	19266 (2.04)	24650 (3.08)	20586 (2.93)	13911 (2.26)
	ग)	कर्जों का संवितरण	24810 (2.26)	23898 (2.53)	21874 (2.73)	17619 (2.51)	18703 (3.04)
	घ)	ऋण की वापस अदायगी	139246 (12.68)	133271 (14.09)	117951 (14.72)	71710 (10.20)	66419 (10.78)
	ङ)	लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा की वापस अदायगी और अग्रिम के संवितरण	85425 (7.78)	67998 (7.19)	63444 (7.92)	55706 (7.93)	49336 (8.01)
	च)	उचंत, विविध एवं प्रेषण	3956 (0.36)	3159 (0.29)	5296 (0.66)	2189 (0.31)	2488 (0.40)
7.	राजस्व घाटा		29731 (2.71)	31029 (3.28)	32715 (4.08)	18574 (2.64)	16261 (2.64)
8.	बजट घाटा		9808 (0.89)	961 (0.10)	10960 (1.37)	12312 (1.75)	6855 (1.11)
9.	राजकोषीय घाटा		60244 (5.48)	57704 (6.10)	60256 (7.52)	40173 (5.72)	36325 (5.90)
10.	प्राथमिक घाटा		10199 (0.93)	13644 (1.44)	23515 (2.94)	9098 (1.29)	9729 (1.58)
11.	मुद्रिकृत घाटा		19855 (1.81)	2130 (0.23)	260 (0.03)	14257 (2.03)	5508 (0.89)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े चालू बाजार मूल्य पर स.घ.उ. के लिए प्रतिशतता है।

परिशिष्ट II
(पैराग्राफ 5.4 देखें)
बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	सितम्बर 1994 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में मार्च 1996 के अंत तक बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	अनुदानों के लम्बित रहने का प्रारंभिक वर्ष
1	कृषि	449	202.30	1976-77
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	281	11.31	1980-81
3	परमाणु ऊर्जा	34	0.40	1985-86
4	वाणिज्य तथा कपड़ा			
	i) वाणिज्य	93	100.81	1984-85
	ii) हस्तशिल्प विकास आयुक्त, दिल्ली	477	9.88	1978-79
5	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	25	0.03	1988-89
6	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण	34	29.21	1981-82
7	रसायन और उर्वरक			
	i) उर्वरक	03	5.00	1991-92
	ii) रसायन और पैट्रो रसायन	58	40.91	1991-92
8	इलेक्ट्रॉनिक्स	1488	205.09	1983-84
9	पर्यावरण तथा वन	4265	270.47	1980-81
10	समुद्री विकास	864	61.19	1983-84
11	विदेश	23	2.95	1987-88
12	वित्त			
	i) राजस्व	1	0.09	1994-95
	ii) आर्थिक- कार्य *	21	6.34	1990-91

जारी ⇒

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	सितम्बर 1994 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में मार्च 1996 के अंत तक सकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	अनुदानों के लम्बित रहने का प्रारंभिक वर्ष
13.	खाद्य	5	0.19	1994-95
14.	खाद्य संसाधन उद्योग	219	22.27	1988-89
15.	स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण			
	(i) परिवार-कल्याण	852	49.03	1976-77
	(ii) स्वास्थ्य	1446	558.48	1976-77
16.	गृह	58	0.11	1987-88
17.	मानव संसाधन विकास			
	i) शिक्षा	7638	961.97	1977-78
	ii) महिला एवं बाल विकास	5350	581.43	1986-87
	iii) युवा कार्य और खेल	1895	64.61	1987-88
	iv) संस्कृति	2676	127.90	1982-83
18.	उद्योग			
	i) भारी उद्योग	1	0.10	1991-92
	ii) लघु उद्योग और एग्री ग्रामीण उद्योग	71	134.82	1993-94
	iii) औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन	31	6.86	1993-94
19.	सूचना एवं प्रसारण	10	1.12	1982-83
20.	श्रम	179	3.44	1979-80
21.	खान	1	0.01	1992-93

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	सितम्बर 1994 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में मार्च 1996 के अंत तक बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	अनुदानों के सम्बन्धित रहने का प्रारम्भिक वर्ष
22.	योजना और सांख्यिकी			
	i) सांख्यिकी	5	70.90	1993-94
	ii) योजना आयोग और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	162	13.37	1990-91
23.	विद्युत	156	24.91	1984-85
24.	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार	54	52.55	1989-90
25.	अंतरिक्ष	252	3.87	1976-77
26.	भूतल परिवहन	18	4.49	1992-93
27.	शहरी मामले और रोजगार	353	138.13	1981-82
28.	जल संसाधन	68	7.86	1985-86
29.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (खान मंत्रालय)	11	0.01	1991-92
	जोड़	29627	3774.41	

* बैंकिंग प्रभाग भु.ले.का., ई.आर.आई.एस. तथा बैंकिंग के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र शामिल नहीं है।

परिशिष्ट III
(पैराग्राफ 6.2 देखें)
निवेश पर प्रतिफल *

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष के अंत में निवेश	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व सांविधिक निगम					
i.	कुल निवेश	40121.26	41858.23	44116.15	47070.59	49737.75
ii.	लाभांश का हिस्सा	367.19	592.45	633.07	823.78	1216.46
iii.	लाभांश की प्रतिशतता	0.92	1.42	1.44	1.75	2.45
2.	राष्ट्रीयकृत बैंक					
i.	कुल निवेश	2979.01	3739.59	9464.89	14753.73	13673.68
ii.	लाभ का अंश	54.59	80.88	3.58	14.35	104.15
iii.	लाभ की प्रतिशतता	1.83	2.16	0.04	0.10	0.76
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम					
i.	कुल निवेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ii.	अधिशेष लाभों का अंश	90.04	100.06	118.53	140.35	161.28
iii.	अधिशेष लाभों की प्रतिशतता	1800.00	2001.20	2370.60	2807.00	3225.60
4.	सामान्य बीमा निगम					
i.	कुल निवेश	107.50	107.50	215.00	215.00	215.00
ii.	लाभांश का हिस्सा	26.88	32.37	26.94	53.76	53.81
iii.	लाभांश की प्रतिशतता	25.00	30.11	12.53	25.00	25.03
5.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक					
i.	कुल निवेश	753.00	753.00	753.00	753.00	670.00
ii.	अधिशेष लाभों का अंश	92.64	93.00	112.95	120.48	146.83
iii.	लाभ की प्रतिशतता	12.30	12.35	15.00	16.00	21.91
6.	राज्य सहकारी बैंक तथा अन्य बैंक					
i.	कुल निवेश	590.10	644.67	690.74	1045.60	1434.86
ii.	प्राप्त लाभांश	9.01	10.00	12.39	14.20	16.28

जारी

क्र.सं.	वर्ष के अंत में निवेश	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
iii	लाभांश की प्रतिशतता	1.53	1.55	1.79	1.36	1.13
7.	सहकारी समितियां					
i.	कुल निवेश	681.91	723.72	726.69	695.92	696.50
ii.	प्राप्त लाभांश	41.40	61.01	45.74	49.58	49.52
iii.	लाभांश की प्रतिशतता	6.07	8.43	6.29	7.12	7.11
8.	सहकारी क्रेडिट समितियां					
i.	कुल निवेश	0.19	0.19	0.19	0.05	0.07
ii.	प्राप्त लाभांश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
iii.	लाभांश की प्रतिशतता	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
9.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
i.	कुल निवेश	660.45	679.81	718.85	751.31	1070.39
10.	निर्माणाधीन					
i.	कुल निवेश	3316.71	3520.93	6309.51	6311.01	6311.01
I.	कुल निवेश	49215.13	52032.64	63000.02	71601.21	73814.26
II.	प्राप्त लाभांश	681.75	969.77	953.20	1216.50	1748.33
III.	लाभांश/लाभ की प्रतिशतता	1.39	1.86	1.51	1.70	2.37

* भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर।

परिशिष्ट -IV
(पैराग्राफ 8.8 देखें)
अप्रयुक्त कर्जे-क्षेत्रवार

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	क्षेत्र	चालू दर पर अप्रयुक्त कर्जे
1	विद्युत	15489.10
2	सामाजिक	7001.09
3	शहरी विकास	5521.11
4	अन्य	3171.51
5	कृषि	3053.02
6	सिंचाई	2936.90
7	सड़कें	2815.25
8	आधारभूत सुविधाएं	2719.92
9	उद्योग	1733.72
10	रेलवे	1465.43
11	उर्वरक	664.42
12	सामान्य	510.14
13	संरचनात्मक समायोजन	569.56
14	पत्तन	389.87
15	तेल	200.86
16	कोयला	186.94
17	दूरसंचार	113.40
18	ऊर्जा	31.36
	जोड़	48573.60

परिशिष्ट V

(पैराग्राफ 9.2 देखें)

सिविल मंत्रालयों के मिलान न किए गए शेष

(करोड़ रुपये में)

मंत्रालयों/विभागों के नाम	मिलान न किए गए डेबिट शेष
कल्याण	52.07
रसायन व पेट्रो- रसायन	42.68
आपूर्ति	37.53
कृषि	35.00
रा.रा.क्षे. दिल्ली	30.74
अंडमान व निकोबार प्रशासन	23.95
शहरी मामले व रोजगार	16.88
विधि व न्याय	9.41
जल संसाधन	7.24
एन.सी.ई.एस.	6.62
का.लो.शि. व. पेंशन	6.24
भा.ले.ले.प.वि	3.68
के.उ.शु.सी.शु.बो.	3.58
भूतल परिवहन	0.69
पर्यावरण एवं वन	0.29
सूचना एवं प्रसारण	0.23
विदेश	0.13
लोक सभा	0.08
जोड़	277.04

मंत्रालयों/विभागों के नाम	मिलान न किए गए क्रेडिट शेष
वित्त (आर्थिक कार्य)	54.87
शिक्षा	42.79
ग्रामीण विकास	26.56
गृह	26.45
सी.पी.ए.ओ.	19.95
के.प्र.क.बो.	17.33
सहायता, लेखे एवं लेखापरीक्षा	9.53
खाद्य	9.10
कला एवं संस्कृति	9.03
वित्त (राजस्व)	7.62
वित्त (व्यय)	7.53
उद्योग	4.46
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	0.74
पर्यटन एवं नागर विमानन	0.40
कोयला	0.37
राज्य सभा	0.17
सांख्यिकी	0.17
श्रम	0.14
नागरिक आपूर्ति	0.14
खान	0.08
योजना आयोग	0.07
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0.02
जोड़	237.52

परिशिष्ट VI

(पैराग्राफ 9.3.2 देखें)

आयातकर्ताओं द्वारा 31 मार्च 1996 को धारित भारी राशियां

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	देश	आयातकर्ता का नाम	राशि	अवधि
1.	ऑस्ट्रिया	तमिलनाडु चुम्बकीय सेलम	8.66	1989-91
2.	डेनमार्क	पवन चक्की फार्म परियोजना	34.12	1990-91
3.	ए.डी.बी.	विदेश संचार निगम, मुम्बई	5.50	1991-92 से 1995-96
	ए.डी.बी.	कोल इंडिया परियोजना	7.47	1994-95
	ए.डी.बी.	हिंदुस्तान केबल्स	15.29	1995-96
	ए.डी.बी.	रेलवे परियोजना	8.44	1995-96
4.	स्वीडन	एन.एच.पी.सी.	53.34	1992-93 से 1995-96
5.	स्वीडन	एम.एस.ई.बी.	59.86	1995-96
6.	ई.ई.सी.	एम.एम.टी.सी.	17.84	1989-90
7.	फ्रांस	दूर संचार	4.57	1985-86 से 1991-92
8.	फ्रांस	पवन हंस हेलीकॉप्टर	63.42	1986-87 से 1988-89
9.	फ्रांस	एन.एच.पी.सी.	12.19	1991-92 से 1992-93
10.	फ्रांस	सी.आई.एल.	12.40	1993-94 से 1995-96
11.	जापान	रा.ध.वि.नि., नई दिल्ली	53.99	1992-93 से 1994-95
12.	जापान	ए.एन.पी.ए.आर.ए. (यू.पी.एस.ई.बी.)	123.03	1993-94 से 1995-96
13.	जापान	मत्स्य परियोजना, केरल	28.33	1993-94
14.	यू.के.	भारतीय हेलीकॉप्टर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	21.91	1985-86 तथा 1986-87
15.	यू.के.	पवन हंस लिमिटेड	45.30	1987-88 तथा 1988-89

क्र.सं.	देश	आयातकर्ता का नाम	राशि	अवधि
16.	यू.के.	हिंदुस्तान जिंक, सहायता	106.53	1989-90 से 1995-96
17.	यू.एस.एस. आर	रा.थ.पा.नि.	54.22	1985-86 से 1993-94

परिशिष्ट VII
(पैराग्राफ 9.4.1 देखें)
प्रतिकूल शेषों की प्रमुख मदें

(करोड़ रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	31 मार्च 1996 को शेष
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा-नियंत्रक	(i)6002-201-आबुघाबी से ऋण	डेबिट 20.13
	(ii)6002-203- बेल्जियम से ऋण	डेबिट 14.61
	(iii)6002-218- कुवैत से ऋण	डेबिट 37.33
	(iv)6002-221- पै.नि.दे.सं. (ओ.पी.ई.सी.) विशेष निधि से ऋण	डेबिट 54.80
	(v)6002-224- विकास हेतु साऊदी निधि से ऋण	डेबिट 73.83
	(vi)6002-225-यू.के. से ऋण (ब्याज वाला)	डेबिट 55.64
	(vii)6002-225-यू.के. से ऋण (बिना ब्याज वाला)	डेबिट 224.18
	(viii)6002-226- अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, यू.एस.ए. से ऋण	डेबिट 272.28
	(ix)6002-227 पी.एल-480 के अंतर्गत यू.एस.ए. से ऋण	डेबिट 61.36
	(x)6002-231-यू.ए.ई. से ऋण	डेबिट 53.03
	(xi)8449-115- अ.पु.वि.बैं. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	डेबिट 312.51
	(xii)8449-116- यू.एस.ए.आई.डी. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा	डेबिट 15.67
	(xiii)8012-00-112- कुन्द्रीमुख लोह अयस्क कं. लिमिटेड द्वारा जमा	डेबिट 578.95
सूचना एवं प्रसारण	8670-00-105-इरला चैक	डेबिट 45.48
डाक विभाग	8001-104- संचयी मियादी जमा	डेबिट 132.80
	8002-104 -रक्षा बचत प्रमाणपत्र	डेबिट 29.90
	8002-00-106-राष्ट्रीय विकास बॉण्ड	डेबिट 1.34
नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	7475-103- नागरिक आपूर्ति	क्रेडिट 0.77
खाद्य मंत्रालय	8449- विविध जमा	डेबिट 1.08

परिशिष्ट VIII
(पैराग्राफ 9.4.3 देखें)
वित्त मंत्रालय के प्रतिकूल शेष
आर्थिक कार्य विभाग

विवरण सं.14

(हजार रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	31 मार्च 1996 को शेष	अभ्युक्तियाँ
1.	8001-102 राज्य बचत बैंक जमा	16- डेबिट	विभाग ने उत्तर दिया है कि ये प्रतिकूल शेष विभागीयकरण अवधि से पूर्व के शेषों को अपनाए जाने के कारण है तथा विशेष मद जिसके कारण प्रतिकूल शेष हुए हैं, का पता लगाने के लिए किए गए सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए।
2.	8001-103 सावधि जमा	571 -डेबिट	-वही-
3.	8001-104 संचयी मियादी जमा	3 -डेबिट	-वही-
4.	8002-102 राज्य बचत प्रमाणपत्र	9361-डेबिट	-वही-
5.	8002-103 खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र	65635- डेबिट	-वही-
6.	8002-104 रक्षा बचत प्रमाणपत्र	6837 -डेबिट	-वही-
7.	राष्ट्रीय विकास बॉण्ड	24146 -डेबिट	-वही-
8.	8012-105 द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत विदेशी सरकार को विशेष प्रतिभूतियाँ	100 -डेबिट	प्रतिकूल शेष 1993-94 से हैं। प्रतिकूल शेष भा.रि.बैं. द्वारा 1993-94 के दौरान भुगतान सूची में गलती के कारण हुआ है। विभाग द्वारा भा.रि.बैं. को आवश्यक संशोधन करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है।
9.	8012-105 भा.यू.ट्रू को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	338833-डेबिट	प्रतिकूल शेष 1991-92 से विद्यमान है। विभाग के उत्तर के अनुसार प्रतिकूल शेष गलत वर्गीकरण के कारण थे और इनका जनवरी, 1997 में समाशोधन कर लिया गया है।

जारी

विवरण सं.13

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	31 मार्च 1996 को शेष	अभ्युक्तियाँ
10.	8443-104 सिविल न्यायालय जमा	55-डेबिट	विभाग ने उत्तर दिया है कि इस प्रतिकूल शेष का फरवरी 1997 में समाशोधन कर लिया गया है।
11	8443-106 व्यक्तिगत जमा	285 डेबिट	प्रतिकूल शेष 1995-96 से हैं। विभाग ने उत्तर दिया है कि प्रतिशेष का अक्टूबर 1996 में समाशोधन कर लिया गया है।
12	8443-800 अन्य जमा	4395 डेबिट	प्रतिकूल शेष 1977-78 से चले आ रहे हैं।
13	8448-104 भारत की बीमा एसोसिएशन की निधियाँ	17 डेबिट	प्रतिकूल शेष 1983-84 वर्ष से चले आ रहे हैं।
14	8656-104 कांस्य तथा ताम्र सिक्के लेखा	21957 क्रेडिट	विभागीयकरण से पूर्व के शेष हैं।
15	8656-105 निकल सिक्के लेखा	56429 क्रेडिट	प्रतिकूल शेष 1994-95 से हैं।
16	8670-103 विभागीय चैक	267131 डेबिट	प्रतिकूल शेष 1988-89 से है। विभाग ने उत्तर दिया है कि विभाग द्वारा संबंधित भु.ले.का. (भु.ले.का.आई.जी.एम.मुम्बई) को इस प्रतिकूल शेष को परिसमाप्त करने के लिए कह दिया गया है।

विवरण सं.14 क

17	6001-101 ब्याज वाले बाजार कर्जे 6.50 कर्ज 1995	768 डेबिट	प्रतिकूल शेष 1995-96 से है।
18	6001-101-बिना ब्याज वाले बाजार कर्जे 4.25 राष्ट्रीय रक्षा बॉण्ड 1972	178 डेबिट	प्रतिकूल शेष 1991-92 से है।
19	5.5 कर्ज 1992	9195 डेबिट	प्रतिकूल शेष 1992-93 से है।
20	6001-106 क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉण्ड पी.पी. बॉण्ड 1964	3840 डेबिट	प्रतिकूल शेष विभागीयकरण से पूर्व के शेषों को अपनाए जाने के कारण है। विभाग ने उत्तर दिया है कि मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में 106-क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉण्ड शीर्ष के नीचे एक पाद-टिप्पणी देने का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है ताकि बॉण्ड शेषों को बट्टे खाते-डाला जा सके।
21	5 वर्षीय ब्याज मुक्त पुरस्कार बॉण्ड 1965	13514 डेबिट	—वही—
22	जी.बी.नि. से कर्ज	4547 डेबिट	—वही—

जारी

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	31 मार्च 1996 को शेष	अभ्युक्तियों
23	विशेष धारक बॉण्ड 1991	17238 डेबिट	प्रतिकूल शेष 1995-96 से है।

विवरण सं.15

24	7605-विदेशी सरकारों को कर्जे 098-बंगलादेश को कर्जे	6471 क्रेडिट	प्रतिकूल शेष 1994-95 से है।
25	7605-विदेशी सरकारों को कर्जे 057-यू.ए.आर. को कर्जे	20253 क्रेडिट	प्रतिकूल शेष 1995-96 से है।

परिशिष्ट IX

(पैराग्राफ 10.7 देखें)

मार्च माह के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्षक का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	2-कृषि तथा सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएँ			
	2405- मत्स्य उद्योग	1692	946	56
	2425-सहकारिता	2350	1727	73
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	13274	7796	59
	3602- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	132	131	99
	4405- मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	346	251	73
	7602- सं.रा.क्षे. की सरकारों को कर्ज और पेशगियाँ	4	4	100
2.	4-पशुपालन एवं डेरी विभाग			
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7281	4297	59
	3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	346	346	100
	6404- डेरी विकास के लिए कर्ज	13789	8508	62
3.	7-नागर विमानन विभाग			
	3053- नागर विमानन	6199	5084	82
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1906	1878	99
	5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	2471	2353	95
	7053-नागर विमानन के लिए कर्ज	1700	1700	100
4.	9-नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
	2852- उद्योग	262	132	50
	3602- सं.रा.क्षे. की सरकारों को सहायता अनुदान	64	64	100
	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	19	16	84
	7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	16	16	100
5.	11- वाणिज्य विभाग			
	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2213	2213	100
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1000	1000	100
	5453- विदेशी व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन पर पूंजीगत परिव्यय	5291	3049	58
	6407- पौधारोपण हेतु कर्ज	1353	1353	100
6.	23- विदेश मंत्रालय			
	3605- अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	20355	10810	53
7.	24-आर्थिक-कार्य विभाग			
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2169	1765	81
	3075- अन्य परिवहन सेवाएँ	38807	38807	100
	6885- अन्य औद्योगिक और खनिजों के लिए कर्ज	94	88	94
	7052- नौपरिवहन हेतु कर्ज	85	85	100

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीष का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता
	7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे	3000	3000	100
8.	26- वित्तीय संस्थाओं को भुगतान			
	2416- कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाएं	38	38	100
	2885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	8297	8004	96
	3052- नौपरिवहन	91	90	99
	3465-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थान	533	477	90
	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	159468	157168	99
	4416- कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाओं में निवेश	32957	24457	74
	5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	85032	85032	100
	5466- अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के कर्जे	291407	259499	89
	6416- कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाओं को कर्जे	2044	1432	70
	6885- अन्य औद्योगिक तथा खनिजों को कर्जे	26684	18879	71
9.	28- संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण			
	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	22500	22500	100
10.	34- राजस्व विभाग			
	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	61	61	100
11.	38- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय			
	2405- मत्स्य पालन	1610	918	57
	4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	32	30	94
	4860- उपभोक्ता-उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	200	100	50
12.	39- स्वास्थ्य विभाग			
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	28605	17307	61
	3602- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	682	526	77
	3606- सहायक सामग्री तथा उपकरण	710	710	100
13.	40- परिवार कल्याण विभाग			
	3606- सहायक सामग्री तथा उपकरण	5875	5875	100
14.	41- गृह मंत्रालय			
	2250- अन्य सामाजिक सेवायें	32	27	84
15.	43- पुलिस			
	7601- राज्य सरकारों को कर्जे तथा पेशगियां	3326	2160	65
16.	44- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय			
	2056- जेल	35	30	86
	3053- नागर विमानन	120	120	100
	7601- राज्य सरकारों को कर्जे तथा पेशगियां	816	461	56
17.	47- युवा कार्य और खेल विभाग			
	3601- राज्य सरकारों को सहायक अनुदान	3172	1581	50
18.	49- महिला एवं बाल विकास विभाग			
	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	19375	11728	58

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता
	3602- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	723	402	56
19.	52- सार्वजनिक उद्यम विकास			
	2852- उद्योग	27	27	100
20.	53- लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग			
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	651	356	55
	6851- ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए कर्जे	29105	26635	92
21.	54- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय			
	6220- सूचना और प्रचार के लिए कर्जे	275	200	73
22.	55- प्रसारण सेवाएँ			
	2221- प्रसारण	128015	71360	56
	4221- प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय (प्रभारित)	165	130	79
	4221- प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय (दत्तमत)	29284	26438	90
23.	57- विधि और न्याय मंत्रालय			
	2014- न्याय प्रशासन	1639	1129	69
	2015- चुनाव	25118	24085	96
24.	62. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
	6810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के लिए कर्जे	5149	5149	100
25.	64- कार्मिक, लोक शिकायतें तथा पेंशन मंत्रालय			
	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	171	171	100
	7601- राज्य सरकारों को कर्जे तथा पेशगियाँ	600	600	100
26.	65- पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
	4802- पेट्रोल पर पूंजीगत परिव्यय	103487	103487	100
27.	66- योजना			
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	83	83	100
	3606- सहायता सामग्री तथा उपकरण	439	439	100
28.	67- सांख्यिकी विभाग			
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	84	84	100
29.	69- विद्युत मंत्रालय			
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	10	10	100
	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	71409	45243	63
	6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्जे	166932	98511	59
	7601- राज्य सरकारों को कर्जे तथा पेशगियाँ	330	330	100
30.	70- ग्रामीण विकास विभाग			
	2216- आवास	4501	4489	100

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्षक का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च के दौरान व्यय की प्रतिशतता
31.	72- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
	5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	649	431	66
	5455- मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	2280	1509	66
32.	73- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
	4859- दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	377	327	87
	5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	15	15	100
	6859- दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	377	327	87
	7425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कर्जे	15	15	100
33.	75- इस्पात मन्त्रालय			
	4852- लोहा और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	397	340	86
34.	76- भूतल परिवहन मन्त्रालय			
	3055- सड़क परिवहन	1257	733	58
35.	77- सड़कें			
	3054- सड़कें और पुल	39572	21923	55
	7601- राज्य सरकारों को कर्जे और पेशगियां	2300	2150	93
36.	78- पत्तनों, प्रकाश गृहों तथा नौपरिवहन			
	2852- उद्योग	2531	1683	66
	7051- पत्तन और प्रकाश गृह के लिए कर्जे	2533	2308	91
37.	80- शहरी विकास तथा आवास			
	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	83	78	94
	4215- जल आपूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	800	800	100
	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4300	2800	65
	6215- जल आपूर्ति और सफाई के लिए कर्जे	1755	1508	86
	6216- आवास के लिए कर्जे	600	600	100
38.	81- लोक निर्माण			
	4404- डेरी उद्योग विकास पर पूंजीगत परिव्यय	36	25	69
	6217- शहरी विकास के लिए कर्जे	1300	1300	100
39.	83- जल संसाधन मन्त्रालय			
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	12379	7474	60
	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	461	461	100
40.	87- इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग			
	2852- उद्योग	11458	5714	49.87
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1	1	100

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्षक का विवरण	कुल व्यय	माचे में व्यय	कुल व्यय से माचे के दौरान व्यय की प्रतिशतता
41.	85- परमाणु ऊर्जा			
	2852- उद्योग (प्रभारित)	3	3	100
	6859- दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए कर्जे	724	624	86
	7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे	20	20	100
	जोड़	1474340	1179156	79.98

परिशिष्ट- X
(पैराग्राफ 12.5 देखें)
निधियों का अभ्यर्पण

20 प्रतिशत से ऊपर और एक करोड़ रु. से अधिक केवल आंशिक रूप से अभ्यर्पित की गई बचत के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई बचत की प्रतिशतता
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	4 - पशुपालन एवं डेरी विभाग	41.00	31.22	9.78	23.85
2.	7 - नागर विमानन विभाग	20.86	10.65	10.21	48.95
3.	9 - नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	12.54	2.59	9.95	79.35
4.	11 - वाणिज्य विभाग	77.85	52.11	25.74	33.06
5.	22 - पर्यावरण और वन मंत्रालय	58.60	39.75	18.85	32.17
6.	23 - विदेश मंत्रालय	70.24	51.67	18.57	26.44
7.	25 - मुद्रा सिक्का ढलाई तथा टिकटें	30.52	4.69	25.83	84.63
8.	32 - पेंशन	5.34	-	5.34	100.00
9.	34 - राजस्व विभाग	5.38	0.06	5.32	98.88
10.	35 - प्रत्यक्ष कर	9.68	1.80	7.88	81.40
11.	36 - अप्रत्यक्ष कर	7.60	--	7.60	100.00
12.	39 - स्वास्थ्य विभाग	84.50	56.71	27.79	32.89
13.	41 - गृह मंत्रालय	4.38	-	4.38	100.00
14.	43- पुलिस	29.89	8.26	21.63	72.37
15.	48 - संस्कृति विभाग	4.19	0.77	3.42	81.62
16.	51 - भारी उद्योग विभाग	9.97	-	9.97	100.00
17.	52 - सार्वजनिक उद्यम विभाग	1.18	0.14	1.04	88.14
18.	72 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	12.88	6.68	6.20	48.14
19.	73 - वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग	6.13	4.00	2.13	34.75
20.	74 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग	10.92	8.38	2.54	23.26
21.	77 - सड़कें	15.62	0.28	15.34	98.21
22.	79 - कपड़ा मंत्रालय	114.17	75.05	39.12	34.26
23.	90 - लोक सभा	5.34	3.08	2.26	42.32
24.	95 - अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	36.47	-	36.47	100.00
25.	96 - दादरा और नगर हवेली	1.79	0.43	1.36	75.98
राजस्व-प्रभारित					
26.	25 - मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टिकटें	2.17	0.60	1.57	72.35
27.	27 - ब्याज भुगतान	1954.97	-	1954.97	100.00
पूँजीगत-दत्तमत्त					
28.	1 - कृषि	6.98	2.95	4.03	57.74
29.	22 - पर्यावरण और वन मंत्रालय	3.61	1.76	1.85	51.25
30.	29 - सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	112.02	61.30	50.72	45.27
31.	36 - अप्रत्यक्ष कर	2.81	-	2.81	100.00
32.	39 - स्वास्थ्य विभाग	55.15	17.55	37.60	68.18

जारी ⇨

क्रम संख्या	अनुदान	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई बचत की प्रतिशतता
33.	43 - पुलिस	23.45	-	23.45	100.00
34.	51 - भारी उद्योग विभाग	38.10	28.61	9.49	24.91
35.	55 - प्रसारण सेवार्ये	9.31	5.76	3.55	38.13
36.	77 - सड़के	44.36	22.42	21.94	49.46
37.	79 - कपड़ा मंत्रालय	8.07	-	8.07	100.00
38.	81 - लोक निर्माण	29.47	6.78	22.69	76.99
39.	83 - जल संसाधन मंत्रालय	2.82	0.95	1.87	66.31
पूजीमत - प्रभारित					
40.	30 - ऋण की अदायगी	45682.33	3955.55	41726.78	91.34
41.	43 - पुलिस	2.09	-	2.09	100.00
42.	77 - सड़के	9.00	-	9.00	100.00
43.	80 - शहरी विकास और आवास	25.62	4.37	21.25	82.94

परिशिष्ट XI
(पैराग्राफ 12.6 देखें)

वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं

व्यय की कटौती में समायोजित बजट वसूलियों तथा वास्तविक वसूलियों के बीच मुख्य भिन्नताओं के विवरण:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलिया	भिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता
बजट अनुमानों के प्रति कम वसूलिया					
राजस्व					
1	4 - पशुपालन और डेरी विभाग	6.08	3.46	2.62	43.09
2	7 - नागर विमानन मंत्रालय	10.73	0.12	10.61	98.88
3	9 - नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	12.00	0.72	11.28	94.00
4	15 - रक्षा मंत्रालय	10.00	4.00	6.00	60.00
5	28 - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	6.00	0.58	5.42	90.33
6	34 - राजस्व विभाग	20.30	5.49	14.81	72.96
7	37 - खाद्य मंत्रालय	25.50	10.52	14.98	58.75
8	39 - स्वास्थ्य मंत्रालय	60.52	23.10	37.42	61.83
9	43 - पुलिस	31.39	21.93	9.46	30.14
10	50 - औद्योगिक विकास विभाग	328.73	3.81	324.92	98.84
11	54 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	16.11	6.57	9.54	59.22
12	61 - खनन मंत्रालय	22.40	13.24	9.16	40.89
13	66 - योजना	4.88	1.00	3.88	79.51
14	76 - भूतल परिवहन मंत्रालय	22.06	7.07	14.99	67.95
15	77 - सड़कें	28.30	16.03	12.27	43.36
16	78 - पत्तन, प्रकाश गृह और नौपरिवहन	7.85	3.33	4.52	57.58
17	79 - कपड़ा मंत्रालय	81.01	61.86	19.15	23.64
18	82 - लेखन सामग्री और मुद्रण	66.09	42.66	23.43	35.45
19	83 - जल संसाधन मंत्रालय	27.33	19.50	7.83	28.65
20	87 - इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	18.80	7.48	11.32	60.21
पूजीगत					
21	10 - कोयला मंत्रालय	15.00	7.00	8.00	53.33
22	37 - खाद्य मंत्रालय	147.03	57.57	89.46	60.84
23	78 - पत्तन, प्रकाश गृह और नौपरिवहन	33.35	16.09	17.26	51.75
24	85 - परमाणु ऊर्जा	67.91	6.84	61.07	89.93
बजट अनुमानों के प्रति अधिक वसूलिया					
राजस्व					
1.	5 - रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग	14.01	139.43	125.42	895.22
पूजीगत					
2.	25 - मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टिकटें	143.50	209.42	65.92	45.94

परिशिष्ट XII

(पैराग्राफ 13.1 देखें)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के मामले

1. प्रमुख पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोग के कारण अविवेकपूर्ण थे।

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत की राशि
1	3- कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा -वही- -वही- -वही-	ख-1(1)(2)-अनुसंधान संस्थान ख-2(1) (1)- केन्द्रीय भूमि तथा जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान ख-3 (1)(2)- अनुसंधान संस्थान ख-4 (1)(1)- अनुसंधान संस्थान ख-5 (1)(1)- अनुसंधान संस्थान	190.00 8.00 53.00 27.00 40.00	262.00 57.00 256.00 52.00 126.00
2	4-पशु पालन तथा डेरी विभाग	2404- डेरी विकास	ग.1(8) (1)- विधानमण्डल के बिना संघ राज्य क्षेत्रों को सहायक अनुदान	91.00	91.00
3	11-वाणिज्य विभाग	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	क.1(1)- वाणिज्य विभाग	100.00	153.97
4	23-विदेश मंत्रालय	3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	च.1(2)(1)- औ.प्रौ.आ.स. कार्यक्रम	41.00	193.20
5	24-आर्थिक कार्य विभाग	2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं -वही-	ख.3(1)- अनिवार्य जमा (आय कर दाता) योजना 1974 के अन्तर्गत जमाओं पर ब्याज ख.3(2)- बाजार कर्जों, बंधपत्रों आदि पर विज्ञापन प्रभार	6000.00 160.00	6524.00 160.00
6	25-करेंसी, सिक्का ढलाई तथा स्टाम्प	2046- करेंसी, सिक्का ढलाई और टकसाल	क.1(2) परिचालन तथा अनुरक्षण	853.00	1895.63
7	27-ब्याज भुगतान	2049-ब्याज भुगतान -वही- -वही- -वही- -वही-	क.1(7)- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज क.2(23)- अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, सं.रा.अ. से कर्जों पर ब्याज क-3(2)- बचत प्रमाण-पत्रों पर ब्याज क-3(11)- अन्य जमाओं तथा लेखाओं पर ब्याज क-4(4)-दूर संचार पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज	455.00 1418.46 9332.69 240.00 9491.52	2597.46 1524.06 136659.22 776.07 11636.23

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत की राशि
8.	30- ऋण की अदायगी	6001- केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण -वही- -वही- 6002-विदेशी ऋण	क क-7 (6)- विशेष धारक बंधपत्र क क-7(8)-7% पूंजीगत निवेश बंधपत्र क क-7(9)-9% सहायता बंधपत्र, 1987 ख.ख.15- यूनाइटेड किंगडम सरकार से कर्ज	1000.00 2300.00 0.95 119.63	1657.56 2912.79 390.93 136.73
9.	36- अप्रत्यक्ष कर	2038-संघ उत्पाद शुल्क	ख.2(1) कलेक्टरी मुख्यालय	190.99	267.05
10.	43-पुलिस	2055-पुलिस	क.6(2) सीमा जांच चौकियां	2.53	52.36
11.	44-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान -वही-	छ.1(3)(1)- राहत सहायता छ.2(1). उत्तरपूर्वी परिषद की योजनाएं	107.00 409.68	170.01 768.64
12.	55- प्रसारण सेवाएं	2221- प्रसारण -वही- 4221-प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय	क.2(3)(1). दू.द. वाणिज्यिक सेवाएं क.2(4)- कार्यक्रम सेवाएं क क.1(5)(1)-स्थापना	0.53 138.18 24.00	492.10 260.74 56.37
13.	72- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	3455-मौसम विज्ञान	ग-4-उपग्रह सेवाएं	24.92	212.51
14.	81-लोक निर्माण कार्य	2059- लोक निर्माणकार्य 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय -वही- 4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय (कृषि)	क.3(1)(2)(2) कार्य प्रभारित स्टाफ का नियमित स्थापना में अन्तरण क.क.2(1)(8)-लोक सभा क क.2(1)(11) कार्मिक एवं प्रशिक्षण च च.1- पौधा संरक्षण	112.73 250.00 37.00 100.00	170.01 395.49 185.64 102.37
15.	83- जल संसाधन मंत्रालय	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	छ.2(2)(1)- उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	100.00	150.00
16.	84-कल्याण मंत्रालय	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	ग.2(2)- शिक्षा	33.00	85.94
17.	85-नाभिकीय ऊर्जा	3401-आणविक ऊर्जा अनुसंधान 4861-आणविक ऊर्जा उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	ग.1(13)-विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं/समितियों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता ग.ग.1(5)(9)-तैयार उत्पाद की कम लागत	34.00 500.00	86.54 2221.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत की राशि
18.	86-नाभिकीय शक्ति योजनाएं	2801-विद्युत	क.1(3)(3)-वेस्ट इम्मोबिलाइजेशन संयंत्र तारापुर में परिचालन खर्च	8.00	58.26
19.	95-अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2202-सामान्य शिक्षा 2059-लोक निर्माण कार्य	ण.1 (1)(1)-सरकारी प्राथमिक विद्यालय फ-3(1)(5)(1)- भण्डार	.48 51.66	139.50 1144.59
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	क.10(4)(1)- सरक्षण तथा नियंत्रण	22.32	52.31
			जोड़	34068.27	

2. अन्य उप-शीर्षों के पुनर्विनियोग के मामले जिनके अन्तर्गत व्यय, शेष प्रावधान की तुलना में अन्ततः अधिक दर्शाया गया

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	अन्य उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के पश्चात् आधिक्य की राशि
1	23-विदेश मंत्रालय	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	क.1(1)-विदेश मंत्रालय	619.58	1084.07
2	27-ब्याज भुगतान	2049-ब्याज भुगतान	क.2(25)-सं.रा.अ. सरकार से अन्य विविध कर्जों पर ब्याज	64.72	79.73
3	30- ऋण की अदायगी	6002-विदेशी ऋण	ख ख.18.सं.रा.अ. सरकार से विविध कर्ज	192.87	269.11
4	39- स्वास्थ्य विभाग	2210-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	ग.4(3)(6) (3)- राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम तथा टी.बी. क्लिनिकों को टी.बी. विरोधी औषधियों की आपूर्ति	148.00	147.39
5	41-ग्रह मंत्रालय	4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	क क.1(1)(1)-मुख्य निर्माण कार्य	3.00	60.10
6	55-प्रसारण सेवाएं	2221-प्रसारण -वही-	क.1(2)-परिचालन तथा अनुरक्षण (दत्तमत) क.1 (4) - कार्यक्रम सेवाएं (दत्तमत)	76.24 55.76	443.35 489.02
7	61- खनन मंत्रालय	2853-अलौह खनन तथा धातु कर्मक उद्योग	ख.1(8)- अन्य व्यय	55.89	138.50
8	80- शहरी विकास तथा आवास	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	ख.ख.1(1)(1)- शहरी विकास निर्माण	402.00	778.55
9	85- परमाणु ऊर्जा	2852-उद्योग 4861-आणविक ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	ख.1(7)(1)- भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ग ग.1(6)-फीड स्टॉक सामग्री	13.00 848.00	221.25 2432.71
10	95- अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	3051-पत्तन तथा प्रकाश गृह	द.2(1)(3)(1)- सरकारी गोदी	34.33	94.01
			जोड़ 2	2513.39	
			जोड़ (1+2)	36581.66	
			जोड़ (करोड़ रुपयों में)	365.82	

परिशिष्ट XIII
(पैराग्राफ 15.1 देखें)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोग की राशि			
		मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	उचित
राजस्व-दत्तमत्त					
कृषि मंत्रालय					
1.	1-कृषि मंत्रालय	141078	12001	132409.36	20669.64
2.	4-पशुपालन और डेरी विभाग	28676	966	25541.74	4100.26
रक्षा मंत्रालय					
3.	15- रक्षा मंत्रालय	202676	1000	193543.11	10132.89
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
4.	39-स्वास्थ्य विभाग	109104	2389	103043.35	8449.65
5.	40-परिवार कल्याण विभाग	189536	7164	187713.69	8986.31
उद्योग विभाग					
6.	50-औद्योगिक विकास विभाग	78260	3816	31676.23	50399.77
7.	52-सार्वजनिक उद्यम विभाग	162	111	154.90	118.10
8.	53-लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग विभाग	65503	762	59942.55	6322.45
(श्रम मंत्रालय)					
9.	56-श्रम मंत्रालय	56779	1000	52878.09	4900.91
विधि, न्याय और कम्पनी मामले मंत्रालय					
10.	57-विधि और न्याय	35162	1656	33717.52	3100.48
विद्युत मंत्रालय					
11.	69-विद्युत मंत्रालय	57522	1365	54333.42	4553.58
कपड़ा मंत्रालय					
12.	79- कपड़ा मंत्रालय	54923	6502	50007.65	11417.35
जल संसाधन मंत्रालय					
13.	83- जल संसाधन मंत्रालय	37000	500	32456.70	5043.30
	जोड़	1056381	39232	957418.31	138194.69
राजस्व प्रभारित					
वित्त मंत्रालय					
14.	25-मुद्रा, सिक्के ढलाई एवं टिकटें	88	195	65.63	217.37
15.	28-राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	2473300	920	2314282.00	159938.00
गृह मंत्रालय					
16.	43-पुलिस	52	20	48.16	23.84
	जोड़	2473440	1135	2314395.79	160179.21

जारी.

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोग की राशि			
		मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	बचत
पूजीगत- दत्तमत					
कोयला मंत्रालय					
17.	10- कोयला मंत्रालय	44619	3637	33882.12	14373.88
रक्षा मंत्रालय					
18.	15-रक्षा मंत्रालय	2052	94	1800.23	345.77
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
19.	39-स्वास्थ्य विभाग	36741	4184	35409.52	5515.48
गृह मंत्रालय					
20.	43-पुलिस	41451	117	39223.30	2344.70
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
21.	54- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1886	175	1464.96	596.04
भूतल परिवहन मंत्रालय					
22.	77-सड़कें	94471	537	90571.92	4436.08
23.	78-पत्तन, प्रकाश गृह और नौपरिवहन	27231	688	11778.09	16140.91
शहरी विकास मंत्रालय					
24.	80-शहरी विकास एवं आवास	19760	1254	19414.57	1599.43
25.	81-लोक निर्माण कार्य	19511	1305	17869.33	2946.67
जोड़		287722	11991	251414.04	48298.96
पूजीगत - प्रभारित					
गृह मंत्रालय					
26.	43- पुलिस	3590	20	3400.57	209.43
27.	44-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	817	100	816.04	100.96
शहरी विकास मंत्रालय					
28.	80-शहरी विकास एवं आवास	3744	56	1238.43	2561.57
जोड़		8151	176	5455.04	2871.96
कुल जोड़		3825694	52534	3528683.18	349544.82
कुल जोड़	(करोड़ रु. में)	38256.94	525.34	35286.83	3495.45

शब्दावली*

प्रतिकूल शेष	गलत लेखांकन दर्शाते हुए कर्जों, निक्षेपों, पेशागियों अथवा प्रेषणों में शेष।
परिशोधन	मूलधन तथा ब्याज के क्रमिक भुगतानों द्वारा, सामान्यतः एक समयावधि में ऋण की वापसी।
विनियोग	विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
विनियोग विधेयक	लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से: (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किये गए अनुदानों की (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
विनियोग अधिनियम	संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जायेगा तथा बिल को उनकी सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जायेगा।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत्त अनुदान तथा प्रभारित अनुदानों की तुलना में प्रत्येक के प्रति किये गए व्यय तथा प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अंतर्गत बचत अथवा अधिक व्यय के लिए प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय के लिए संसद द्वारा नियमन अपेक्षित है।
बजटित वसूलियां तथा वास्तविक वसूलियां	अनुदानों के लिए मांगें व्यय की सकल राशि अर्थात् विगत में अधिप्राप्त भण्डारों इत्यादि के प्रयोग से उद्भूत वसूलियों के लिए होती है अथवा अन्य विभागों अथवा मंत्रालयों को अंतरित व्यय को बजटित वसूलियां कहा जाता है। तथा इनके प्रति वित्त वर्ष के दौरान की गई वास्तविक वसूलियों (अधिक अथवा कम) को समायोजित वसूलियों के रूप में माना जाता है।

अनुदानों की मांग पुस्तक

अनुदानों के लिए मांग, किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होगी तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दिखाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जायेगा। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सभा में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती हैं।

क्योंकि अनुदानों के लिए मांगें सकल व्यय के लिए होती हैं तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत खर्च की जाने वाली निवल राशि दर्शाते हैं, दोनों के जोड़ का मिलान सकल व्यय की कटौती में लेखाओं में ली गई वसूलियों को समायोजित करने के पश्चात् किया जाना चाहिए।

अनुपूरक अनुदान पुस्तक

यदि अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अपेक्षित न की गई किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115 (1) के उपबंधों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेगी।

भारत की समेकित निधि
(भा.स.नि.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अधीन संघटित निधि जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का आगम होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोकऋण तथा कर्जें इत्यादि) नामक दो प्रमुख प्रभाग हैं। लोक लेखे भी देखें।

भारत की आकस्मिकता
निधि

संसद विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में 'भारत की आकस्मिकता निधि' के नाम से ज्ञात आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां; समय-समय

	पर डाली जाएंगी तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी जाएगी।
पूंजीगत तथा राजस्व अनुभाग	पूंजीगत अनुभाग में ऐसे व्यय के लिए प्रावधान अंतर्विष्ट होते हैं जो साधारणतया पूंजीगत ऋण, निक्षेप अथवा राजस्व अनुभाग के व्यय से भिन्न बैंकिंग स्वरूप की प्राप्तियों से पूरे किये जाते हैं तथा राजस्व अनुभाग के व्यय असाधारण प्राप्तियों सहित कर, शुल्क, फीस, जुर्माने तथा वर्तमान की वैसी ही मदों से व्युत्पन्न होते हैं। सरकार को साधारण राजस्व से पूंजीगत व्यय करने की स्वतंत्रता है बशर्ते कि इस दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व संसाधन उपलब्ध हैं।
प्रभारित विनियोग	संविधान के अनुच्छेद 112 (3) के अधीन समेकित निधि पर 'प्रभारित' व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
दत्तमत्त अनुदान	अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113 (2) के अधीन संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।
ऋण सेवा	देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता (दाताओं) को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
बाह्य ऋण	सरकार द्वारा विदेशों से अधिकतर विदेशी मुद्रा में तथा अधिकतर विश्व बैंक (अ.पु.वि.बैं., अ.वि.ए. इत्यादि) से अनुबंधित ऋण।
अधिक अनुदान	ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक खण्ड अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत्त) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
राजकोषीय घाटा	राजस्व प्राप्तियों और ऋणों तथा पेशगियों की वसूलियों से

अधिक पूंजीगत और राजस्व व्यय का होना ।

- गारंटी किसी राज्य सरकार अथवा संगठन द्वारा उधार ली गई राशियों के सम्बंध में रुपयों अथवा विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियां। ऐसी गारंटियां संघ सरकार की आकस्मिक देयतायें बनती हैं।
- आंतरिक ऋण भारत में जनता से लिये गये नियमित कर्जे, आंतरिक ऋण होते हैं, इसे 'भारत में लिया गया ऋण' भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- मुख्य शीर्ष लेखा में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित है। पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का सम्बंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिये गये हैं, जो प्रत्येक उप मुख्यशीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप-मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत '001' से शुरू होते हैं।
- मुद्रीकृत घाटा भारत सरकार को शुद्ध भा.रि.बै.क्रेडिट।
- नयी सेवा सरकार ने व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुछ वित्तीय सीमायें निर्धारित की हैं जिसमें बाहर किया गया व्यय 'नयी सेवा/सेवा का नया साधन' बन जाता है।
- मूल अनुदान किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए संस्वीकृत बजट में मुहैया करवाई गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- लोक लेखा भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2))। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न ऋण से सम्बंधित लेन-देन शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत्त /विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रणीत किये जाते हैं।
- लोक ऋण (भारत का) भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।

पुनर्विनियोग	इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
लेखाओं का समाधान	सरकार के खाते में पड़े रोकड़ शेष का भा.रि.बैं. के खातों से समाधान करके लेखाओं के जांच की प्रक्रिया।
बचत	जब व्यय बजट प्रावधान से कम हो जाता है तब बचत होती है।
स्टॉक	स्टॉक प्रमाण-पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।
बचत का अभ्यर्पण	केन्द्र सरकार के विभाग उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में बचतों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करेंगे। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी तथा/अथवा लेखा अधिकारी, जैसा भी हो, सूचित करेगा।
उचंत शेष	सहकारी खाते में लेन-देनों से सम्बंधित शेष जो कि अंतिम लेखाकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
खजाना बिल	प्रतिभूति का एक प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार अल्पावधियों अर्थात् 91 दिनों के लिए परंतु हाल ही में 364 दिनों तक के लिए भी उधार लेती है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक को जारी किये जाते हैं। तदर्थ खजाना बिल वे हैं, जो निर्दिष्ट देय अवधि के बिना होते हैं। तथा उनका उपयोग तब किया जाता है, जब निर्धारित सीमा को पार कर जाती है।

* तकनीकी शब्दों तथा सूक्तियों की व्याख्या अधिकतर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संदर्भ तक ही सीमित है।